पंचम माला, खंड 50, अंक 25, सोमवार, 24 मार्च 1975/3 चैत्र, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. L, No. 25, Monday, March 24, 1975/Chaitra 3, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेहरवाँ सत्र
Thirteenth Session
5th Lok Sabha]

[खंड 50 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. L Contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: दो रुपये

Price: Two Rupees

यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

M|J(D)4LSS—2

विषय सूची/CONTENTS

अंक 25, सोमवार, 24 मार्च, 1975/3 चैत्र, 1897 (शक)

No. 25 Monday, March 24, 1975/Chaitra 3, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ट/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 464 से 469	*Starred questions Nos. 464—469	1-16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 470 से 474 और 476 से 483	*Starred Questions Nos.* 470 to 474 and 476 to 483	17—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 4476 से 4484, 4486 से 4504, 4506 से 4647, 4649 से 4656, 4658 से 4666 और 4668 से 4676	*Unstarred Questions* Nos. 4476 to 4484, 4486 to 4504, 4506 to 4647, 4649 to 4656, 4658 to 4666 and 4668 to 4676	25—158
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	159—162
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	162—163
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति-53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—fifty third Report presented.	163
नियम समिति	Rules Committee . .	163
पांचवां प्रतिवेदन और कार्य सारांश-सभा-पटल पर रखा गया	Fifth Report and Minutes Laid.	163
लोक लेखा समिति-एक सौ उनतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Public Accounts Committee Hundred and thirty ninth Report presented	164
गेहूं की वसूली और मूल्य नीति सम्बन्धी वक्तव्य	Statement Re. Procurement and pricing Policy of wheat . .	164
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	164

The Sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

विषय	SUBJECET	पृष्ठ/Pages
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	65
पशु कल्याण बोर्ड	Animal Welfare Board	65
भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक-पुरस्थापित किया गया	Provident Funds (Amendment) Bill-Introduced.	165
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	166
त्रिपुरा में सी० पी० आई० (एम) और सी० आई० टी० यू० नेताओं एवं विधायकों की गिरफ्तारी	Arrest of CPI (M) and CITU Leaders including MLAs in Tripura	166
भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अजित नाथ रायं की हत्या के प्रयास के बारे में चर्चा	Discussion Re. Attempt on the life of Shri A.N. Ray Chief Justice of Supreme Court of India	166
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	166
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . .	167
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	169
श्री व्यालार रवि	Shri Vayalar Ravi . .	170
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bohgendra Jha .	
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji	174
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R.R. Sharma .	174
श्री पी० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	175
श्री ज० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	175
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe .	176
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Misra	176
प्रो० नारायण चन्द्र पराशर	Prof. Narain Chand Parashar . . .	177
श्री पी० एम० मेहता	Shri P.M. Mehta .	177
श्री एन० एन० पाण्डेय	Shri N.N. Pandey . .	178
श्री अरविंद बाला पजनौर	Shri Naravinda Bala Pajanor	179

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga .	178
श्री एस० ए० शमीम	Shri S.A. Shamim . .	178
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	179
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	179
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shallani	180
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	180
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat	181
श्री बी. वी० नायक	Shri B.V. Naik . .	182
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee .	189
श्री क० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy . . .	192
नागालैंड बजट 1975–76	Nagaland Budget 1975-76	183
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	183
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (नागालैंड) 1974-75	Supplementary Demands for Grants (Nagaland) 1974-75 . . .	183
वक्तव्य प्रस्तुत किया गया	Statement Presented. .	183
प्रैस परिषद् (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1974 और प्रेस परिषद (संशोधन विधेयक के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution Re. Disapproval of the Press Council (Second Amendment) Ordinance, 1974 and Press Council (Amendment) Bill	185
विचार करने के लिये प्रस्ताव	Motion to Consider . .	185
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandey	185
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	Shri I.K. Gujaral . .	187
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	187
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil .	188
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee . .	189
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	190
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mista .	191

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik . .	191
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	193
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mavalankar .	194
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	195
श्री मूल चन्द आगा	Shri M.C. Daga . .	196
श्री राम सहाये पाण्डेय	Shri R.S. Pandey . .	196
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaya .	196
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	193
54वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Fifty Fourth Report Presented . . .	193
आधे घंटे की चर्चा के संबंध में	Re. Half an Hour Discussion . .	202

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 24 मार्च, 1975/3 चैत्र, 1897 (शक)

Monday, March 24, 1975/Chaitra 3, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में भवनों के गिरने के कारण मरने/घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या

*464. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, दिल्ली में भवनों के हिस्से गिर जाने से कुल कितन श्रमिक मारे गये और कितने घायल हुए ;

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि भवन निर्माण ठेके केवल पंजीकृत ठेकेदारों को ही दिये जायें; और

(ग) क्या पीड़ितों को कोई मुआवज़ा दिया गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या किसी मकान-मालिक को गिरफ्तार किया गया है और उसका चालान किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क), (ख) तथा (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9279/75)

Shri Shashi Bhushan : In Delhi nearly two lakh persons are engaged in building Works and these are being done by unauthorised Contractors. In case of accidents, only 500 rupees are paid to the family of a labourer if he dies. I want to know whether a legislature would be brought to provide for those who lose their limbs or are incapacitated in such accidents. I also want to know the nature of punishment awarded to those arrested in this connection and the amount of fines imposed on them ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है, सभा को विदित ही है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम बना हुआ है। इन मामलों में देय मुआवजा पर पुनर्विचार करने से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मामले प्रभावित होंगे। दूसरे, जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सरकारी अभिकरणों का सम्बन्ध है सभी निर्माण कार्य पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाते हैं। शायद सदस्य महोदय के मन में निजी निर्माण कार्यों की बात हो जहां सभी प्रकार के गैर-पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा यह काम कराये जाते हैं। हम निश्चय ही इस मामले की जांच करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

Shri Shashi Bhushan : I want all the Contractors to be got registered by law as there is no such legislation at present. At present a mere 500 rupees is paid by the Welfare Department in the event of death of a labourer and that too if there is much hue and cry, which is barely sufficient for his last rites. They are very backward & poor people, therefore I demand this on humanitarian ground also. They are Indian nationals and they demand their legitimate rights. I want the hon. Minister to reiterate his assurance and say that building activities shall also be regulated.

श्री के० रघुरामैया : सदस्य महोदय द्वारा उठाये गये प्रश्न के दो-तीन पहलू हैं एक मुआवजे के बारे में है और दूसरा रक्षा उपायों के सम्बन्ध में है। हमारे यहां राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा भवन सहिता बनी हुई है और इसका बहुधा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभाग पालन करते हैं। हां, निजी ठेकेदारों पर ये बाध्य नहीं होता। इस प्रश्न के बारे में कि क्या निजी ठेकेदारों आदि पर उसे बाध्य बनाया जाये तो जैसे मैंने पहले कहा है कि इस बात पर विचार करना होगा। मुआवजे के बारे में इसका उपबंध कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में पहले से ही है। अनेक प्रकार की लापरवाही के कारण ही मुआवजे का प्रश्न उत्पन्न होता है जिसकी व्यवस्था अधिनियम में की जा चुकी है। यह आश्वासन देना मेरे लिये कठिन है कि भवन निर्माण के मामले में विशेष मुआवजा देय होगा यह अधिनियम भारत भर में लागू होता है। और यह अधिनियम विभन्न परिस्थितियों में देय सभी प्रकार के मुआवजे के लिये लागू होता है।

श्री प्रबोध चन्द्र : निजी ठेकेदारों को छोड़कर अर्ध स्वायत्त स्वायत निकायों जैसे नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि में भी भवन निर्माण के कार्य में संलग्न मजदूरों की मृत्यु होने पर केवल 500 रुपये के लगभग मुआवजा दिया जाता है अतः सरकार को इन लोगों के लिये कोई उचित कदम उठाना चाहिये। जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रणाधीन हैं।

श्री के० रघुरामैया : मैं जैसा कि बता चुका हूं कि जहां कहीं असावधानी होती है और कर्मकार प्रतिकार अधिनियम लागू होता है, मुआवजा दिया जाता है यदि कोई और उपबंध करना अपेक्षित हो तो मैं इस सम्बन्ध में विशिष्ट सुझावों का स्वागत करूंगा।

Shri Ram Singh Bhai : Whether the hon. Minister proposes to make Workmen Compensation Act applicable to Workers under building Contractors?

श्री के० रघुरामैया : जहां तक मुझे ज्ञात है सभी श्रमिक इसके अन्तर्गत आते हैं ।

Shri Srikishen Modi : Whether the hon. Minister is aware of the fact that most of the building workers in Delhi hail from Rajasthan and they are bonded labourers including their wives also and they are not allowed to go to their homes. Whether a legislation would be brought to end such state of affairs ?

श्री के० रघुरामैया : जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सरकारी अधिकरणों का संबंध है, उनमें श्रमिक पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से रखे जाते हैं, जो उचित मजूरी आदि के लिये उत्तरदायी होते हैं । यदि किन्हीं मामलों में शोषण हुआ हो, तो मैं इस संबंध में सुझावों का स्वागत करूंगा और यदि सदस्य महोदय मुझे कोई जानकारी इस संबंध में दें तो मैं उसकी अवश्य जांच कराऊंगा ।

गुजरात में कालेजों/विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतन मांग

*465. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार सेन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार समूचे गुजरात में कालजों के अध्यापकों और विश्वविद्यालयों के प्रोफैसरों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्रियान्वयन संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस पर कितनी अतिरिक्त धन राशि खर्च होगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क),(ख) और (ग) गुजरात सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के संशोधन वेतन-मानों को जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गए थे, सिद्धांत रूप से स्वीकार करने के संबंध में अपनी सहमति दे दी है । उन्हें कार्यान्वित करने के प्रस्तावों के ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं आपकी सहायता चाहता हूं क्योंकि मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (ख) और (ग) को गोल ही कर दिया है । जहां मैंने (ख) भाग में क्रियान्विति के तथ्य मांगे थे और (ग) भाग में अतिरिक्त राशि पूछी थी वहां उत्तर में केवल यही कह दिया गया है कि विस्तृत जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है । इस प्रकार मैं और प्रश्न कैसे पूछूं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आपको बतायेंगे ।

प्रो० एस० नूरूल हसन : गुजरात सरकार की घोषणा 3 मार्च को और फिर 13 मार्च को की गई थी। उन्होंने इस सम्बन्ध में भारत सरकार की सिफारिशें मान ली हैं परन्तु ठीक ठीक हिसाब, प्रत्येक शिक्षक और कालेज का अभी लगाया जाना है। जिसमें कुछ दिन और लगेंगे। यदि माननीय सदस्य मोट रूप में राशि जानना चाहते हैं तो मैं वह बता सकता हूं किन्तु उसमें फेरबदल हो सकता है। जनवरी और फरवरी, 1973 के लिये राशि 5.31 लाख, 1973–74 के लिय कुल अतिरिक्त राशि 31.83 लाख और 1974–75 के लिय 35 लाख रुपये होगी। इसमें से 80 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेंगी। राज्य सरकार हिसाब लगा रही है और इसमें थोड़ा समय और लगेगा। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि सरकार ने भारत सरकार की सिफारिशें सिद्धान्त रूप में मान ली हैं। क्रियान्विति के तरीके के बारे म प्रकाशित की गई प्रैस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "गुजरात सरकार ने भारत सरकार द्वारा सेन समिति के जिन निष्कर्षों की सिफारिश की है उन्हें सिद्धान्ततः मान लिया गया है। और ब्यौरे पर विचार हो रहा है तथा आदेश यथासंभव शीघ्र प्रकाशित कर दिये जायेंगे।"

श्री पी० जी० मावलंकर : माननीय मंत्री जानते हैं कि न केवल गुजरात अपितु सभी राज्यों को यह समस्या हो रही है जहां भी विश्वविद्यालय और कालजों के छात्र अपने वतनमानों के पुनरीक्षण और सेन समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों की मांग कर रहे हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि गुजरात के विश्वविद्यालय शिक्षक और प्रोफैसर इसके लिये काफी समय से आन्दोलन करते रहे हैं और उन्होंने अहमदाबाद में राज भवन तक विशाल जलूस निकाला था और राज्यपाल श्री विश्वानाथन के लिखित आश्वासन पर ही कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान सिद्धान्त मान लिये गये हैं और उन्हें शीघ्र ही कर दिया जायेगा। उन्होंने विश्वविद्यालय और कालेजों की परीक्षाओं का वहिष्कार करने की धमकी वापस ली थी। यद्यपि मैं निजी तौर पर ऐसी धमकी के पक्ष में नहीं हूं और उन्होंने अब इसे वापस ले लिया है। इन बातों को देखते हुए क्या वास्तव में उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा और क्या इन्हें 1 जनवरी 1973 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा।

प्रो० एस० नूरूल हसन : मैं यह समझता हूं कि यदि उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें मान ली हैं तो वे 1–1–1973 से ही लागू करेंग। जैसा कि मैंने कहा कि हमने उनसे पूछा था और उन्होंने हमें सूति सूचित किया है कि वे हिसाब लगा रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्रियान्विति के तरीके क बारे म मुझे मंत्री महोदय से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि गुजरात सरकार न उन्हें मान लिया है और सेन समिति के प्रतिवेदन को भी स्वीकार कर लिया है। यदि यह ठीक है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात प्रशासन इन्हें क्रियान्वित करते समय वह इस वचन को ध्यान में रखेंगे और उक्त सिफारिशों के साथ कोई छडछाड नहीं करेंगे दूसरे, आज के स्टेटस्मेन में मुख्य पृष्ठ पर यह समाचार है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिल्ली के कालेजों में लागू किये जायेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लाग करने के लिये आयोग ने कुछ शर्तें कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के बारे में सेवा सम्बन्धी लगाय हैं। जिसक विरूद्ध शिक्षक गण आपत्ति कर रहे हैं। क्या ऐसी शर्त गुजरात में भी उक्त वेतनमान लाग करने के साथ जुड़ी हुई है।

प्रो० एस० नूरूल हसन : हमने राज्य सरकार को जो योजना भेजी है उसमें केन्द्रीय सहायता की कुछ शर्तों जिनमें शिक्षकों लेक्चरार, रीडर प्राध्यापक आदि श्रेणियों में भर्ती शामिल है। आज जो अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापनों और चयन आदि के आधार पर शुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर ही करनी होगी और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में लेक्चरारों के भावी पदों के लिये न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित तथा पूरी करनी होगी और वर्तमान लेक्चरारों के लिये नयी योग्यता लागू नहीं होगी किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यतायें यदि वर्तमान लेक्चरार पूरी न करते हों तो उन्हें वहीं प्राप्त करनी होंगी। नयी नियुक्तियों के लिये उनके लिये आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता रखना अनिवार्य होगा।

Shri Shankar Dayal Singh : In view of the fact that the pay Scale of University and College teachers have been revised many times and that they are claimed to be even better than those of I.A.S. Officers, I want to know what is the report of Sen Committee in regard to the period for which educational institutions remained closed in Gujarat recently and whether teachers would be paid for that period ?

Prof. S. Nurul Hassan : How can I give a reply thereto. This is to be decided by Universities themselves.

श्री पी० एम० मेहता : गुजरात के विश्वविद्यालयों में इतना अधिक विलम्ब निर्णय लागू करने में क्यों हो रहा है और क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

प्रो० एस० नूरूल हसन : सरकार इस मामले पर विचार कर रही थी। अब निर्णय लिया गया है। हिसाब आदि लगाने का उनका अपना तंत्र और तरीका है।

Shri Ramdeo Singh : What Government propose to do in regard to States which have not accepted the Sen Committee recommendations ?

Prof. S. Nurul Hassan : Sir, the question was about Gujarat only.

Mr. Speaker : Next Question.

विश्व बैंक द्वारा गोदावरी बाँध परियोजना के लिए ऋण देने संबंधी शर्तें

*466. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री सिंचाई परियोजनाओं के लिये विदेशी सहायता के बारे में 24 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 848 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी बांध परियोजना के लिये विश्व बैंक ने 450 लाख डालर का ऋण देने की जो सहमति व्यक्त की है उसके लिये क्या शर्तें रखी हैं ?

कृषी और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : ने एक व्यक्तव्य सभा पटल पर रखा।

विवरण

आंध्र प्रदेश में गोदावरी बराज परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा 45 मिलियन डालर के ऋण दिए जाने की मोटे तौर पर शर्तें निम्नलिखित हैं :

1. यह ऋण ब्याज मुक्त है परन्तु समय-समय पर ली गई तथा बकाया पूंजी रकम पर 3/4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सर्विस चार्ज देने होंगे।

2. यह ऋण 50 वर्ष में लौटाना है जिसमें 10 बर्ष की माफी अवधि भी शामिल है।

श्री एम० राम गोपाल रेडडी : इस परियोजना के लिये कितनी राशि उपलब्ध की गई है और क्या यह राशि राज्य सरकार को दे दी गई है ।

श्री केदार नाथ सिंह : जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है यह ऋण 150 लाख रुपये का है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : आप किस दर से इस राशि को विश्व बैंक से लेंगे ? क्या इसे राज्य सरकार को उपयोग के लिये दे दिया गया है ।

श्री केदारनाथ सिंह : यह राशि 3/4 प्रतिशत की दर से सेवा प्रशुल्क के रूप में दिया जाता है । यह सीधे राज्य सरकार को नहीं दिया जाता । यह केन्द्रीय पूल में आता है और राज्य सरकारों को उसमें से अनुदान दिया जाता है । राज्य सरकारें प्राथमिकता के आधार पर कार्य करती हैं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण का कितना भाग अब तक राज्य सरकार को दिया गया है ।

श्री केदारनाथ सिंह : अभी राज्य सरकार को कुछ नहीं दिया गया ।

श्री पट्टाभि राम राव : यह एनीकट सर आर्थर काटन द्वारा बनाया गया था । उसने भविष्य वाणी की थी कि यह 100 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा । आज 120 वर्ष हो चुके हैं और दो-एक जगह से टूट भी चुका है । यदि यह एनीकट टूट जाता है तो लाखों एकड़ भूमि प्रभावित हो जायगी और तथाकथित चावल का घर भी प्रभावित होगा । सारे देश पर प्रभाव पड़ेगा । इस डेल्टा में किसान 5 करोड़ रुपये से अधिक की लेवी दे चुके हैं । यदि इसे शीघ्रता से ठीक न किया गया तो सारे देश की खाद्य समस्या पर प्रभाव पड़ेगा ।

श्री केदारनाथ सिंह : यह ठीक है कि गोदावरी पर यह सबसे पुराना बांध है । योजना आयोग ने 1971 में इसके लिये 26.59 करोड़ रुपये की मंजूरी पहले ही दे दी थी । इसे कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्री बी० वी० नायक : विश्व बैंक के प्रबन्धकों को योजनाओं के चयन का अधिकार क्यों दिया जाता है । इस से ऋण विशेष परियोजनाओं के साथ बंध जाते हैं । हमें इस बात पर आग्रह करना चाहिये कि योजनाओं का चयन हम करेंगे । आप संयुक्त ऋणों के रूप में ऋण क्यों नहीं देते ?

श्री केदारनाथ सिंह : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि विश्व बैंक के विशेषज्ञ आते हैं और अपनी पंसद की योजनाएं चुनते हैं। लेकिन विश्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण केन्द्रीय पूल में जाता है किसी विशिष्ट परियोजना को नहीं। राज्य सरकार अपनी प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं चुनती हैं और केन्द्रीय पूल से धन प्राप्त करती हैं।

श्री बी० वी० नायक : क्या सरकार विश्व बैंक से संयुक्त ऋण लेने में असफल रही है? क्या विश्व बैंक ने हमारा प्रस्ताव नहीं माना ?

श्री केदारनाथ सिंह : हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं। यह अन्य मंत्रालयों से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य को उन्हीं मंत्रालयों से प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री अण्णासाहिब गोरखिंडे : देश में कृषि परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से कुल कितनी राशि सहायता के रूप में प्राप्त हुई है। साथ ही आन्ध्र प्रदेश की उन परियोजनाओं के नाम बताये जायें जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण अथवा अनुदान प्राप्त हुआ है और कुल कितनी सहायता दी जायेगी या दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न गोदावरी परियोजना के बारे में है।

श्री अण्णासाहिब गोरखिंडे : यह मूल प्रश्न से सम्बन्ध रखता है।

श्री केदार नाथ सिंह : विश्व बैंक को हमने परियोजनाओं के बारे में सुझाव दिये हैं। एक बिहार में, एक गुजरात में, एक कर्नाटक में एक केरल में, तीन महाराष्ट्र में और एक उड़ीसा में।

श्री अण्णासाहिब गोरखिंडे : महोदय, वह मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह संगत प्रश्न नहीं है।

श्री केदार नाथ सिंह : गुजरात में दो और आन्ध्र प्रदेश में एक और परियोजना है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मंत्री महोदय के अनुसार विश्व बैंक से ऋण केन्द्रीय पूल में रखे जाते हैं और किसी विशेष परियोजना से सम्बन्धित नहीं होते। क्या विश्व बैंक से ऋण परियोजना के कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करता हैं। यदि ऐसा है तो कार्य तीव्र गति से होना चाहिये।

श्री केदार नाथ सिंह : हम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के सभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कार्यान्वयन राज्य सरकारों पर पूरी तरह निर्भर हैं। हम समय पर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत सीधा है। यदि ऋण कार्य के विभिन्न स्तरों के पूरा होने पर मिलता है तो कार्य शीघ्र क्यों न पूरा कर लिया जाये। यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : माननीय मंत्री ने पहले उत्तर में बताया था कि कुछ परियोजनाओं को विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता के लिये चुना गया है। क्या इन परियोजनाओ के पूरे हुए कार्य के अनुसार ऋण दिया जाता है ?

श्री केदार नाथ सिंह : मैं सभा को सूचित करूं कि परियोजनाओं का चुनाव उनकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकार, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विचारों की भी जानकारी ली जाती है। इसी आधार पर परियोजनाओं का चयन होता है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों द्वारा गन्ने का मूल्य अदा न किया जाना

467. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिल मालिक सरकार के आदेशों के बावजूद गन्ने का वर्तमान मूल्य अदा नहीं कर रहे हैं जिससे करोड़ों रुपयों की राशि बकाया हो गई है ; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) गत मौसम की कितनी राशि अभी बकाया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी फैक्ट्रियां गन्ने के वर्तमान मूल्य दे रही है । एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिससे चालू मौसम के दौरान 15 फरवरी, 1975 को गन्ने के मूल्यों के बकायों का ब्यौरा दिया गया है । राज्य सरकारें बकायों का भुगतान करवाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां कानूनी कार्यवाही करने सहित सभी सम्भव पग उठा रही हैं ।

(ख) 15 फरवरी, 1975 को 1973–74 मौसम से संबंधित गन्ने के मूल्य के बकायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

उत्तर प्रदेश में	143.14 लाख रुपये, और
बिहार (में)	21.82 लाख रुपये

विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

राज्य	1974–75 के दौरान 15 फरवरी, 1975 तक गन्ने का कुल देय मूल्य	15 फरवरी 1975 तक प्रदत्त मूल्य	15–2–75 तक बकाया राशि
उत्तर प्रदेश	10,585.68*	9,040.61	1,545.07
बिहार	2,390.77*	1,467.34	923.43

*इसमें फरवरी, 1975 के प्रथम पखवाड़े में खरीदे गये गन्ने का देय मूल्य उत्तर प्रदेश के बारे में 1,984 लाख रुपये और बिहार के बारे में 527 लाख रुपये शामिल है, जिसका भुगतान नियमों के अधीन सामान्य तथा सुपुर्दगी की तारीख से 14 दिन के अन्दर किया जा सकता है ।

Shri Narsingh Narain Pandey : It is clear from the hon. Minister's reply that Rs. 24 crores were outstanding till 15th Feb. 1975 in respect of farmers of U.P. & Bihar. Rs. 7 crores are outstanding for the last season. May I know why payment of sugarcane has not been made to the farmers inspite of orders issued by you and the cane Controller. What action has been taken in this respect and whether anybody has been arrested ?

Are the Sugar Mill magnates pressurising the Government to revise the credit squeeze policy of the Reserve Bank or, are they asking a rate of Rs. 200 per quintal for levy sugar or, do they want the limit of 35 per cent free sugar increased ?

Shri Shahnawaz Khan : I have already submitted that this includes the amount due for the first two weeks of February and they have the right to delay payment for two weeks. If it is paid them nothing outstanding is left in respect of sugarcane in U. P. Similarly payment during the Current season is quite good. So far as the last season is concerned, Rs. 6 crores are outstanding for 1973-74, 1972-73 and even for the earlier period. Government are making efforts to ensure early payment to the farmers. Compartively the amount of Rs. 6 crores is not much but the farmers must get it. Those mills who are not making payment or are not operational, will be taken over by the State Governments.

The factory-owners, this year have complained that credit facilities are insufficient for them. It is quite genuine. My ministry has taken up the matter with the finance Ministry to the effect whether facilities can be increased by the Reserve Bank.

Shri Narsingh Narain Pandey : Whether it is a fact that 1 Million tonne sugar is lying with the sugar mills which is meant for export but it is not being exported due to difficulties on port. Whether Govt. will take steps to export the sugar earlier so that foreign exchange may be earned and payment be made to the farmers.

I shall request the hon. Minister to check their figures because the Indian Sugar Mills Association has told the Food Minister as well as the Finance Minister that Rs. 50 crores have to be paid to the Cane growers in U. P.

Mr. Speaker: You ask the question in a straight manner. You are giving figures yourselves and again you are asking the Minister whether they are correct or not.

Shri Narsingh Narain Pandey : I am giving information.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, देने क लिये नहीं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडे : जो आंकड़े शूगर मिल्स एसोसिएशन ने दिये है मैं वही बता रहा हूं । क्या ये आंकड़े सही हैं ?

श्री शाहनवाज खां : सभा को यह जानकर खुशी होगी कि इस समय चीनी मिलों ने पिछले वर्ष की अपेक्षा देश में 6 लाख मीट्रिक टन अधिक उत्पादन किया है और हम यह उत्पादन और बढ़ायेंगे । इस बार सम्भवतया हम 10 लाख मीट्रिक टन का निर्यात करने की स्थिति में होंगे । पर इसके लिये हमें जहाज में लदाई की व्यवस्था को भी देखना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी आपको उन्हें देनी चाहिये थी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार शूगर मिल मालिक संघ की दूसरी मांग स्वीकार कर लेगी कि फ्री सेल शुगर का प्रतिशत 35 से बढ़ा दिया जाये ।

श्री शाहनवाज खां : सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं ।

Shri Tarkeshwar Pandey : Large quantities of sugar are lying with the sugar mills and has not been exported. Whether Government propose to seize that sugar and make payment to the farmers by selling it.

Shri Shahnawaz Khan : The Government have guts to do that but they do not want to take any steps which may hamper production.

Shri Tarkeshwar Pandey : It will not hamper production.

Shri R. R. Sharma : The production of sugarcane is decreasing every year because growers are not getting the remunerative price for sugarcanes. Just now the hon. Minister has admitted that more than Rs. 1 crore was outstanding against the mill owners during 1974-75.

I want to know what action has been taken by the Government against those Mill owners who have not made payment to sugar cane grower farmers ?

Shri Shahnawaz Khan : I have stated that many such Mills have been taken over by the Government and even in U. P. 12, 13 mills have been taken over.

श्री आर० आर० शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है । क्या दोषी मिलों के किसी मालिक को गिरफ्तार किया गया है ।

Shri Shahnawaz Khan : The legal action is the responsibility of State Government. I will gather this information and then let you know.

Shri D. N. Tiwari : In my Constituency there are 5 sugar factories and last month I observed that farmers have not been paid their arrears for months together but no action has been taken over by the State Government, no case has been made against them and no notice issued. The question is that why should farmers be made to suffer for a tussle between Sugar factory Owners and the Government. If rupees 50 crores of farmers are in arrears, how they will bring up their children. Has any millowner been prosecuted so far? If so how many such cases have been lodged in Bihar and U. P. because in these two states arrears are maximum.

Shri Shahnawaz Khan : Action has been taken at serval places but their separate information is not available with me.

Shri D.N. Tiwari : No action has been taken so far.

प्रो० मधु दंडवते : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय ने भार्गव आयोग का प्रतिवेदन पढ़ा हो। यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि भार्गव आयोग ने चीनी मिलों तथा मजदूरों के कटु सम्बन्धों तथा किसानों को गन्ने के मूल्यों का भुगतान करने में अधिक विलम्ब होने के आधार पर ही चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की थी ? इसे दृष्टिगत रखते हुये जब वह चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर बल दे रहे हैं, तो फिर क्या वह चीनी उद्योग के शीघ्र राष्ट्रीयकरण के लिए तुरन्त कदम उठायेंगे ? यदि आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या यह सत्य नहीं है कि मामले को अनिर्णीत रखने से चीनी की मिलों को किसानों के पैसे बकाया न रखने के लिए और प्रोत्साहन मिलता है। इसीलिए क्या आप सदा के लिए इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय करने जा रह हैं ?

श्री शाहनवाज खां : राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बहुत व्यापक है और सरकार को इसके बारे में बहुत सोच समझकर निर्णय करना होगा ...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार को सोचने समझने में कितने वर्ष लगेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : इस बार इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि चीनी के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करना बहुत महत्वपूर्ण है, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते ...

प्रो० मधु दंडवते : यह गुमराह कर रहे हैं। निर्यात का राष्ट्रीयकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अमृत नाहटा : राष्ट्रीयकरण के बाद निर्यात बढ़ भी सकता है।

श्री शाहनवाज खां : किसानों को उचित भुगतान करन की आवश्यकता को हम भली-भांति समझते हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में अनेक कदम उठाये हैं। हमने वाणिज्यिक बैंकों को यह निर्देश जारी किये हैं कि चीनी मिलों को अग्रिम धनराशि देते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उन्हें सर्व प्रथम गन्ने की वसूली का भुगतान करना चाहिये। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भुगतान का कार्य साथ साथ होता जा रहा है और वहां इस वर्ष का भुगतान बकाया नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : हम आप का संरक्षण चाहते हैं। यह प्रश्न अनेक बार पूछा गया था, परन्तु सरकार ने कभी भी इसका स्पष्ट उत्तर नही दिया है। आपको हमें सदन के दोनों ओर से बचाना चाहिये। यह प्रश्न बार-बार पूछा गया था और प्रत्येक बार इन्होंने यही कहा कि वह उपयुक्त समय पर उपयुक्त निर्णय ले लेंगे और इसमें कुछ समय लेगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप निर्णय देने की शक्ति भी मुझे दे दें तो मैं आप को संरक्षण प्रदान कर सकता हूं ।

Shri Ram Chander Vikal : Mr. Speaker Sir, a satisfactory answer has been given by the Minister regarding the sugarcane prices. I think there are sufficient arrears of sugarcane growers in U.P. and Bihar towards sugar Mill owners. So my submission is that an apportunity should be provided for discussing this issue.

Mr. Speaker : You had some experience as a Minister in U.P. Now kindly sit down.

महाराष्ट्र में सिंचाई की धीमी प्रगति

*468. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में सतही (सर्फेस) सिंचाई द्वारा महाराष्ट्र में कितनी भूमि की सिंचाई की गई थी ;

(ख) इस राज्य में सिंचाई की धीमि गति के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस राज्य में तोड़ (फ्लो) सिंचाई का विकास करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अथवा करने का विचार किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) महाराष्ट्र में 1972–73 और 1973–74 में तालाबों द्वारा सींची गई 250 एकड़ भूमि को छोड़कर सतही सिंचाई द्वारा सींची गई भूमि इस प्रकार है ।

1972–73	4.31 लाख हैक्टेयर
1973–74	5.23 लाख हैक्टेयर

1974–75 में सिंचाई की गई भूमि के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) और (ग) सिंचाई के विकास की गति संतोषजनक रही है क्योंकि राज्य सिंचाई के क्षेत्र में बहुत बड़ी रकमें खर्च कर रहा है ? राज्य सरकार का पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई पर परिव्यय को दुगना करने का विचार है । चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्माण की गई 2.78 लाख हैक्टेयर सिंचाई शक्यता की तुलना में पांचवी योजना के दौरान राज्य में बड़ी तथा मध्यम स्कीमों से 5.15 लाख हैक्टेयर सिंचाई शक्यता का निर्माण करने की योजना है ।

महाराष्ट्र सरकार ने निर्माण की गई सिंचाई शक्यता के समुपयोजन को बढ़ाने हेतु कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्थापना की है ।

श्री शंकर राव सावंत : अपना पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि आंकड़ों में कुछ गड़बड़ है। विवरण में कहा गया है कि 5वीं योजना में 5.15 लाख हैक्टयर की शक्यता की व्यवस्था की गई है जबकि वर्ष 1973–74 के विवरण के अनुसार 5.23 लाख हैक्टेयर भमि की सिंचाई पहले ही की जा चुकी है। विवरण में यह भी बताया गया है कि चौथी योजना में 2.78 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा चुकी है। यह क्या गड़बड़ है? क्या वह इसका स्पष्टीकरण करेंगे?

श्री केदार नाथ सिंह : पांचवी योजना के दौरान बड़ी तथा मध्यम दर्जे की योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई 2 संभाव्ययता (शक्यता) का लक्ष्य 5.15 लाख हैक्टेयर रखा गया है जबकि गत योजना में 2.78 लाख हैक्टेयर भूमि का विकास किया गया था।

श्री शंकर राव सावंत : इनका कहना है कि चौथी योजना में यह 2.78 लाख हैक्टेयर थी। परन्तु अकेले वर्ष 1972–73 में यह 4.31 लाख हैक्टेयर थी।

श्री केदार नाथ सिंह : गत योजना में यह 2.78 लाख हैक्टेयर थी तथा पांचवी योजना में हमारा विचार इसे 5.15 लाख हैक्टेयर करने का है।

श्री शंकर राव सावंत : आपने यह भी बताया है कि वर्ष 1972–73 में यह 4.31 लाख हैक्टयर थी।

श्री केदार नाथ सिंह : चौथी योजना में हमने 2.78 लाख हैक्टेयर का निर्माण किया। यह आँकड़े उन्हें भले ही मान्य न हो परन्तु यह आंकड़े वही है जो मेरे पास उपलब्ध है।

श्री शंकर राव सावंत : जैसा कि आपने केवल एक वर्ष में यह 4 लाख हो गई जबकि सम्पूर्ण चौथी योजना में यह 2 लाख रहीं। यह कैसे हो सकता है?

श्री केदार नाथ सिंह : आप आंकड़ों से भले ही सहमत न हों। परन्तु जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है वह यही बताते हैं। चौथी योजना में हमने 2.78 लाख हैक्टेयर सिंचाई सम्भावव्यता का निर्णय किया गया था और अब पांचवी योजना में हमारा विचार 5.15 लाख हैक्टेयर का निर्माण करने का है।

श्री शंकर राव सावंत : इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में सिंचाई सम्भावनाओं का विकास करने के लिए क्या प्रयास किए गये हैं। केन्द्र द्वारा कितनी सिंचाई योजनाओं की मंजूरी दी गई है और अब तक कितनी वित्तीय सहायता केन्द्र द्वारा दी गई है और अन्य कितनी सहायता देने का विचार है।

श्री केदार नाथ सिंह : केन्द्र सरकार द्वारा धन नहीं दिया जाता है। केन्द्र सरकार अनुदान तथा ऋण देती है। अपने बजट से वित्तीय व्यवस्था का प्रबन्ध करना राज्य सरकारों का अपना दायित्व होता है। इस का निर्णय उन्हें स्वयं करना होता है। हम केवल यही करते हैं कि जब कभी कोई राज्य सरकार कठिन स्थिति में हो तो उस समय हम उसकी अपेक्षित सहायता कर देते हैं। अपने कार्यों के लिए व्यवस्था करने का पूर्ण दायित्व केवल राज्य सरकार का ही होता है।

श्री शंकर राव सावंत : केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऋण के रूप में कितनी सहायता दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है मानो कोई आप की घरेलू लड़ाई हो रही हो ।

श्री शंकर राव सावंत : मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हें कितनी राजकीय सहायता दी गई है ।

श्री केदार नाथ सिंह : इस समय उसके आंकड़ मेरे पास नहीं हैं । अगर वह अलग नोटिस दे तो आंकड़े दिये जा सकते हैं ।

श्री शंकर राव सावंत : श्रीमानजी प्रश्न का (ग) भाग है, राज्य में तोड़ (फूलो) सिंचाई का विकास करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ? मैंने यह प्रश्न पूछा था ।

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष की ओर भी तो देखिये ।

Shri T. D. Kamble : Mr. Sheaker, Sir, I want to know that that after making full use of all the irrigation resources in Maharashtra, how much land can be brought under irrigation ? What will be its percentage.

श्री केदार नाथ सिंह : यदि सम्पूर्ण विकसित की गई शक्यता का उपभोग किया जाये तो हमें आशा है कि हम 58 प्रतिशत तक पहुंच जायेंगे ।

श्री कृष्ण राव पाटिल : मंत्री महोदय द्वारा बताई गई प्रतिशतता ठीक नहीं है । महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त की गई कार्वे समिति ने इसे केवल 25 प्रतिशत बताया है । . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया वक्तव्य बनाये रखिये ।

Shri T. D. Kamble : On what basis he said so ?

Shri Kedar Nath Singh : Hon. Member has asked about the potential created and further asked about its full utilisation and I told that it will be one third.

अध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र के तीन सदस्य एक साथ कैसे खड़े हो गये हैं । मंत्री महोदय ने बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया है ।

श्री कृष्णराव पाटिल : श्रीमान जी प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कुछ आंकड़े दिये हैं । क्या उनका कहने का तात्पर्य यह है कि सिंचाई सम्भावनायें संतोषजनक है ? मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं । सिंचाई शक्यता की प्रतिशतता जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा निकाली गई है वह अखिल भारतीय 22 प्रतिशत की तुलना में 6 प्रतिशत है । क्या मंत्री महोदय इस 6 प्रतिशत को अखिल भारतीय 22 प्रतिशत की तुलना में संतोषजनक मानते हैं ?

श्री केदार नाथ सिंह : महाराष्ट्र में सिंचाई कार्य संबंधी प्रगति से कोई भी खुश नहीं है। परन्तु मैं माननीय सदस्य महोदय को यह बता देना चाहता हूं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में अखिल भारतीय स्तर पर सिंचाई पर खर्च की जाने वाली धनराशि 2,401 करोड़ है और महाराष्ट्र द्वारा 375 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। यह धनराशि अखिल भारतीय धनराशि की तुलना में अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : अब कोई विवाद की बात नहीं है। उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब आप सब बैठ जाइये।

श्री धामनकर : मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मंत्री महोदय द्वारा जो आंकड़े दिये गये हैं वह अलग हैं। प्रश्न सतही (सर्फेस) सिंचाई के बारे में है। वक्तव्य में केवल माध्यम तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं के आंकड़े दिय गये हैं। छोटी सिंचाई के परिणाम शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। मुझे यह मालूम नहीं कि छोटी सिंचाई योजना की कोई मंजूरी दी गई है या नहीं। मंत्री महोदय द्वारा पांचवी योजना में छोटी सिंचाई योजना सम्बन्धी कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में छोटी सिंचाई योजनाओं की स्थिति क्या है ?

श्री केदार नाथ सिंह : मैंने मध्यम तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। महाराष्ट्र में छोटी सिंचाई योजनाओं की संख्या मध्यम तथा बड़ी योजनाओं की तुलना में अधिक है।

प्रो० मधु दंडवते : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि महाराष्ट्र अभावग्रस्त क्षेत्र है और उसके लिए छोटी सिंचाई परियोजनायें अधिक लाभदायक सिद्ध होगीं, मैं यह जानना चहाता हूं कि उनके लिए कितनी सहायता दी जायगी। आप कृपया यह बताईये कि कुल कितनी सहायता दी जायेगी।

श्री केदार नाथ सिंह : छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की भारत सरकार की कोई नीति नहीं है।

श्री राम सहाय पांडे : कुल कितना जल उपलब्ध है और आप पंचवर्षीय योजना में जो सहायता महाराष्ट्र सरकार को छोटी, मध्यम तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिए दे रहे हैं उससे कुल कितनी भूमी की सिंचाई हो पायेगी ?

श्री केदार नाथ सिंह : पांचवी पंच वर्षीय योजना में चालू योजनाओं पर 375 करोड़ रुपये तथा नई योजनाओं पर 119 करोड़ रुपये तथा अनुसंधान तथा खोज कार्यों के लिए 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

गुजरात में राष्ट्रीय पार्क का विकास

***469. श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में जूनागढ़ में राष्ट्रीय पार्क का विकास करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) इसके लिये कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है, और

(ग) इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख): 1412 वर्ग कि० मी० के पूरे गिर वन को आश्रय-स्थल घोषित किया गया है, जिसमें से 140.40 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पार्क बनाया जा रहा है। वन्य प्राणि (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना जारी कर दी गई है और अधिकारों आदि क संबंध में जूनागढ़ के कलक्टर द्वारा की जा रही जांच के पूरा होने पर अन्तिम अधिसूचना जारी की जायेगी। राष्ट्रीय पार्क में चराई करने या पेड़ काटने तथा शिकार खेलने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

(ग) इस समय गिर आश्रय-क्षेत्र में लगभग 840 मालधारी परिवार अस्थाई बस्तियां बना कर रह रहे हैं जिनके पास लगभग 17,000 पशु हैं। अब तक 92 परिवारों को वहां से स्थानान्तरित किया जा चुका है। आशा है पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्थानान्तरण का यह काम पूरा हो जायेगा। राज्य सरकार उन्हें पुनर्वास के स्थान पर प्रत्येक परिवार को आवास के लिये 8 एकड़ भूमि दे रही है।

श्री वेकारिया : श्रीमान जी मेरे प्रश्न के (ग) भाग के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है कि 840 परिवारों में से 92 परिवारों का पुनर्वास हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पुनर्वास कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं? एक अन्य बात भी है। गत 3 वर्षों में एक भी परिवार को उस क्षेत्र में बसने नहीं दिया गया है। इन क्षेत्रों में परिवारों को शीघ्र न बसने दिये जान के क्या कारण हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : श्रीमान जी पुनर्वास के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु उसमें हिचकिचाहट है जोकि स्वाभाविक ही है। हम सभी मनुष्य हैं और इसे समझ सकते हैं। लोग एक क्षेत्र से दूसरे में जाकर बसने में हिचकिचाते हैं। गुजरात सरकार किसानों से, तथा खेतिहारों से अन्य क्षेत्रों में जाकर बसने के लिये अनुरोध कर रही है।

श्री वेकारिया : श्रीमान जी इस शरण स्थान को नेशनल पार्क घोषित करने में सरकार का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों और विशेषतया सिंह आदि जानवरों का जीवन सुरक्षित करने का था। श्रीमान जी दिन प्रतिदिन सिंहों की संख्या कम होती जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में वन्य जीवों तथा विशेषतया सिंहों आदि का जीवन सुरक्षित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: श्रीमान जी, इस सदन द्वारा वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम पारित करने का उद्देश्य ही सिंहों सहित वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना था। यह ठीक है कि सिंहों की जनसंख्या में हाल ही में कुछ कमी हुई है। वर्ष 1950 में यह 200 थे, वर्ष 285 थे जब कि वर्ष 1968 में यह कम हो कर 177 ही रह गये। इस प्रस्तावित शरण स्थल के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to questions

गंडक क्षेत्र की समस्यायें

*470. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले 22 फरवरी, 1975 के "दि इंडियन नेशन' में "प्राबलम्स आफ गंडक एरिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में यह बताया गया है कि विश्व बैंक के विशेषज्ञ डा० डी० कैम्पर्बल ने पानी के रुकने तथा रिसने और विभिन्न अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में बाल्मीकी-नगर से मोतीहारी तक गंडक क्षेत्र का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक के विशेषज्ञ ने केन्द्रीय सरकार के कहने पर इस क्षेत्र का दौरा किया था ;

(ग) इस संबंध में विशेषज्ञ ने क्या प्रतिवेदन दिया है तथा विश्व बैंक का विचार कितनी सहायता देने का है ; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) से (घ) : भारत सरकार ने पटना से प्रकाशित होने वाले 22 फरवरी, 1975 के 'दी इंडियन नैशन' में प्रकाशित होने वाले समाचार को देखा है।

2. देश में चुने हुये सिंचाई कमान्ड क्षेत्रों के विकास के लिये आर्थिक सहायता प्राप्त करने के प्रश्न पर गत कुछ समय से विश्व बैंक (अं० वि० ए०) के साथ पत्र-व्यवहार होता रहा है। उन्होंने जनवरी, 1975 में यह संकेत दिया था कि कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम क संबंध में ऐसी परियोजनाओं की ज़रूरतों का अध्ययन करने के लिये श्री डी० कैम्पर्बल के नेतृत्व में एक मिशन इस देश का दौरा करेगा। उसके अध्ययन के आधार पर बैंक यह निर्णय करेगा कि विश्व बैंक (अ० वि० ए०) की सहायता से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की रूपरेखा तथा आकार कैसा होगा। जनवरी फरवरी, 1975 के महीनों में विश्व बैंक मिशन ने बिहार की गंडक परियोजना तथा कई सिंचाई परियोजनाओं का दौरा किया था। मिशन ने 13 से 15 फरवरी, 1975 तक बाल्मीकी-नगर से मोतीहारी तक बिहार के गंडक परियोजना क्षेत्र का दौरा किया और इसके बाद जल-निष्कासन की समस्या तथा परियोजना क्षेत्र की विभिन्न मदों के बारे में पटना में विचार-विमर्श किया था। आशा है मिशन विश्व बैंक को अपनी अन्तिम सिफारिशें देने से पहले पुनः दौरा करेगा। अतः अभी यह बताना संभव नहीं है कि बिहार में गंडक परियोजना के कमांड क्षेत्र विकास के लिये विश्व बैंक से कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।

गुजरात में रात्रि स्कूल

*471. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में अशिक्षित प्रौढ़ व्यक्तियों के लिये और उन व्यक्तियों के लिये जो दिन के समय स्कूल नहीं जा सकते जिलेवार, कितने रात्रि स्कूल चल रहे हैं;

(ख) प्रत्येक जिले में ऐसी शिक्षा कितने व्यक्ति प्राप्त करते हैं; और

(ग) वर्ष 1973–74 में उक्त योजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Starvation Deaths in Chhattisgarh Area of M. P.

*472. **Shri Phool Chand Verma :**

Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) The number of persons starved to death so far due to famine and drought conditions in Chattisgarh area of Madhya Pradesh and the number of persons who have left Chhattisgarh for other places; and

(b) The facilities provided so far to the Government of Madhya Pradesh by Central Government to overcome famine conditions and the assistance proposed to be given in future ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation : (Shri Annasaheb P. Shinde) :

(a) The Madhya Pradesh Government has reported that there have been no cases of starvation deaths in the Chhattisgarh region of the State. The State Government has also received no reports of any large scale migration of labour from this region on account of scarcity conditions.

(b) The Government of India has sanctioned an advance plan assistance of Rs. 6·50 crores to the State Government during the current financial year to help it to meet the drought situation. It has also been allotting foodgrains to the State to the extent possible to help them to maintain the public distribution system.

उड़ीसा में दुग्धचूर्ण एकक

*473. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य में दुग्धचूर्ण एकक स्थापित करने की किसी योजना को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और केन्द्रीय सरकार ने राज्य को कितना सहयोग दिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में शिक्षा का प्रसार

*474. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष 1974–75 में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कालेजों के स्तर पर शिक्षा का प्रसार करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : वर्ष 1974–75 के दौरान 12 नए उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गए और 8 विद्यमान मिडिल स्कूलों को प्रोन्नत किया गया। इसके अतिरिक्त विद्यमान स्कूलों में 175 सेक्शन बढ़ाए गए हैं। कालेज स्तर पर, कुछ कालेजों में और अधिक आनर्स पाठ्यक्रम तथा बी० काम० (पास) पाठ्यक्रम लागू किए गए और बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम के वैकल्पिक विषयों की संख्या भी बढ़ाई गई है।

धान की खेती और उसका उत्पादन

476. **श्री वरके जार्ज** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय धान की खेती के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) कितने क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्में बोई गई हैं और वह कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत है; और

(ग) अधिक उपज देने वाली किस्मों का देश में धान के कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख): वर्ष 1973–74 की अवधि में देश में 380 लाख हैक्टार क्षेत्र को धान की खेती के अन्तर्गत लाया गया था। इस में से 97 लाख हैक्टार (25.5 प्रतिशत) क्षेत्र धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत लाया गया था।

(ग) वर्ष 1966–67 में (जबकि अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू किया गया था) देश में चावल का उत्पादन 304 लाख मीटरी टन था 1973–74 में यह उत्पादन बढ़कर 437 लाख मीटरी टन हो गया।

कलकत्ता में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की मांगें

*477. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर**
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हड़ताल करने के कारण बृहतर कलकत्ता में राशनिंग व्यवस्था के बिगड़ जाने के बारे में 3 मार्च 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1875 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का कलकत्ता में भारतीय

खाद्य निगम के कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूरा करके उनकी हड़ताल का हल निकालने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि कलकत्ता की जनता को परेशानी न उठानी पड़े ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : कलकत्ता स्थित भारतीय खाद्य निगम के विभागीय कर्मचारी 27-1-1975 से गैर-कानूनी ढंग से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के नोटिस में, भारतीय खाद्य निगम संघ ने अपनी सेवा-शर्तों आदि के बारे में अनेक मांगें रखी हैं, हालांकि उनकी मुख्य मांग उन 887 कर्मचारियों को फिर काम पर वापस लेने से सम्बन्धित है जिनकी भारतीय खाद्य निगम द्वारा कलकत्ता कम्पलेक्स में फालतू भण्डारण स्थान छोड़ने के फलस्वरूप छंटनी कर दी गई थी। भारतीय खाद्य निगम ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और उन्होंने कर्मचारी संघ को उनकी प्रत्येक मांग के बारे में 29-1-75 को उत्तर भेज दिया। फरवरी, 1975 में की गई अन्तिम पेशकश में, भारतीय खाद्य निगम ने छंटनी किये गये 325 से 350 कर्मचारियों तक को इस शर्त पर वापिस लेने का प्रस्ताव रखा है कि उनके पूर्वचरित की जांच तथा डाक्टरी परीक्षा की जायेगी और उन्हें अनुशासन तथा औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिये प्रतिज्ञा करनी होगी।

कर्मचारी संघ ने अपनी गैर-कानूनी हड़ताल समाप्त कर दी है और वे 10 मार्च, 1975 से काम पर वापस आ गए हैं।

कावेरी विवाद का समाधान

***478. श्री बाल कृष्ण वेन्कन्ना नायक**
श्री एम० कतामतु } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्यों के बीच कावेरी विवाद के समाधान के संबंध में केन्द्र द्वारा क्या अगला कदम उठाये जाने का विचार है और

(ख) इसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) : केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री तथा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों के बीच 15 और 16 फरवरी, 1975 को हुई अन्तर्राज्यीय बैठक में व्यक्त किए गए विचारों का अध्ययन किया जा रहा है कावेरी जल के उपयोग तथा विकास के संबंध में तीनों राज्यों के बीच मतभेदों को आपसी बातचीत द्वारा दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा और कोशिश करने का विचार है।

कलकत्ता में सांविधिक राशन व्यवस्था के स्थान पर सुधरी हुई राशन व्यवस्था लागू करना

***479. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हाल में हुई बैठक में जिसमें कुछ राज्य मंत्रियों और कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया था, उन्होंने यह सलाह दी थी कि कलकत्ता में सांविधिक राशन व्यवस्था के स्थान पर सुधरी हुई राशन व्यवस्था लागू की जाये,

(ख) यदि हां, तो यह सलाह किस आधार पर दी गई ; और

(ग) इस सलाह की कथित आलोचना पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) से (ग) : हाल ही मे कलकत्ता में राज भवन में अनौपचारिक चर्चा के दौरान यह प्रश्न उठाया गया था कि मौजूदा सांविधिक राशन व्यवस्था प्रणाली के अधीन ऊंची आय वर्ग के व्यक्तियों को भी नियंत्रित तथा सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न सप्लाई किए जाते हैं । इस पर कृषि तथा सिचाई मंत्री ने वैसे ही कहा था कि मौजूदा प्रणाली में संशोधन करने और शायद अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू करने की आवश्यक्ता पड़ेगी । तथापि उन्होंने यह कहा था कि मौजूदा प्रणाली में ऐसे किसी परिवर्तन के प्रश्न की उसकी विभिन्न जटिलताओं की दृष्टि में अत्यधिक सावधानी से जांच करनी होगी ।

पांचवीं योजना अवधि में पंजाब में बेकार पड़ी भूमि का विकास

*480. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में ऐसी बहुत सी भूमि बेकार पड़ी है जिसका प्रयोग खेती के लिए किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या धन की कमी के कारण पंजाब सरकार इसे खेती योग्य नहीं बना सकी है; और

(ग) क्या पांचवी योजना अवधि में बेकार पड़ी भूमि के विकास के लिए पंजाब सरकार को कोई धन-राशि आबंटित की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) : नवीनतम उपलब्ध भू उपयोग आंकड़ों (1972-73) के अनुसार, पंजाब में 73,000 हैक्टार कृषि योग्य बंजर भूमि है । इसमें से 42,000 हैक्टार क्षेत्र लवणता के अधिकता की वजह से पड़ा हुआ है ।

पंजाब सरकार क्षारीयता / अबलीयता से प्रभावित उपलब्ध बंजर भूमि का सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है । पांचवी योजना के लिए राज्य के कृषि विभाग के परिव्यय में ऐसी भूमि के सुधार के लिए 97.00 लाख रूपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त पंजाब मुद्रा परिक्षण विभाग के कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवी योजना की अवधि में "राक्कड" और "भर" क्षेत्र का सुधार करने के लिए 30.00 लाख रूपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । लवणीय, अमलीय और एसिडयुक्त भूमि का सुधार करने के लिए राज्यों को सहायता देने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना पर विचार किया गया है । पांचवी योजना के दौरान इस योजना की क्रयान्वित पर 13 करोड़ रूपये की रकम व्यय की जाएगी । इस योजना के अन्तर्गत, पंजाब तथा अन्य राज्यों के किसानों को राज सहायता देने का भी प्रस्ताव है, ताकि व भूमि के सुधार के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जिपसम की लागत को वहन कर सकें ।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के पदों का आरक्षण

*481. **श्री एस० एम० सिद्दया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापकों के पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण आरम्भ करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ,

(ख) क्या गृह मंत्रालय ने भी इस बीच ऐसे निदेश जारी किए है जिन में यह स्पष्ट किया है गया कि विश्वविद्यालयों को चाहिये कि वे संबंधित विधानों/संस्था के अन्तर्नियमों में उपयुक्त प्रावधान करके अपने यहां सभी पदों में आरक्षण करने को अनुमति दें; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में सभी श्रेणियों के पदो पर भर्ती तथा पदोन्नति के समय ही आरक्षण करना आरम्भ कराना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी हां ।

(ख) गृह मंत्रालय ने, सितम्बर 1974 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले स्वायति निकायों,संस्थाओं को नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था ।

(ग) इस मंत्रालय ने वर्ष 1966 में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को एकपरिपत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु वर्तमान नियमों में संशोधन करने की वांछनियता पर विचार करने की सलाह दी गई थी। उसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि यद्यपि उच्च शिक्षा की संस्थाओं में उचित स्तरों को बनाये रखने की दृष्टि मे ऐसे नियमों का बनाना वांछनीय न होगा जिनसे शिक्षकों के स्तर में गिरावट आती हो, किन्तु प्रशासकीय, लिपिकीय तथा चर्तुथ श्रेणी के पदों के लिए नियमों में आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु विश्वविद्यालय को सलाह दी गई थी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 30 नवम्बर 1968 को हुई अपनी बैटक में इस संबंध में यह संकल्प पारित किया था, क्योंकि शिक्षक को महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसका शिक्षा की कोटी पर "बहुमुखी प्रभाव" पड़ता है इसलिए विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में सर्वोतम उपलब्ध व्यक्तियों को नियुक्त करने के भरसक प्रयास किए जाने चाहियें। और यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के हित में नहीं होगा यदि किसी ऐसी बात पर विचार किया जाए जिससे शिक्षकों के पदों पर योग्यतम और सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति करने में कोई बाधा आए ।

विश्वविद्यालयों मे शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण के संबंध में आयोग ने, 10-3-1975 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के संसद मंच से प्राप्त एक प्रसंग पर विचार किया था। आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण के प्रश्न पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के साथ और आगे विचार-विमर्श किया जाये ।

शिक्षकों के पदों के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय ने 8 मई, 1970 को निम्नलिखित निर्णय दिए थे :—

1. यदि अन्य बातें समान हों, तो विश्वविद्यालय/कालेजों में शिक्षकों के पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों पर समुचित रूप से विचार किया जाये तथा संबंधित चयन समितियों को शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियों की सिफारिश करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए ;

2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए शिक्षकों के पद आरक्षित करना शैक्षिक रूप से ठीक नहीं होगा ;

3. शिक्षकों के पदों के साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों का चयन करते समय तथा साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को ध्यान में रखा जाए;

4. विश्वविद्यालयों/कालिजों में शिक्षकों के पदा के लिए आवेदन पत्रों में एक कालम होना चाहिये/यह उल्लेख किया जा सके कि पदों के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से संबंधित है ।

Procedure for informing the Minister of the deliberations of House held in their absence.

*482 **SHRI JAMBUWANT DHOTE** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the procedure followed in communicating to the concerned Ministers the matters concering different Ministeries debated and discussed in the House in view of the fact that it is not always possible for all the Ministers to remain present in the House ;

(b) whether the replies to those matters received from concerned Ministries or Ministers are communicated to those Members who have raised the matter; and

(c) the details of the procedure followed in this regard ?

Minister of Works, Housing & Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah)

(a) to (c) :

When debates or discussions on matters pertaining to particular Ministers take place, the Minister concerned is invariably present in the House to take note of the points raised and deal with them suitably. Where matters concerning different Ministries are raised in the absence of the concerned Ministers at the time when Government business for the next week is announced, these are brought to their notice for appropriate action. Information received from Ministries in fulfilment of assurances given by Ministers is communicated to the Members concerned.

केन्द्रीय जल विद्युत आयोग के कर्मचारियों की वरिष्ठता

*483. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां तैयार करने के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार सभी स्थायी कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारियों से वरिष्ट समझा जाता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के स्थायी अधिकारी अपने अस्थायी सहयोगियों से कनिष्ठ रह जातें है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अन्याय को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी हां । वरिष्ठता नियत करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए समान्य सिद्धांतो के अनुसार कुछ निर्धारित शर्तों को पूरी करने पर प्रत्येक ग्रेड के स्थायी अधिकारी उसी ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में कार्य कर रहे अधिकारियों से वरिष्ठ होतें हैं ।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों की वरिष्ठता भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा 11 सितम्बर, 1959 को जारी की गई हिदायतों के अनुसार निर्धारित की जाती है । ये हिदायतें गृह मंत्रालय तथा संघ लोक आयोग सेवा के साथ परामर्श करके जारी की गई थीं । ये नियम विभेदकारी नहीं है और ये केन्द्रीय जल आयोग के सभी अधिकारियों को, जिनमें अनुसूचित जाति एंव जनजाति के अधिकारी भी शामिल है, लागू होते हैं ।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दुकानों का आबंटन

4476. श्रीमती मुकुल बनर्जी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कुछ वर्ष पूर्व गोल मार्किट, नयी दिल्ली स्थित 14 छोटी दुकानों का आंबटन किस प्रकार से तथा किस आधार पर किया गया था ;

(ख) उन अलाटियों के नाम क्या हैं और उनके अनुमति-प्राप्त व्यापार क्या हैं और उनसे प्रति मास क्या लाइसेंस शुल्क लिया जाता है ;

(ग) क्या ऐसे आंबंटन से पूर्व ये अलाटी नयी दिल्ली नगर पालिका की सीमा में पड़े थे और यदि हां, तो वे वहां कितने समय से पड़े थे; और

(घ) क्या ये अलाटी नियम के अन्तर्गत प्रमाणित अनधिवासी (स्क्वेटर्स) थे और यदि हां, तो उन्हें प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गोल मार्किट में 14 छोटी दुकानों का आंबटन पर्ची द्वारा ऐसे व्यक्तियों को किया गया था जिन्होंने गोल मार्किट क्षेत्र में अपने अनाधिवास-संबंधी प्रमाण दिये हैं । पर्चियां यह सुनिश्चित करने हेतु डाली गई थीं कि कौन सी दुकान किस अलाटी को दी जाए ।

(ख) एक सूची संलग्न है । (देखिए ग्रंथालय में रखी गई, संख्या एल० टी०—9280/75) । (एक अलाटी, श्री चन्द्र मान की मृत्यु हो गई है तथा आंबटन उसके पुत्र श्री मोहिन्द्र कुमार के नाम नियमित कर दिया गया है)

(ग) जी, हां। उनमें से पांच व्यक्ति नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 1960 अथवा उससे पहले से अपने अनधिवास संबंधी कागजात पेश कर सके। शेष नौ में से एक ने वर्ष 1962 के, एक व्यक्ति ने 1963 के, दो व्यक्तियों ने 1966 के तथा पांच व्यक्तियों ने 1968 के कागजात पेश किये हैं।

(घ) जी, नहीं । आबंटन के समय लागू नगर पालिका की नीति के अनुसार बनाई गई सूची में उनमें से कोई भी नहीं थी ।

ग्रामीण रोजगार के लिये योजना

4477. श्री भागीरथ भंवर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार और अल्प-रोजगार की समस्या के समाधान हेतु कोई नई योजनायें बनाई गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सूखे की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के लिये राज्यों में भेजे गये केन्द्रीय दलों द्वारा की गई सिफारिशें

4478. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में भेजे गये केन्द्रीय दलों के निष्कर्षों पर निर्णय के बारे में 13 दिसम्बर, 1974 के आतारांकित प्रश्न संख्या 4373 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में सूखे की स्थिति के बारे में केन्द्र के अनुमान के संबंध में राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधीत मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार ने इन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में तीन केन्द्रीय दलों की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा लगाए गए अनुमान और चालू वित्तीय वर्ष में इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपायों से आमतौर पर सहमत हो गई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) राज्यों को प्रत्येक के सामने दिखाए गए प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई अग्रिम केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है ।

1. गुजरात	(करोड़ रुपये)
(1) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	4.25
(2) निर्दिष्ट मध्यम सिंचाई परियोजनायें	0.89
(3) सावरमती सिंचाई परियोजना	2
(4) राजकीय सड़कें	2
(5) सूखाग्रस्त क्षेत्रों कार्यक्रम के जिलों से बाहर भूमि संरक्षण और वन रोपण	3
(6) ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप लगाना*	2
योग	14.14

* राज्य सरकार के वास्तविक कार्यक्रम और खर्च के आधार पर ।

2. राजस्थान (करोड़ रुपये)

(1)	राजस्थान नहर के लिए अग्रिम योजना की सहायता	2.24
(2)	राजस्थान नहर पर सूखे से प्रभावित श्रमिकों को रोजगार	3.00
(3)	माही जेठपुर और जाखम सिंचाई परियोजनाओं में सूखे से प्रभावित श्रमिकों को रोजगार	2.00
(4)	एम० एन० पी० और राजकीय सड़कों के निर्माण के लिए सूखे से प्रभावित श्रमिकों को रोजगार	3.00
	योग	10.24

3. उड़ीसा

(1)	पेयजल के निर्माण कार्य	1.20
(2)	47 चालू लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना	2.00
(3)	नई लघु सिंचाई परियोजनायें	1.00
(4)	एम० एन० पी० और राजकीय सड़कें, भूमि संरक्षण तथा वन-रोपण	3.71
	योग	7.91

Tobacco Production in Madhya Pradesh

4479. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether tobacco production in Madhya Pradesh declined during 1973-74 as compared to the production of 1972-73;

(b) If so, the reasons therefor; and

(c) Whether Government propose to provide facilities to the peasants of Madhya Pradesh with the object of boosting tobacco production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) :

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

(c) There is at present no specific proposal before the Government of India to provide facilities to the peasant of Madhya Pradesh with the object of boosting tobacco production.

Pay Scales of Drawing Teachers in Delhi

†4480. **Shri Purushottam Kakodkar** : Will the Minister of **Education, Social Welfare & Culture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2409 on the 11th March, 1974 regarding the memorandum submitted to the Chief Executive Councillor of Delhi by the Government Secondry Art Teachers' Association, Delhi on the 3rd January, 1973 and state :

(a) Whether instructions to implement the first demand as accepted by Government in regard to granting of pay scales of Rs. 250—550 with effect from 27th May, 1970 to the art teachers have been issued ;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the time by which Government propose to issue them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) to (c) The scale of Rs. 250—550 is already available to Drawing Teachers Grade II. There are two more scales for Drawing Teachers i.e., Rs. 220—430 for Grade III Teachers and Rs. 350—700 for Grade I Teachers i.e., Post Graduate Teachers. The Drawing Teachers in the scale of Rs. 220—430 are eligible for promotion to the scale of Rs. 250—550 and the teachers in the scale of Rs. 250—550 are eligible for promotion to the scale of Rs. 350—700 subject to fulfilment of the provisions regarding minimum qualifications and experience prescribed under the Recruitment Rules.

चल्लाकीव, कर्नाटक में केन्द्रीय भेड़ पालन केन्द्र को अनुदान

4481. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चल्लाकीव में केन्द्र प्रायोजित भेड़ पालन केन्द्र के विकास की गति अनावभाव के कारण मन्द पड़ गई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त चल्लाकीव भेड़ पालन केन्द्र के विकासार्थ केन्द्रीय सरकार का अतिरिक्त अनुदान मंजूर करने का विचार है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

Irrigation Projects in Drought-Prone Areas of Madhya Pradesh

4482. **Shri Martand Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether any representation has been received from the Government of Madhya Pradesh inviting centre's attention towards certain irrigation projects in drought affected areas in Madhya Pradesh ;

(b) If so, the reaction of the Central Government thereto; and

(c) The amount of Central assistance to be received for each of these projects ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) The Central Sector Scheme of drought prone areas programme covers areas of Jhabua, Dhar, Sidhi, Betul, Khargone and Shadole of Madhya Pradesh. The scheme provides for a total outlay of Rs. 24·80 crores during the Fifth plan period to be equally matched by State and Central Contributions. Of this, Rs 16 crores are earmarked for irrigation works.

In October 1974 the Government of Madhya Pradesh had requested for clearance of certain major and medium irrigation projects which included taking up of medium irrigation projects in Sidhi and Shadole area. The State Government was advised to concentrate on a few projects, as the taking up of a number of projects, in the context of the financial constraints, was likely to delay the completion of the projects and realisation of the benefits therefrom.

साहित्य अकादमी का प्रकाशन कार्यक्रम

4483. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी अपने प्रकाशन कार्य क्रमों को पूरा करने में कठिनाई अनुभव कर रही है क्योंकि उसके पास सीमित धन है और पुस्तक प्रकाशन का खर्च बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अकादमी के वित्तीय अनुदान में वृद्धि करने का है ताकि वह विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य के विकास के कार्य को पूर्ण कर सकें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) साहित्य अकादमी का प्रकाशन कार्यक्रम अकादमी को सरकार द्वारा दिए गए कुल अनुदान में से विशिष्टरुप से इसी प्रयोजन के लिए आंबटित राशि के आधार पर चलाया जाता है यद्यिप, अकादमी को दिए गए कुल अनुदान में उत्तरोतर वृद्धि हुई है, जैसे 1971–72 में यह अनुदान 9.53 लाख रुपये से बढ़कर 1974–75 में 13.98 लाख रुपये हो गया। प्रकाशन लागतों तथा साथ ही भण्डार मूल्य में सामान्य वृद्धि से भी पर्याप्त सीमा तक, अकादमी के कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ा है ।

(ख) संसाधनों पर वर्तमान दवाब के अन्तर्गत अकादमी की आवश्यक्ताओं को पूरा करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है ताकि अकादमी प्रकाशन कार्यक्रम सहित अपने विभिन्न कार्यकलापों को चला सके ।

लद्दाख में अधिक ऊंचाई पर कृषि तथा सब्जियों की काश्त

4484. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में इस समय अधिक ऊंचाई पर कृषि करने तथा सब्जियों की काश्त करने के लिए चलाई गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या है :

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : लद्दाख में केन्द्रीय क्षेत्र की ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। राज्य क्षेत्र योजना के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

तिरुचिरापल्ली में क्षेत्रिय इंजीनियरिंग कालेज

4486. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडू स्थित तिरूचिरापल्ली में क्षेत्रिय इंजिनियरिंग कालेज किस तारीख को खोला गया था ;

(ख) वर्तमान गर्वनर-मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनकी क्या-क्या स्थिति है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बोर्ड की कितनी बैठकें किस-किस तारीख को तथा किस किस स्थान पर हुई हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान हुई प्रत्येक बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनकी मोटी रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) क्षेत्रिय इंजिनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली 1 जुलाई, 1964 को प्रारम्भ हुआ था।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9281/75]

(घ) योजना की व्यवस्था के अनुसार, शासी-मंडल को, कालेज के कार्यों के प्रबंध तथा प्रशासन व मामलों के लिए पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

विवरण में दिए अए सभी अवसरों पर शासी मंडल की बैटकों में संस्थान क प्रशासन संबंधी मामलों ; जैसे, कि स्टाफ, वेतनमानों, सेवा शर्तों इत्यादि के साथ-साथ शैक्षणिक मामलों जैसे कि उपस्कर की खरीद, भवनों का निर्माण, छात्रों तथा स्टाफ के लिए सुविधाओं की व्यवस्था इत्यादि पर विचार किया गया था।

Official Telegrams sent by Ministry

†**4487. Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) The number of official telegrams sent to various Departments of the State Governments and their subordinate offices during the last three months by this Ministry ;

(b) The number of telegrams sent in Hindi and in English, out of them; and

(c) the reasons for not sending these telegrams in Hindi and the action being taken in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Eduction and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) to (c) The number of official telegrams issued by the Ministry to the State Governments and their subordinate offices during the three months ending 28th February 1975 was 2662. Of this number, 20 were issued in Hindi and 2642 in English.

The telegrams addressed to the non-Hindi speaking States which have not adopted Hindi as their official language have, under statutory requirement, to be issued in English. 2261 telegrams were, therefore, issued in English to such States. With a view to improving the position of the issue of telegrams in Hindi to the other States, workshops are organised in the Ministry in which the necessary training in Hindi drafting, including drafting telegrams, is imparted to the staff which has inadequate experience in this field.

डी० आई० जैड० क्षेत्र नई दिल्ली में पेट्रोल पम्प का लगाया जाना

4488. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय ने डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में एक पेट्रोल पम्प लगाने के लिए भूमि देने का निर्णय किया था ;

(ख) क्या डी० आई० जैड० क्षेत्र में पुनर्विकास की जांच करने वाली ने समिति इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है और उसने वहां पर पेट्रोल पम्प की स्थापना की सिफारिश नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय पैट्रोल-पम्प के लिए भूमि के आबंटन के पहले जारी किए गए आदेश को रद्द करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ड० आई० जैड० क्षेत्र में कोई पेट्रोल पम्प स्थापित न किया जाए ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां । नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समितिने डी० आई० जैड० क्षेत्र के सेक्टर I तथा II की अपनी रिपोर्ट में पेट्रोल पम्प के लिये आबंटित क्षेत्र को "हरित" रखा है ।

(ग) पैट्रोल पम्प के लिए किए गये आबंटन को रद करने के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि समिति की शेष क्षेत्र की रिपोर्ट प्राप्त होने तक डी० आई० जैड० क्षेत्र में कोई पैट्रोल पम्प नहीं लगाया जाएगा ।

मधुबनी स्थित पैयाम शूगर फैक्टरी के चीनी के समूचे स्टाक का निर्यात करने की अनुमति

4489. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधुबनी (पूर्ववर्ती दरभंगा) जिले में पैयाम शूगर फैक्टरी कई वर्षों से कार्य नहीं कर रही थी तथा अब इसको सहकारी संस्था के अधीन एवम नए सहकारी प्रबन्ध में पुनः चालू किया गया है ;

(ख) क्या इस फैक्टरी के नए निर्देशक मंडल ने सरकार से इस फैक्टरी के बन्द रहने एंवम पहले प्रबंध के अधीन रहने के दौरान हुए भारी घाटे को पूरा करने के लिए, एक विशेष मामले के रूप में, इस फैक्टरी को अपनी चीनी के समूचे स्टाक का निर्यात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) दरभंगा जिला में रयाम में एक चीनी फैक्टरी है । पिछले दस वर्षों के दौरान, इसने केवल 1972–73 मौसम में ही काम नहीं किया था । इसको अब सहकारी चीनी फैक्ट्री में बदल दिया गया है और इसका नाम "दी तिरहुत कोआप्रैटिव शुगर फैक्टरी लि०, रयम" रख दिया गया है ।

(ख) जी हां ; मुक्त बिक्री की 500 मीटरी टन चीनी निर्यात हेतु निर्मुक्त करने के लिए ।

(ग) 400 मीटरी टन की निर्मुक्त की गई है ।

शिशु आहार और अन्य तैयार आहार (प्रोसेस्ड फूड) का उत्पादन करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव

4490. **श्रीमती प्रेमला बाई दाजी साहेब चव्हाण :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम लागत पर शिशु आहार और अन्य तैयार आहार का उत्पादन करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक निगम की स्थापना करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कमजोर वर्ग के लिए विभिन्न किस्म के खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए पौषाहार खाद्य विकास निगम स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। यह निर्णय किया गया है कि इस कार्य के लिए फिलहाल मौजूदा एजन्सियों का ही इस्तेमाल किया जाए।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

New Universities

†4491. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) The number of new Universities, for the opening of which proposals have been approved or are yet to be approved or are under consideration, throughout India during 1975; and

(b) The broad outlines thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) According to the information furnished by the University Grants Commission the proposal for establishment of a University of Science and Technology in Tamil Nadu has been accepted in principle on the conditions that the proposed University should include under it the Departments of Chemical Technology, Leather Technology, Textile Technology, and Architecture and Town Planning of the University of Madras.

The following proposals are at various stages of examination :—

(1) University in Vidharbha Region at Amrawati.

(2) University in Western Maharashtra Region.

(3) University at Midnapore in West Bengal.

(4) Residential University at Bhavnagar.

(5) Agriculture University at Faizabad.

(6) Agriculture University at Kanpur.

(7) Agriculture University at Dharwar.

(8) and (9) Upgrading of the Post-Graduate Centre at (i) Guntur and (ii) Warangal into Universities.

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को अनुदान

4492. **श्री हुक्म चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73 और वर्ष 1973–74 में क्रमशः विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि का अनुदान दिया गया है और अनुदान वर्षवार किन-किन मदों पर खर्च किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। दखिए संख्या एल० टी०–9282/75].

स्वीकृत पांडुलिपियों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार

4493. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 के दौरान 10 स्वीकृत पाण्डुलिपियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वालों के नाम क्या है तथा उसका मापदंड क्या है ; और

(ख) राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने से पूर्व कौन सा प्राधिकरण इनकी जांच करता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) आदरणीय सदस्य का तात्पर्य सम्भवत: "अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी लेखकों को उनके हिन्दी के साहित्यिक कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान करने की योजना" के अन्तर्गत प्रदान किए गए पुरस्कारों से है । वर्ष 1973–74 के लिए 10 प्रथम पुरस्कारों की और 3 द्वितीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है । प्राप्तकर्ताओं के नाम निम्नलिखित है :—

प्रथम पुरस्कार

1. श्री ए० पी० कामथ
2. श्री एम० एम० जगताप
3. श्री के० नारायण
4. डा० एन० रामन नायर
5. श्री एस० सी० चुत्कीमठ
6. श्री एस० आर० जोशी
7. श्री एन० मिश्र
8. श्री वी० रामामूर्ती रेणू
9. श्री आर० विलनाथन
10. डा० ए० एन० रेना

द्वितीय पुरस्कार

1. श्री आर० बी० परमार
2. प्रो० ए० ए० सनदी
3. श्री मोहम्मद मलिक मुदालगी

उम्मीदवारों द्वारा भेजी गई प्रविष्टियों का, इस प्रयोजन के लिए चुने गए हिन्दी विद्वानों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तथा उनके मूल्यांकन के आधार पर, सरकार द्वारा उत्कृष्ट कृतियां पुरस्कार के लिए चुनी जाती हैं।

केरल में सरकारी दुग्ध डेरियां

4494. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे केरल राज्य में सहकारी आधार पर कितनी दुग्ध डेरियां काम कर रही हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं, और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उनमें दूध का उत्पादन कितना हुआ है तथा इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) केरल के सहकारी क्षेत्र में तीन डेरी संयंत्र कार्य कर रहें है । ये कालीकट, कोटायाम और पालघाट में हैं ।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान के उत्पादन के आंकड़े तथा प्रगति इस प्रकार है :—

(प्रतिदिन के आंकड़े लिटरों में)

डेरी का नाम	अधिष्ठापित क्षमता	दूध की अधिप्राप्ति		कुल दूध	
		1973	1974	1973	1974
1. कालीकट	6,000	5,701	5,741	5,701	5,741
2. कोटायम	6,000	3,634	4,362	3,634	4,362
3. पालाघाट	6,000	4,354	1,645	4,354	2,353

दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा निधि का कथित दुरुपयोग

4495. **मौलाना इसहाक सम्भली**
श्री झारखण्डे राय } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा निधि के कथित दुरुपयोग की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बोर्ड के बदकार्यों की पूरी जांच करायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उसे वक्फ बोर्ड की धनराशि के कथित गबन और वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग की कई शिकायतें मिली हैं और वह इनकी जांच कर रहा है ।

(ख) दिल्ली बोर्ड के मामलों की जांच का प्रश्न दिल्ली प्रशासन द्वारा शिकायतों की जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा ।

तमिलनाडु सरकार द्वारा नशाबंदी को पुनः लागू करना

4496. **श्री एस० ए० मुरुगनतं :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू सरकार को राज्य में नशाबंदी को फिर से लागू करने के कारण पांचवी योजनावधि में 234 करोड़ रुपये की राशि की हानि होगी ;

(ख) क्या सरकार ने इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) तमिलनाडू सरकार ने कहा है कि 1 सितम्बर, 1974 से उस राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध को फिर से लागू करने से पांचवी योजना की अवधि के दौरान संतुलित अंदाजे के अनुसार वित्त आयोग द्वारा लगाये गये हिसाब से 243 करोड़ रुपये अधिक की राजस्व हानि होगी। मद्यनिषेध को पुनः लागू करने से होने वाली हानि को पूर्णतया या पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए उन्होंने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है। केन्द्रीय सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

सघन ग्रामीण रोजगार की प्रायोगिक योजनाओं के अधीन दी गई नौकरियां

4497. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि : सघन ग्रामीण रोजगार की प्रायोगिक परियोजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य वार, कुल कितने व्यक्तियों को नौकरियां दी गई और कितने लोगों को रोजगार देने की गारंटी दी गई ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : रोजगार में लगाये गय व्यक्तियों की संख्या और उनके रोजगार की अवधि अलग-अलग है। इसलिए पैदा किये गए रोजगार के आंकड़े श्रम दिनों में एकत्र किये जाते ह। एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9283/75] जिसमें विभिन्न राज्यों में पायलट गहन ग्राम रोजगार परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1972–73, 73–74 और 74–75 में पैदा किये गए रोजगार के श्रम दिन दिए गए हैं।

इस परियोजना के अन्तर्गत रोजगार देने की गारंटी देन का प्रावधान नहीं है। यह परियोजना अक्टूबर, 1975 के अंत में समाप्त हो जाएगी ।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में पशु चिकित्सालय

4498. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में इस समय कितने पशु चिकित्सालय हैं तथा दिल्ली में एस० पी० सी० ए० के कितने इन्स्पैक्टर काम कर रहे हैं और उन्होंने गत एक वर्ष के दौरान कितने मामले दर्ज किये :

(ख) क्या अधिकांश बैलगाड़ी वाले अपने पशुओं को निर्दयता से पीटते हैं और उनसे भारी लोहे के शहतीर आदि खिंचवाते हैं तथा भारी सामान के वास्तविक भार का पता लगाने के लिये कोई भार तोलने वाली मशीनें भी उपलब्ध नहीं हैं ;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका दिल्ली छावनी क्षेत्र समिति तथा नगर निगम द्वार गत कई वर्षों के दौरान पशुओं के लिये केन्द्रीय स्थानों पर पशुओं के पीने के लिए पानी का कोई टैंक नहीं बनाया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने दिल्ली के विभिन्न जोनों में नये पशु-चिकित्सालय खोलने, बड़ी संख्या में पानी के टैंक निर्मित करने और एस० पी० सी० ए० इन्स्पैक्टर नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्यों म ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम

4499. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या है जिन में ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम में लक्ष्य प्राप्त हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 9284/75] जिसमें वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के राज्यवार रोजगार के लक्ष्य और पैदा किया गया रोजगार दिया गया है ।

यह योजना तीन वर्षों की अवधि के लिए चलाई गई थी । वर्ष 1971–72 में मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, गोआ, लंकाद्वीप, मिनिकाय तथा अमिनदीवी द्वीपसमूह, मिजोरम और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने न्यूनतम लक्ष्यों को पार किया । तथापि, अधिकतम लक्ष्यों को आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, नागालैन्ड, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु के राज्यों में पार किया गया ।

वर्ष 1972–73 में मणिपुर, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, गोआ, लकादीव मिनिकाय तथा अमिनदीवो द्वीपसमूप और पांडिचरी को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने न्यूनतम लक्ष्यों को पार किया । अधिकतम लक्ष्य, ऊपर दिए गए और त्रिपुरा, दादरा व नगर हवेली तथा दल्ली के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में पार किए गए ।

वर्ष 1973–74 में मणिपुर, अंडेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, गोआ, लकादीव, मिनिकाय तथा अमिनदीवी द्वीपसमूह और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने न्यूनतम लक्ष्यों को पार किया । अधिकतम लक्ष्य भी इन राज्यों और असम, जम्मू तथा काश्मीर, नागालैण्ड, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली, दिल्ली और मिजोरम के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में पार किये गए ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यूनतम और अधिकतम लक्ष्य 50 करोड़ रुपयों के आबंटन के आधार पर रखे गए थे, लक्ष्यों को पूरा करने में हुई प्रगति पर्याप्त संतोषजनक रही । वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में क्रमश: 31.17 करोड़ रुपये, 53.54 करोड़ रुपये और 42.31 करोड़ रुपये व्यय किए गए ।

उत्पादकों को चीनी का मूल्य बढ़ाने के लिये राज्यों को अनुमति देना

4500. **श्री एम वी० कृष्णप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीनी के निर्यात में वृद्धि करने की दृष्टि से देश में चीनी का मनमाना मूल्य बढ़ाने के लिए उत्पादकों को अधिकार देने के लिए राज्यों को अनुमति दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : जी नहीं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में द्वितीय श्रेणी के सहायक इंजीनियरों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति

4501. **श्री टुना उरांव**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 11 नवम्बर, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 68 और 26 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3564 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्न बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वितीय श्रेणी के उन सहायक इंजीनियरों के नाम क्या हैं जिन्हें तदर्थ आधार पर पदोन्नति किया गया है ;

(ख) द्वितीय श्रेणी के सहायक इंजीनियरों को किस किस तारीख से पदोन्नत किया गया है और वे तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं ;

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेशों की वह प्रति क्या है जिसके अन्तर्गत कनिष्ठ इंजीनियरों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है ; और

(घ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) उन व्यक्तियों के नामों तथा पद पर नियुक्तियों की तारीखों की एक सूची संलग्न (अनुलग्नक-I) में दी गई है, [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-9285/75] जिनको केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर, श्रेणी-II के पदों पर केवल तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न (अनुलग्नक-II) में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गई। देखिए संख्या एल० टी०-9285/75]

(घ) मैसर्स एम० रामैया तथा अन्य सहायक इंजीनियरों के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कुछ सीधे भर्ती क इंजीनियरों द्वारा दायर की गई अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है। इसको देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 अगस्त, 1973 के आदेशानुसार निलम्बित अपील पर उक्त न्यायालय के निर्णय होने तक सहायक इंजीनियरों के ग्रेड की पदोन्नतियां केवल तदर्थ आधार पर की जा रही हैं।

फरक्का बांध समस्या को हल करने के लिये संयुक्त नीति

4502. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य बातों के साथ-साथ फरक्का बांध समस्या का समाधान करने के लिए फरवरी, 1975 में नई दिल्ली में हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ;

(ख) क्या समस्या का कोई समाधान निकला है ; और

(ग) क्या ब्रह्मपुत्र के जल का उपयोग करने के बारे में कोई चर्चा हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या बातचीत को ध्यान में रखते हुए कोई संयुक्त नीति बनाई जा सकी है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) नई दिल्ली में फरवरी, 1975 में बंगला देश के बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधन और विद्युत मंत्री श्री अब्दुल-रब-सरनियाबत और केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के बीच हुई बातचीत गंगा जल के बारे में थी और यह बातचीत 16 मई, 1974 को भारत तथा बंगलादेश के प्रधान मंत्रियों की संयुक्त घोषणा की परिपालना में हुई थी। यह बातचीत गंगाजल के मामले में एक दूसरे के विचारों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग न किया जाना

4502. श्री बसतन साठे
श्री भाऊ साहेब धाममकर } : क्या **कृषि और सिचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म स्तर पर जल संसाधनों के अधिकतम सीमा तक उपयोग न किए जाने में सहयोग देने वाले प्रधान तत्वों में से एक तत्व विद्यमान सिचाई प्रभार हैं जोकि उन मानकों (नार्मस) प्रतिफलों पर आधारित हैं जिनका आर्थिक पहलू से कोई मेल नहीं है क्योंकि उत्पादित कुल राजस्व यहां तक कि कार्यकर खर्चों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है ;

(ख) जल प्रभार/जल दर ढांचे का पुनरीक्षण करने के बारे में राज्य सरकारों को क्या अनुदेश/मार्गदर्शी सिद्धांत बताये गए हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य सरकारों की जल पर ढांचे का पुनरीक्षण करने संबंधी प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) परियोजना में किये गये पूंजी निवेश, उत्पादकता तथा सहायक सिचाई से जुड़ी सिचाई पद्धति को लागू करने और उसको कायम रखने की लागत को ध्यान में रखते हुए उत्पादन की ऊँची दर प्राप्त करने के लिए एक युक्तियुक्त तथा लाभप्रद सिचाई नीति तैयार करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) सिचाई राज्य विषय है और सरकारी नहरों से सिचाई के लिए जलपूर्ति की दरें एक राज्य से दूसरे राज्य में और कुछ राज्यों में तो एक परियोजना से दूसरी परियोजना में भिन्न भिन्न हैं। ये दरें आम तौर पर सिंचित क्षेत्र और उसमें उत्पादित फसलों के आधार पर लगाई जाती हैं।

राज्यों में वर्तमान जल दरें प्रचालन व्यय और ब्याज को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। बहर हाल, पानी की निम्नदरों को जल संसाधनों को पूर्ण रूप से समुपयोजन न करने के लिए जिम्मेदार तत्वों में से एक मुख्य तत्व, नहीं कहा जा सकता।

(ख) से (घ) न्यायसंगत ढंग से धीरे-धीरे जल दरों को बढ़ाने के लिए समय समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता रहा है ताकि रख-रखाव और प्रचलन खर्चों और पूंजीगत लागत पर ब्याज के एक अंश को पूरा किया जा सके।

बिहार, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश के राज्यों में 1971 से पानी की दरें बढ़ा दी हैं। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने अतिरिक्त आर्थिक संसाधनों को जुटाने हेतु इन दरों में 1974-75 में और वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है।

Letter from Joint Secretary of University and College Karamchari Union, Delhi

†4504. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education, Social Welafare and Culture** be pleased to state :

(a) Whether the Joint Secretary of the University and College Karamchari Union, Delhi had written a letter to the Vice-Chancellor of Delhi University on 16th February;

(b) If so, the contents thereof, and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir.

(b) The latter contained the following allegations in regard to Ram Lal Anand College :—

(1) Embezzlement of the college funds by the ex-cashier and his demotion on that account.

(2) Embezzlement of the college funds by the then PA to the Principal and his promotion inspite of that.

(3) Withholding of the confirmation of the Superintendent (Accounts) in the evening classes.

(4) Appointment of Professional Assistant against the post of librarian in the evening classes.

(5) Appointment of clerk-typist in the evening classes against the rules.

(6) Appointment of the present servant of the Chairman of the Governing Body as water-man in the evening classes when no such post exists.

(c) The Ram Lal Anand College being a University maintained College, it is for the University of Delhi to take suitable action in the matter.

निरक्षरता

4506. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश श्री शंकर प्रसाद मिश्र द्वारा कलकत्ता में प्रथम राष्ट्रीय साक्षरता सम्मेलन में अपना स्वागत भाषण देते समय प्रकट किए गए इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि भारत में 1971 में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 1951 की भारत की जनसंख्या से अधिक थी और यह कि श्रमिक एवं कृषक संगठनों ने प्रौढ़ शिक्षा को प्राथमिकता देने की मांग नहीं की ; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव)

(क) और (ख) यदि निरक्षरों में 0.5 आयुवर्ग के बच्चों को शामिल कर लिया जाता है तो जिस विवरण का उल्लेख किया गया है, वह ठीक होगा। तथापि, साक्षरों के आंकड़ों से तुलना करते समय, 9 वर्ष की आयु तक के छोटे बच्चों को शामिल न करना ही उचित होगा। अन्य आयु-वर्गों में साक्षरता की स्थिति नीचे बताई गई है :—

(आंकड़े दस लाख में)

आयु वर्ग	1951				1971			
	साक्षरों की संख्या	प्रतिशतता	निरक्षरों की संख्या	प्रतिशतता	साक्षरों की संख्या	प्रतिशतता	निरक्षरों की संख्या	प्रतिशतता
10–14	9.72	23.0	32.62	77.0	33.64	49.8	33.98	50.2
15–24	14.37	23.7	46.28	76.3	43.01	47.5	47.59	52.5
25–34	11.05	20.3	43.40	79.7	26.00	33.9	50.61	66.1
35–	16.03	16.0	83.96	84.0	36.62	24.5	112.67	75.5
आयु नहीं बताई गई	0.02	8.7	0.21	91.3	0.14	14.4	0.83	85.6
0.9 को छोड़ कर जोड़	51.19	19.9	206.47	80.1	139.41	36.2	245.68	63.8

दूसरी तरफ, निरक्षरता की प्रतिशतता लगातार कम हो रही है। यह प्रवृत्ति 10–24 के महत्वपूर्ण आयु वर्गों में सबसे अधिक पाई जाती है। सरकार निरक्षरता का यथाशीघ्र उन्मूलन करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है तथा पांचवी योजना में, प्रस्तावित औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा नीतियां इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बनाई गई हैं।

बिहार द्वारा केन्द्रीय सहायता से आरम्भ की गई सिंचाई की परियोजनाएं

4507. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र से अपेक्षित सहायता के अभाव के कारण वर्ष 1974–75 के दौरान बिहार राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से आरम्भ की गयी सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने कि संभावना नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) राज्यों के राज्य की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता पूरी योजना के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष स्कीम अथवा सैक्टर से जुड़ी नहीं होती। चूंकि सिंचाई राज्य विषय है इसलिए सिंचाई स्कीमों के वास्ते आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी होती है।

कालका जी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनता श्रेणी के क्वार्टरों में नागरिक सुविधाओं का अभाव

4508. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कालकाजी में जनता श्रेणी के कुछ क्वार्टर आबंटित किये हैं ;

(ख) क्या शौचालयों में पानी की टैंकियों की व्यवस्था नहीं की गई है यदि हां तो इसक क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऊपर की मंजिल के फ्लैटों से आने वाले गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और पानी ग्राऊंड-फ्लोर पर इकट्ठा हो जाता है जिससे ग्राउंड-फ्लोर पर रहने वाले व्यक्तियों को बहुत असुविधा होती है और उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुल लागत में किफायत करने के लिये शौचालयों में पानी की टैंकियों की व्यवस्था नहीं की गई थीं लेकिन प्राप्त हुए अभ्यावेदन को देखते हुए अब यह निर्णय किया गया है कि शौचालयों में पानी की टंकियों और फ्लश सिस्टम की व्यवस्था कर दी जाए।

(ग) ऊपरी मंजिल के फ्लैट्स से आने वाली गन्दे पानी की सी० आई० पाईप द्वारा तथा भूमिगत नालियों द्वारा निकासी की उपयुक्त व्यवस्था मौजूद है। निचली मंजिल के निवासियों को इस कारण कोई असुविधा या स्वास्थ्य का खतरा नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Starvation in MEJA (U. P.) and JAMUNIA (M. P.)

4509. Shri Janeshwar Misra : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether Government have prepared any report which canp rovide detailed information about starvation deaths in the country ;

(b) Whether Government are aware of starvation deaths in Meja in Allahabad and in Jamunia in Jabalpur; and

(c) If so, efforts being made by Government to prevent starvation deaths ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Government do not prepare any report on starvation deaths in the country. However, factual reports are obtained from the concerned State Governments regarding starvation deaths whenever such allegations come to the notice of the Government of India.

(b) The State Governments have reported that no starvation deaths have taken place either in Meja in Allahabad or in Jamunia in Jabalpur.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों का स्थायी बनाया जाना

4510. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** 26 अगस्त 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3531 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के (67+10=77) एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को, जो 10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम समय से, स्थानापन्न पद पर कार्य कर रहे हैं, और 15 वर्ष से अधिक समय से स्थानापन्न पदों पर कार्य कर रहे 38 इंजीनियरों को (95+25=120) स्थायी रिक्त पदों, जैसा कि 16 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4564 के उत्तर में कहा गया है, स्थायी करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : श्री ए० के० सुब्रामन तथा अन्यों द्वारा दायर की गयी रिट याचिका पर 11 दिसम्बर, 1974 को दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप कार्यपालक इंजीनियरों की वरिष्ठता सूची को पुनरीक्षित किया जाना अपेक्षित है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उलझनों का अध्ययन कार्मिक विभाग तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के परामर्श से किया जा रहा है तथा उसके बाद एक पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। कार्यपालक इंजीनियरों की पुष्टि के प्रश्न पर कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वरिष्ठता सूची को पुनरक्षित किये जाने के बाद की जाएगी।

दिल्ली में नई मूर्तियां

4511. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नई मूर्तियां स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार अपनी ओर से केवल महात्मा गांधी की प्रतिमा तथा ग्रुप में शहीद स्मारक, जिसमें अन्य व्यक्तियों सहित महात्मा गांधी की एक प्रतिमा है, स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है तथापि नगर निगम तथा कुछ अन्य संस्थाओं की कई प्रतिमाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनके ब्यौरे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

दिल्ली में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित प्रतिमाएं	प्रस्तावित स्थान	वर्तमान स्थिति
(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित प्रतिमाएं		
1. श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी	दिल्ली गेट के समीप खूनी दरवाजे के सामने	दिल्ली नगर कला आयोग ने इन सभी प्रतिमाओं के स्थान अनुमोदित कर दिए हैं । श्री सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है तथा महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने का कार्य हाथ में ले लिया गया है । शेष 7 प्रतिमाएं स्थापित करने के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है ।
2. श्री सुभाष चन्द्र बोस	सुभाष पार्क, लाल किले के सामने	
3. महाराणा प्रताप	कुदसिया गार्डन	
4. श्री भगत सिंह	भगत सिंह मार्ग	
5. हकीम अजमल खां	अजमल खां पार्क करोल बाग	
6. श्री सावरकर	लाजपत नगर	
7. स्वामी विवेकानन्द	पचकुईयां रोड तथा चित्र गुप्त रोड के चौंराहे पर	
8. श्री दीनदयाल उपाध्याय	दीनदयाल उपाध्याय मार्ग	
9. श्री मदन मोहन मालवीय	मालवीय नगर	
(ख) अन्यों द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित प्रतिमाएं		
1. लाला लाजतपत राय (सर्वेन्टस आफ पीयपल्स सोसायटी द्वारा)	तालकटोरा रोड तथा पंत मार्ग के जंक्शन पर	इस स्थल पर स्थित वर्तमान बैरकों को गिराया जाना है ।
2. श्री थीरु वल्लुवर (थीरू वल्लुवर कलई मनरम द्वारा)	तमिल संगम भवन, राम-कृष्णपुरम के समीप	पीठिका के डिज़ाइन को दिल्ली नगर कला आयोग के अनुमोदन से अन्तिम रूप दिया जाना है ।

मछली पकड़ने वाली नौकाओं (डालरों) का देश में उत्पादन

4512. **श्री राम सहाय पांडे** : : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के उत्पादन के लिये कोई योजना बनाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) सरकार ने ट्रालरों के आयात के लिए 1968 और 1973 में दो योजनाएं तैयार की थीं । परन्तु उसे देश में ट्रालर तैयार करने की योजना के साथ सम्बद्ध कर दिया था । जिनका उद्देश्य ट्रालरों का निर्माण करने के लिये देशीय क्षमता का विकास करना था । 1968 की योजना के अन्तर्गत, जिन पक्षों को ट्रालरों का आयात करने की अनुमति दी गई थी, उनको प्रत्येक दो ट्रालरों के आयात की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि उन्हें एक ट्रालर देश में तैयार करना पड़ेगा । 1973 की योजना के अंतर्गत जिन पक्षों को ट्रालरों का आयात करने की अनुमति दी गई थी उन्हें प्रत्येक अयातित ट्रालर की तुलना म देश में एक ट्रालर तैयार करना पड़ेगा । 1973 की योजना के अन्तर्गत, आयात होने वाले ट्रालरों के डिजाइन और "शाप फ्लोर ड्राइंग" प्राप्त करने होंगे तथा सम्बन्धित विदेशी शिपया र्ड से चुनीदा शिपयार्डों पर देशीय ट्रालरों का निर्माण करने के लिए विदेशी विशेषज्ञ प्राप्त करने होंगे ।

उपर्युक्त दो योजनाओं के अतिरिक्त, ट्रालरों का निर्माण करने हेतु देशीय क्षमता का विकास करने के लिये नार्वे की सहायता से गोआ शिपयार्ड, गोवा और राजाबागान डोकयार्ड, कलकत्ता को सुदृढ़ करने के लिये एक योजना बनाई गई है । इस योजना में देशीय क्षमता को पूरा करने के लिए ट्रालरों के कुछ उपकरणों, जलयानों के डिजाइन और नार्वे से विशेषज्ञ प्राप्त करने की भी व्यवस्था है ।

(ख) 1968 की योजना के अंतर्गत, एक पार्टी द्वारा एक भारतीय शिपयार्ड द्वारा आयात किए हुए डिजाइन के आधार पर एक भारतीय शिपयार्ड में छः ट्रालरों का निर्माण करने के आदेश दिये गये हैं ।

पांच अन्य पार्टियों द्वारा भी आर्डर दिये गये थे परन्तु अन्य बातों के साथ साथ प्रमाणत डिजाइन उपलब्ध न होने की वजह से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका । 1973 की योजना क अन्तर्गत विदेशी शिपयार्डों से डिजाइनों और "शांप फ्लौर डिजाइन" प्राप्त किये जा रहे हैं और आशा है इनके प्राप्त होते ही देशीय ट्रालरों का निर्माण कार्य शुरु हो जायेगा । 1973 में शुरू की गई योजना के संबंध में, भारतीय शिपयार्ड के पास राशि जमा करके दो पार्टियों ने ट्रालरों का निर्माण करने क लिये कदम उठाये हैं । वित्तीय समस्याओं और ट्रालरों की ऊंची लागत के कारण अन्य पार्टियों के सम्मुख कुछ कठिनाईयां हैं । समस्याओं पर विचार किया जा रहा है । नार्वे की सहायता से शुरू किये जाने वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में, नार्वे के अधिकारियों के परामर्श से ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, दो भारतीय शिपयार्डों ने विदेशों से ट्रालरों के डिजाइन प्राप्त कर लिये हैं और इनमें से एक ने ट्रालरों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

कीटों के जैव-नियंत्रण के बारे में प्रयोग

4513. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर फार ओवरसीज पेस्ट रिसर्च, लंदन के निदेशक, डा० पी० टी० हास्केल हाल ही में दिल्ली आये थे ।

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) क्या अनाज की फसलों को काफी क्षति पहुंचाने वाले कीटों के जैव-नियंत्रण की पद्धति का भारत में प्रयोग किया जायेगा और यदि हां, तो कब और कहां ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) डा० पी० टी० हास्केल ने सन् 1973 में 14 मार्च से 31 मार्च, तक भारत का दौरा किया ।

(ख) डा० पी० टी० हास्केल के दौरे का मुख्य उद्देश्य देश में कुछ अनुसंधान संस्थानों का दौरा करके विशेष रूप से समाकलित कीट-व्याधि नियंत्रण पद्धति के प्रयोग, जलीय खरपतवारों के जैव-नियंत्रण और कीट व्याधि निगरानी की दृष्टि से पौध संरक्षण अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना था ।

(ग) जी, हां । देश में विभिन्न फसलों की कीट-व्याधियों के जैव-नियंत्रण पर अनुसंधान कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है । केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक में धान की कीट-व्याधियों के जैव-नियंत्रण सम्बन्धी अनुसंधान कार्य चल रहा है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गन्ने की कीट-व्याधियों के जैव-नियंत्रण सम्बन्धी अनुसंधान के लिए उपकर कोष से दो परियोजनाओं की मंजूरी दी है । इनमें से एक परियोजना पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में और दूसरी पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में पिछले साल से अनुसंधान कार्य चल रहा है । अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय में फसलों के पौध परजीवी सूत्र-कृमियों के नियंत्रण के लिए परभक्षी सूत्र-कृमियों के उपयोग संबंधी अनुसंधान के लिए उपकर कोष से एक परियोजना की मंजूरी दी गयी है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फसल कीट-व्याधियों के जैव-नियंत्रण के लिए भी एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना तैयार की है । इस योजना के अन्तर्गत बंगलौर स्थित राष्ट्र मंडल संस्थान जैव-नियंत्रण स्टेशन पर एक मुख्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । यहां धान, गन्ने, कपास, नारियल, सेब और कुछ बागानी फसलों की प्रमुख कीट-व्याधियों पर अनुसंधान करने का विचार है ।

उत्पादकों से फालतू चावल, धान तथा गेहूं वसूल करने के लिए राज्य सरकारों को निदेश

4514. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को उत्पादकों से फालतू चावल, धान तथा गेहूं का पूरा स्टाक वसूल करने के लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के लिए निदेश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस दिशा में कार्यवाही की है तथा इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब भी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे कोई निदेश जारी नहीं किए हैं जिससे कि वे उत्पादकों से चावल, धान और गेहूं का सारा अधिशेष स्टाक अधिप्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं जारी करें ।

2. 1974–75 के खरीफ विपणन मौसम के दौरान अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने की दृष्टि से भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि राज्य सरकारें धान के उत्पादकों पर लेवी साथ में चावल मिल मालिकों पर लेवी को संयुक्त कर दें । धान के उत्पादकों पर लेवी की प्रणाली इस समय आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल के राज्यों में लागू है ।

3. 1974–75 के रबी विपणन मौसम की अधिप्राप्ति नीति में मूलतः प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं के उत्पादकों पर लैवी की प्रणाली की व्यवस्था नहीं है लेकिन बाद म राजस्थान में उत्पादक पर लेवी लागू की गई थी । मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, व्यापारी पर लेवी के अलावा, राज्य सरकारों ने उत्पादक समेत स्टाक धारियों से गेहूं का स्टाक अधिग्रहण करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त दिए थे । जहां तक शेष राज्यों का सम्बन्ध है, बिहार और गुजरात में उत्पादक पर लेवी लागू की गई थी । महाराष्ट्र में गेहूं को राज्य सरकार की एकाधिकार खरीद-एवं-अनिवार्य अधिप्राप्ति योजना में सम्मिलित किया गया, इस योजना में उत्पादक पर लेवी की व्यवस्था है ।

4. 1974–75 के विपणन मौसम के दौरान विभिन्न अधिप्राप्ति प्रणालियों के अधीन 29.4 लाख मी० टन चावल और 19.2 लाख मी० टन गेहूं की अब तक अधिप्राप्ति की गई है ।

हिमालय क्षेत्र में भू-कटाव

4515. **श्री राजदेव सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के पर्वतीय वनों के लिये अत्यधिक खतरनाक भू-कटाव अब भूगर्भीय विशेषज्ञों के अनुसार रोकी जा सकने वाली गति से अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है ;

(ख) क्या गत पन्द्रह वर्षों के दौरान हिमालय के वनों में से पच्चीस प्रतिशत वनों को क्षति हो चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो भू-कटाव के मुख्य कारण क्या हैं और यदि कोई निवारक कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) तक संबंधित राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे नये लाइसेंसों वाले चीनी के कारखानों को राहत

4516. **श्री के० मालन्ना**
श्री एन० ई० होरो } क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मशीनों की लागत में भारी वृद्धि के कारण वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे नये लाइसेंसों वाले चीनी के कारखानों को राहत देने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं । इस मामले पर विचार हो रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहु-उद्देश्यीय माही परियोजना का निर्माण

4517. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहु-उद्देशीय माही परियोजना के निर्माण की प्रगति धन की कमी के कारण धीमी पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस मामले में केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) माही बजाज सागर परियोजना पर निर्माण कार्य की धीमी प्रगति का कारण गुजरात और राजस्थान सरकारों द्वारा इस परियोजना के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था न कर सकना है ।

(ख) इन राज्य सरकारों से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए कोई विशेष अनुरोध कन्द में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गौण तिलहनों के बारे में गोष्ठी

4518. **श्री रामकंवर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में कलकत्ता में गौण तिलहनों के बारे में गोष्टी का उद्घाटन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी के आयोजक कौन कौन थे ;

(ग) क्या उन्होंने सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान गौण तिलहनों के उपयोग पर बल दिया था ; और

(घ) इन तिलहनों के संग्रह और उपयोग के मार्ग में क्या-क्या बाधायें हैं और आदिवासी क्षेत्रों में सहकारितायें विकसित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है जिससे आदिवासी क्षेत्रों में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाया जा सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) यह गोष्ठी तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद तथा भारतीय मानक संस्थान' नई दिल्ली के सहयोग से ईस्ट इंडिया आयल मिलर्स असोसिएशन कलकत्ता द्वारा आयोजित की गई थी ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) मुख्य बाधाएं निम्न लिखित हैं :—

(1) पट्टे की अल्पावधि ।

(2) संग्रह करने के लिए उपयुक्त संगठन का अभाव ।

(3) संग्रह की अल्पावधि और भण्डारण सुविधाओं का अभाव ।

(4) संग्रह करने की अल्पावधि के लिए बड़ी धन राशि की आवश्यकता ।

(5) सड़कों की संचार व्यवस्था की कमी ।

(6) बीज संग्रह कर्त्ताओं को कम मूल्य दिया जाना ।

(7) कुछ मामलों में निश्चित तथा स्थिर मण्डी का अभाव ।

(8) विकीर्ण वितरण, अधिकृत आंकड़ों की अनुपलब्धि, उपज में विभिन्नता और उपयोग में न लाए गए तिलहनों के विकास की आवश्यकता ।

(9) खली का उपयोग ।

सभी आदिवासी विकास एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे लघु तिलहनों के संग्रह तथा विपणन के लिए उपयुक्त सहकारी समितियों का गठन करें ।

खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग का अखाद्य तेल तथा साबुन उद्योग निदेशालय आयोग की नीति और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों के माध्यम से लघु तिलहनों/तलों के संग्रह परिसंस्करण तथा उपयोगिता के लिए अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहा है ।

सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के मार्गदर्शी सद्धान्तों म उपयुक्त संशोधन कर दिया गया है ताकि उसमें लघु तिलहनों के संग्रह करने का कार्य शामिल किया जा सके ।

विश्व तेलुगु सम्मेलन

4519. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में 12 अप्रैल, 1975 से विश्व तेलगु सम्मेलन आयोजित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसके संक्षिप्त रूप-रेखा और उदेश्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) विश्व तेलुगु सम्मेलन' हैदराबाद की स्वागत समिति ने सूचित किया है कि 12 से 18 अप्रैल, 1975 तक एक विश्व तेलुगु सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ख) स्वागत समिति के अनुसार सम्मेलन के उद्देश्य और लक्ष्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) सांस्कृतिक एवं भाषायी बन्धनों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विश्व भर में फैली हुई तेलुगु जनता और तेलुगु प्रेमियों को एक स्थान पर मिलने तथा विचारों का आदान-प्रदान करने के अवसर तथा मंच प्रदान करना।

(ii) तेलुगु भाषा, साहित्य संस्कृति और कला के विकास के लिये तेलुगु जनता और तेलुगु प्रेमियों के बीच सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना।

(iii) सभी संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिये, तेलुगु जनता के जीवन तथा साहित्य से संबंधित प्रकाशन निकालना ;

(iv) भारत तथा विदेशो में तेलुगु अध्ययन में लगे विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं विद्वानों को, कला तथा साहित्य के क्षेत्र में, अनुसंधान के लिये सुविधाएं प्रदान करना ; और

(v) अध्ययन दलों, विद्वानों, लेखकों तथा कलाकारों के प्रतिनिधि मंडलों के विनिमय द्वारा सांस्कृतिक सम्पर्कों के माध्यम से बेहतर समझबूझ को बढ़ाना।

बंबई में वेश्यावृत्ति

4520. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री बंबई में वैश्यावृति के बारे में 22 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के बारे में लोक सभा में 9 सितम्बर, 1974 को सभा पटल पर रखे गये विवरण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में किन किन क्षेत्रों में, मकानों में स्वतंत्र रूप से और स्वैच्छा से वैश्यावृत्ति करने वाली वैश्यायें रहती हैं ;

(ख) उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने कोई गंभीर कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) महाराष्ट्र सरकार के अनुसार फाल्कलैंड रोड, पोरस रोड, शुक्लाजी स्ट्रीट, कमाधीपुरा, स्ट्रीट, खण्डेवाड़ी, केनेडी ब्रिज, बापरी रोड, खेतवाड़ी रोड, तथा लेन में स्थित भवनों में वैश्यावृत्ति स्वतंत्र रूप से तथा स्वैच्छा पूर्वक की जाने की रिपोर्ट है।

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या का पता लगाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अधीन संरक्षण गृहों और उद्धार गृहों की स्थापना की गई है।

पारादीप और ढ़मरा में मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहें

4521. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप और ढ़मरा में प्रस्तावित मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) सरकार को पारादीप पत्तन ट्रस्ट के मुख्य अभियंता से परियोजना प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) पारादीप की बड़ी पोर्ट और ढ़मरा की छोटी पोर्ट पर मछली पकड़ने के बन्दरगाह के लिए किए गए प्रस्तावों पर तकनीकी रूप से विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये थे। वे स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं और मामले पर आगे विचार किया जा रहा है।

(ख) मूल प्रस्ताव फरवरी, 1972 में और संशोधित प्रस्ताव नवम्बर, 1973 में प्राप्त हुआ था।

(ग) बन्दरगाह का डिजाइन इस प्रकार बनाया गया है कि वहां 15 बड़े और 50 छोटे जलयान ठहर सकें। वहां प्रति वर्ष लगभग 10,000 मीटरी टन मछलियों के उतारने की व्यवस्था भी होगी। जिनमें आगे जाकर और अधिक सुविधायें उपलब्ध की जा सकेंगी। बन्दरगाह का ड्राफ्ट 5 मीटर होगा और वहां माल उतारने के घाट, नीलामी तथा पैकिंग हाल, सड़कों तथा जहाजरानी सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। संशोधित अनुमानों के अनुसार मछली पकड़ने की बन्दरगाह पर लगभग 214 लाख रुपये व्यय होंगे।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जो अब प्राप्त हो गए हैं। इस प्रस्ताव पर अब और आगे कार्यवाही की जा रही है।

पेय जल में फ्लुओरिन की मात्रा

4522. **डा० के० एल० राव :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वे क्षेत्र कौन से हैं जहां पेय जल में फ्लुआरीन की मात्रा अधिक मिलती है तथा जिसमें उन क्षेत्रों के लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के लिये जल सप्लाई परियोजनाओं की मंजूरी देते समय किसी प्रकार की प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में फ्लुओरीसेंस के शिकार इन भाग्यहीन लोगों के लिए खाद्य जल सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था को कम से कम सर्वोच्च प्राथमिकता देगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) स्थानिक फ्लोरोसिज़ फ्लोराइड की अधिकता के कारण, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब तथा राजस्थान के भागों में भिन्न भिन्न मात्रा में पाया जाता है ।

(ख) तथा (ग) राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 5वीं योजना के दौरान कठिनाई तथा समस्या मूलक ग्रामों की ग्रामीण जलपूर्ति के लिये 564 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है इन में वे ग्राम भी शामिल हैं जहां जल में फ्लोराइड उच्च मात्रा में है । ऐसे क्षेत्रों में किसी विशेष खाद्यान्न की व्यवस्था करने की इस मंत्रालय की कोई योजना नहीं है ।

Sick Sugar Mills

4553. **Shri Atal Bihari Vajpayee**
Shri R. V. Bade
Shri Jagannathrao Joshi } Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Statewise number of sick sugar mills ;

(b) The criterion followed and the grounds on which a factory is considered to be a sick factory: and

(c) Government's policy and the action taken in regard to them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) At present there is no well-defined concept of sickness in sugar mills. Even the Sugar Industry Enquiry Commission has not been able to arrive at a unanimous or majority conclusion as to what would constitute 'sickness' in the sugar industry. Such of the sugar Mills as fall within

he scope of section 18A or 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 are deemed by the Central Government to be sick and the management of those mills is taken over after observing the procedures. The State-wise number of such sick sugar mills is as follows :

States	No. of sick mills
Uttar Pradesh	1
Bihar	1

परम्परागत और गैर-परम्परागत तिलहनों का विकास

4524. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परम्परा गत तिलहनों के बारे में अनुसंधान और विकास को प्रखर करके तथा गैर-परम्परा गत और न खाने लायक तिलहनों सहित अब तक कम उपयोग में लाये गये गौण तिलहनों का उपयोग करके चर्बी और तेल के संसाधनों में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या भारत में महुआ, नीम, करंजी, कुसुम और साल जैसे गौण तिलहन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिनसे समूचे रूप में तिलहनों की स्थिति में सुधार करने की काफी अच्छी संभावनायें हैं और जिनसे औद्योगिक प्रयोजन भी हल होता है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अपने लक्ष्य निर्धारित किये हैं और निश्चित योजना बनाई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु बास पटेल) : (क) जी हां, । देश में पांच मुख्य तिलहनों (मूंगफली, तोरिया, तिल, अलसी तथा एरंडी) का उत्पादन 1968–69 (चौथी पंचवर्षीय योजना का आधार वर्ष) में 68.0 लाख मीटरिक टन था जो बढ़कर 1973–74 (चौथी पंच वर्षीय योजना का अंतिम वर्ष) में 86.8 लाख मीटर टन हो गया। चौथी योजनाबधि (1970–71) में 92.5 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था जो अधिकतम उत्पादन माना गया है। तदनुसार इसे देश के चिकनाई तथा तेल के संसाधनों की वृधि होगी। 1974–75 के लिये उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। राज्य सरकारों के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने के लिए चौथी योजना के दौरान तिलहनों के उत्पादन में शीघ्र वृद्धि करने के लिये तिलहनों के विकास हेतु विशेष केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करने के अलावा पौध रक्षण उपायों, प्रदर्शनों के लिये सहायता दी गई है। इन प्रयत्नों को तिलहनों संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परिषद योजना के अन्तर्गत तिलहनों पर किए जा रहे अनुसंधान से प्रोत्साहन मिला है। वृक्ष मूलक गौण तिलहनों से तेल की उपलब्धि में वृद्धि करने में भी काफी प्रगत हुई है। ये तिलहन क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता है और देश में फैले हुए सैकड़ों तेल के मिलों में उनसे तेल निकाला जाता है। अतः प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में एकत्रित किया जाता है और कितने तेल का उत्पादन होता है, इसके संबंध में ठीक

अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया गया है कि इन तेलों का उत्पादन 1970–71 में लगभग 59,000 मीटरी टन था। जो बढ़कर 1974–75 के दौरान 75,000 मीटरी टन तक पहुंच गया है।

(ख) जी हां। उन वृक्ष मूलक कई किस्मों से, जो वन तथा गैर वन क्षेत्रों में बड़ी तादाद में पैदा होती हैं निकले हुए तिलहन इस समय औद्योगिक प्रयोजन में काम आने वाले तेलों के लिये अच्छे स्रोत हैं।

अनुमान लगाया गया है कि इस स्रोत से लगभग 10.00 लाख मीटरी टन तेल प्राप्त हो सकता है। फिर भी निकट भविष्य में प्राप्त होने वाली क्षमता विभिन्न बाधाओं अर्थात् वृक्षों का विकीर्ण वितरण अल्पकालीन संग्रह के दौरान अपेक्षित भारी धनराशि बीज एकत्रकर्त्ताओं (जो अधिकतर आदिवासी होते हैं) को कम मूल्य पर दिया जाना, कुछ क्षेत्रों में दूर-दूर स्थित आबादी और अन्दरूनी क्षेत्रों में सड़क संचारण में कमी, के कारण सीमित हैं।

(ग) जी हां, ? पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक वृक्ष मूल के बीजों से तेल प्राप्त करने का लक्ष्य 115,000 मीटरी टन निर्धारित किया गया है जिसे इन तिलहनों के एकत्रण तथा अपयोजन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को यथा सम्भव दूर करके प्राप्त किया जाएगा।

Delhi Waqf Board

4525. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) The names of the members of Delhi Waqf Board and the date on which they were nominated ;

(b) The estimated value of the property of Delhi Waqf Board ;

(c) The statement of receipt and expenditure of Delhi Waqf Board for the last three years ; and

(d) Whether Government had received some memoranda against the activities of the Waqf Board and if so, the broad outlines thereof ?

The State Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The members of the Delhi Waqf Board are S/Shri :

1. S. M. H. Burney, I.A.S.
2. Mirza Mehmood Begg.
3. Sultan Yar Khan.
4. Syed Ahmad Hashmi.
5. Dost Mohd. Qureshi.
6. Haji Mohd. Farooq.

7. Hasan Sani Nizami.
8. Ziaul Hasan Farooqi.
9. Inayatullah.
10. Mirza Siddiq Ali.
11. S. H. A. Jaffri.

They were appointed on 17th August, 1973.

(b) The estimated value of the property under Delhi Waqf Board at present stands at about Rs. 6·50 crores.

(c) The details pertaining to receipt & expenditure of Delhi Waqf Board for the last three years are as under :—

Year	Receipt	Expenditure
	Rs.	Rs.
1971-72 ..	445,519·63	440,084·96
1972-73 ..	501,237·70	492,449·64
1973-74	460,269·67	451,047·41

(d) A number of complaints alleging misappropriation of funds and misuse of waqf properties by the members/staff of Delhi Waqf Board have been received by the Delhi Administration.

केरल में खाद्य-पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

4526. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत कुछ महीनों से केरल राज्य में चावल और अन्य आम खाद्य-पदार्थों के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) हालांकि अक्टूबर, 1974 से चावल के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति आई है, लेकिन अन्य आम खाद्य जिन्सों के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति आयी है। खरीफ मौसम 1974-75 के दौरान फसल की असंतोषजनक स्थिति ही ऐसा प्रमुख कारण बताया जाता है जिससे चावल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। खाद्य कानूनों के उल्लंघन और मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए राज्य सरकार ने विनियामक उपायों को सख्त कर दिया है।

पाकिस्तान की अमरीकी हथियारों की सप्लाई का भारत को गेहूं सप्लाई पर प्रभाव

4527. **चौधरी राम प्रकाश**
श्री एन० ई० होरो } : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के अमरीका के निर्णय का भारत को दीर्घावधि ऋण शर्तों पर गेहूं की सप्लाई पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दीर्घकालीन ऋण आधार पर 8 लाख मीटरी टन गेहूं सप्लाई करने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरिका के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं ।

पंजाब और हरियाणा में व्यापारियों द्वारा गेहूं के विक्रय में कम मूल्य के बीजक बनाना और करों का अपवंचन करना

4528. **श्री शरद यादव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री खाद्य और कृषि राज्य मंत्री द्वारा 17 नवम्बर, 1974 को समाजवादी दल के एक सदस्य को लिखे गए पत्र के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने पंजाब और हरियाणा में व्यापारियों द्वारा गेहूं की बिक्री के मामले में कम मूल्य के बीजक बनाये जाने और कर-अपवंचन के आरोप को नहीं माना है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र और राज्यों द्वारा उन व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या मंत्री महोदय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुमत पिसाई में अधिक अनुपात में लाभ संबंधी भ्रष्टाचार के आरोप को भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया ; और

(घ) क्या वाचूं आयोग ने इस आरोप की जांच की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) लेवी मुक्त गेहूं की बिक्री के मामले में पंजाब और हरियाणा के व्यापारियों द्वारा कम मूल्य के बीजक बनाये जाने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने कमी वाले राज्यों को गेहूं ले जाने के लिए निजी व्यापारियों को अगस्त, 1974 में नये निर्यात परमिट देना बंद कर दिया था ।

(ग) और (घ) जी नहीं । इसके विपरीत, यह बताया गया था कि पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा पिसाई में जिस अनुपात में लाभ की अनुमति दी जा रही है वह उतना अधिक नहीं है जितना कहा गया है ।

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद्

4529. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा परिषद् स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने यह सिफारिश की है कि व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की नीति तथा कार्यक्रमों के उपयुक्त पुनरीक्षण तथा समन्वय के लिए और उनमें एवं व्यावसायिक व शिक्षुता प्रशिक्षण के बीच कारगर सम्पर्क उत्पन्न करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद् और तदनुरूपी राज्य-बोर्डों/परिषदों का गठन किया जाना चाहिए । इस सिफारिश पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने विचार किया था तथा 4 और 5 नवम्बर, 1974 को हुई अपनी बैठक में उनका समर्थन भी किया था । इस प्रस्ताव पर सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

खाद्यान्नों की वर्तमान आवश्यकता

4530. **श्री प्रबोध चन्द्र**
श्री हरी सिंह } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० सी० ए० ई० आर० की आर्थिक समीक्षा से यह अनुमान लगा है कि हमारी वर्तमान जनसंख्या के लिए 12 करोड़ टन खाद्यान्न पर्याप्त होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति कब तक हो सकती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) खाद्य स्थिति की बराबर समीक्षा की जा रही है और खाद्यान्नों के उत्पादन में यथा सम्भव अधिकतम वृद्धि करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय सेवा योजना के कर्मचारियों को उपदान

4531. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुशासन योजना के जो कर्मचारी राष्ट्रीय सेवा योजना में नियुक्त किए गए थे उन्हें अधिवर्षता प्राप्त करने पर राष्ट्रीय स्वस्थ्यता कोर में उनकी सेवा के लिये उपदान से वंचित किया जा रहा है ;

(ख) क्या कर्मचारी एक संगठन से दूसरे संगठन में पुनः नियोजित होने पर उक्त लाभ के हकदार होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के उक्त कर्मचारियों को किन परिस्थितियों में उक्त लाभ से वंचित रखा जा रहा है ; और

(घ) क्या उन के मंत्रालय का विचार उनके मामले पर पुनर्विचार करने का है और उन्हें उक्त लाभ देने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव):

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां। एक सरकारी संगठन से दूसरे में बिना सेवा भंग के पुनः नियुक्ति होने पर जैसा कि इस मामले में है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात के लिये बीज उत्पादन में प्रगति

4532. **श्री शिव शंकर प्रसाद यादव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष विश्व बैंक के विशेषज्ञों के एक दल के साथ विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं ; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) देश को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और देश में आवश्यकता के लिए पर्याप्त रक्षित भंडार बनाने के बाद उसका निर्यात किये जाने संबंधी कार्यक्रम की मुख्य रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) :(क) से (ग): विश्व बैंक न देश में राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के लिये सहायता देने में अपनी रुचि प्रदर्शित की है। अतः भारत सरकार ने विश्व बैंक से सहायता लेने के लिए एक राष्ट्रीय बीज परियोजना तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है । इसके लिए राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों, बीज उत्पादकों, राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम आदि बीज उत्पादन और वितरण से संबंधित समस्त एजेंसियों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा । कुछ राज्यों में बीज उत्पादन संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो कि प्रमाणित बीजों का उत्पादन परिसंस्करण और वितरण करने का कार्य शुरू करेंगे । राष्ट्रीय बीज परियोजना तैयार करने के लिये, राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम के अध्यक्ष की देख रेख में एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया गया है । जिसमें केन्द्रीय सरकार, भारतीय बीज उत्पादक संगठनों, राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार की एजेंसियों

आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं। कार्यकारी दल में, विश्व बैंक के प्रतिनिधियों को भारी शामिल किय गया है। इस कार्यकारी दल ने कुछ राज्यों का दौरा किया है। आशा है राष्ट्रीय बीज परियोजना शुरू होने से देश न केवल अच्छी किस्म के प्रमाणित बीजों के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा बल्कि काफी बीज को निर्यात भी कर सकेगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के सहायक इंजीनियरों की कार्यकारी इंजीनियरों के पद पर पदोन्नति

4533. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने गत कई वर्षों में तदर्थ आधार पर बड़ी संख्या में कार्यकारी इंजीनियरों के पदों को वरिष्ठता के आधार पर सहायक इंजीनियरों को पदोन्नत करके भरा गया है जबकि इन पदों को भर्ती नियमों के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर पदोन्नति करके भरना चाहिए था ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सहायक इंजीनियरों के बारे में जिनके लिए वरिष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति में नवम्बर, 1972 से आरक्षण की व्यवस्था है, उक्त पदोनन्ति देते समय कोई विचार नहीं किया गया और न ही उनको गुणों के आधार पर दी जाने वाली पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देने वाले कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 20 जुलाई, 1974 के आदेश में उल्लिखित लाभ दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सम्बद्ध सहायक इंजीनियरों के साथ किये गये अन्याय को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सहायक इंजीनियर के ग्रेड से कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में नियमित आधार पर पदोन्नतियां योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर की जानी अपेक्षित होती हैं। कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में तदर्थ आधार पर पदोन्नति के लिए भी अब इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया जा रहा है।

(ख) जो श्रेणी III से श्रेणी II या श्रेणी II के भीतर तथा श्रेणी II से श्रेणी I के न्यूनतम पद तक सैलेक्शन द्वारा की जाने वाली पदोन्नतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण पहली बार कार्मिक विभाग के 20 जुलाई, 1974 के कार्यालय ज्ञापन सं० 10/41/73–ईस्ट (एस० सी० टी०) द्वारा आरंभ किया गया था तथा यह उन ग्रेडों या सेवाओं को लागू है जिन में सीधी भर्ती का अंश, यदि कोई हो, 50 प्रति शत से अधिक नहीं होता। 20-7-74 के बाद कार्यपालक इंजीनियर के ग्रेड में कोई पदोन्नति नहीं की गई है। जब कभी पदोन्नतियां नियमित या तदर्थ आधार पर की जाएंगी तो कार्मिक विभाग के निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेल–कूद का स्तर

4534. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का अभ्यावेदन दिया गया है कि देश में खेल कूद का सामान्य स्तर बहुत गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खेल कूद के स्तर में गिरावट के कारणों की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग): सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की तुलना में देश में खेलों का स्तर घटिया है।

प्रतियोगात्मक स्तर पर खेलों की उन्नति की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों पर है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों को कुछ मार्गदर्शी रूप रेखाएं भेजी हुई हैं, जिनके कार्यन्वयन से खेलों में सुधार होने की आशा है।

देश में खेलों के घटिया स्तर के कारणों से सम्बन्धित कोई विशिष्ट जांच नहीं की गई है। तथापि, सरकार देश भर में खेलों के स्तर में सुधार लाने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती रही है। राष्ट्रीय खेल संघों को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन करने, सहायक सचिवों के वेतनों के खर्चे को पूरा करने, जूनियरों और सीनियरों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने तथा विदेशों में चुने गए महत्वपूर्ण खेलों में हिस्सा लेने के लिए सहायता दी जाती है।

राज्य खेल परिषदों से अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, स्टेडियमों के निर्माण खेल उपस्करों की खरीद, ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना के लिए धन आदि दिया जाता है। स्कूलों और कालिजों के छात्रों के लिए खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है।

विश्वविद्यालय आनुदान आयोग, शारीरिक सुविधाओं के निर्माण-सुधार तथा प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए धन देकर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में खेलों को प्रोत्साहित करता रहा है। सरकार, विश्वविद्यालय छात्रों के लिए व्यापक प्रशिक्षण और शिक्षण कार्यक्रम के लिए भी धन देती है।

ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तरों पर ग्रामीण खेल टूर्नामेन्टों का आयोजन करने तथा अखिल भारतीय ग्रामीण खेल टूर्नामेन्टों में भाग लेने के लिए राज्य खेल परिषदों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

अखिल भारतीय खेल परिषद की सलाह पर, टीमों के उपयुक्त प्रशिक्षण और चयन के लिए भी मार्गदर्शन रूप-रेखाएं निर्धारित की गई हैं तथा संघों को उनके मार्ग निर्देशन और कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र से आई० सी० ए० आर० को अनुदान

4535. **श्री श्रीकिशन मोदी**
श्री पी० गंगादेव } : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र ने आई० सी० ए० आर० को कोई अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कुल राशी कितनी है ;

(ग) क्या अनुसंधान की दो भिन्न परियोजनाओं की सहायता करने के लिए अनुदान दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हां । (ख) कनाडा का 925,785.00 डालर।

(ग) से (घ) कनाडा स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समझौते के विवरण-पत्र के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित तीन प्रायोजनाओं के लिए अनुदान देने की स्वीकृति दी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है ।

क्रम संख्या	प्रायोजना का नाम	अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला कुल अनुदान (कनाडा के डालर में)
(1)	ग्रामीण जल कृषि विकास अनुसंधान प्रायोजना	324,000
(2)	ट्रीटीकेल सम्बन्धी परिचालन अनुसंधान प्रायोजना	241,785
(3)	कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी सम्बन्धी परिचालन अनुसंधान प्रायोजना	360,000
	कुल	925,785

इन तीन आयोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र से कनाडा के 217.500.00 डालर आरभिक अनुदान के रूप में प्राप्त हो चुके हैं ।

ग्रामीण जलकृषि सम्बन्धी पहली प्रायोजना केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मत्स्यापालन अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर पश्चिम बंगाल द्वारा कार्यान्वित की जाएगी ।

ट्रीटीकेल सम्बन्धी दूसरी परिचालन अनुसंधान प्रायोजना गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत नगर, (उत्तर प्रदेश) द्वारा पूरी की जाएगी ।

तीसरी प्रायोजना निम्न पांच केन्द्रों पर चलाई जाएगी—

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।

(2) उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) ।

(3) पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला (महाराष्ट्र) ।

(4) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) ।

(5) केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक (उड़ीसा) या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ।

दिल्ली दुग्ध योजना को लाभ तथा हानि

4536. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 और 1973–74 की तुलना में दिल्ली दुग्ध योजना को 1974–1975 में हुए लाभ अथवा हानि का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) योजना को कार्यकुशलता से तथा लाभप्रद बना कर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) चूंकि अभी 1974–75 का वित्त वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, अतः चालू वर्ष के लाभ हानि भाग के सम्बन्ध में बता सकना सम्भव नहीं है । यद्यपि वर्ष 1973–74 का प्रोफार्मा खाता तैयार कर लिया गया है तथापि अभी इसका अन्तिम रूप से लेखा-परीक्षण किया जाना है और लेखा परीक्षण समाप्त होने के बाद ही लाभ-हानि की स्थिति का पता चल सकेगा । 1973–74 और 1974–75 के वर्षों के लेखा परीक्षित खाते उपलब्ध होने के बाद ही इन वर्षों की तुलना में 1974–75 की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

(ख) दूध/दूग्ध उत्पादकों के बिक्री मूल्यों में 5 नवम्बर, 1973 से संशोधन किए गए थे । घी तथा स्टेंडर्ड दूध के बिक्री मूल्य में 1972 में भी कुछ संशोधन किया गया था ।

26–12–74 से दुग्ध उत्पादकों के बिक्री मूल्य में आगे और संशोधन किए गए हैं और दूध के बिक्री मूल्य में संशोधन करने का प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

इन कदमों के अलावा दिल्ली दुग्ध योजना को आर्थिक दृष्टि से लाभ पर चलाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

Report Regarding Construction of Residential Flats in Janak Puri

4537. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works and Housing** be plesed to state :

(a) Whether Government have received any report about the construction of residential flats in Janak Puri, Delhi ;

(b) If so, the contents thereof ;

(c) Who has prepared this report; and

(d) The action Government have taken on the reported use of sub-standard material ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh) : (a) The report of the Committee appointed to go into the defective construction of the 80 sq. yds. single-storeyed houses and Janta houses in Janakpuri was received in the Ministry in May, 1973.

(b) The Committee pointed out certain minor defects such as efflorescence action on compound walls, defective floorings, roofs, woodwork, electrical work and sanitary fittings. No major structural defects were found.

(c) The report was prepared by a Committee comprising Engineer Member, DDA, Chief Engineer (Housing), DDA and Chief Engineer (Construction and Development), DDA.

(d) The report did not indicate use of substandard material. Since the defects were all of minor nature and were rectified, no further action in the natter was considered necessary.

रूई के उत्पादन में कमी होना

4528. **श्री समर मुखर्जी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश में छोटे तथा मध्यम दर्जे के रेशे (स्टेपल) वाली रूई के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) 1973–74 और 1974–75 के दौरान कपास के किस्मवार सरकारी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं । अत: अभी यह बता सकना संभव नहीं है कि मध्यम और छोटे रेशे की कपास का उत्पादन कम होगा अथवा नहीं । तथापि कपास का उत्पादन बढ़ाने में राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहयोग देने के उद्देश्य से भारत सरकार, सभी स्टाफ की नियुक्ति तथा आकस्मिक खर्चों की पूरी सहायता से कपास उगाने वाले सभी प्रमुख राज्यों में सघन कपास जिला कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है । सघन पशु विकास कार्यक्रम (आई० सी० डी० पी०) के अन्तर्गत बीजों, वनस्पति-रक्षण उपकरणों की खरीद और प्रदर्शनों आदि के लिए भी राज्य सहायता दी जाती है ।

Famine in Rajasthan

4539. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether 10 Districts of Rajasthan in desert area are generally affected by famine and if so, the provision included in the Fifth Plan by the Centre to relieve this area from this problem; and

(b) The amount allocated for each District and the schemes prepared for various Districts based on the above Provision ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) 10 chronically drought-prone districts, viz., Jaisalmer, Balmer, Pali, Jalore, Bikaner, Churu, Jodhpur, Banswara, Nagaur and Dungarpur and 6 contiguous tehsils in the districts of Ajmer, Udaipur and Jhunjhunu in Rajasthan state are being covered under the Drought Prone Areas Programme. An outlay of Rs. 33·80 crores has been provided for this programme during the Fifth Five Year Plan period. This outlay is to be equally matched by the state government.

(b) Each district is entitled to Rs. 3 crores for the Fifth Plan period to be equally matched by the state government, except Jodhpur and Nagaur which have an allocation of Rs. 4 crores each as they are a part of the World Bank assisted project. For each contiguous tehsil Rs. 30 lakhs have been provided. It is not possible to indicate details of schemes as the project reports have just been received from the state government and these are under process of examination.

चीनी का कोटा बढ़ाने के लिए गुजरात का अनुरोध

4540. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र से राज्य के चीनी के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किय था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां। जून और जुलाई 1974 में।

(ख) क्योंकि 1973–74 में मूल अनुमान से चीनी के उत्पादन में कमी हो गई थी और इसके बावजूद भी सरकार ने अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए 1974 में लगभग 5 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करना आवश्यक समझा था, इसलिए जून 1974 से आगे सभी राज्यों के चीनी के मासिक आबंटन में कमी करना आवश्यक हो गया । अत : प्रारम्भिक स्तर पर आबंटन को बहाल करने संबंधी गुजरात सरकार के अनुरोध को मानना सम्भव नहीं हुआ । राज्य सरकार को सही ढंग से स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।

निरक्षरता

4541. **सरदार महेन्द्रसिंह गिल :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या आज भी हजारों अध्यापक (प्रशिक्षित अध्यापकों सहित) गत कई वर्षों से बेरोजगार हैं तथा उनके नाम देश भर के रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1961 और 1971 की जनगणना के अनुसार अनपढ़ों की संख्या निम्नलिखित है :

आयु वर्ग	आंकड़े लाखों में	
	1961	1971
5–14	803.2	973.6
15–24	468.8	475.9
25–34	481.9	506.1
35 तथा उससे ऊपर .	917.7	1126.7

15–24 वर्ष की आयु वर्ग में जहां सरकार की शैक्षिक नीतियों के पूरे प्रभाव को महसूस किया जाता है, लगभग 7 लाख की मामूली वृद्धि हुई है। जनसंख्या के अधिक आयु वाले वर्गों की संख्या में वृद्धि अधिक हुई है–25–34 वर्ष की आयु वर्ग में 24 लाख और 35 तथा उससे अधिक वर्ष के आयु वर्ग में 209 लाख।

(ख) मुख्य कारण हैं – जनसंख्या में वृद्धि ; सामाजिक आर्थिक कारण जो पूर्ण कालिक शिक्षा प्राप्त करने में बच्चों को रोकते हैं ; और अपर्याप्त संसाधन।

(ग) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में सभी वर्गों के अध्यापकों की कुल संख्या 1964 में 58,000 थी जो, जून 1974 में बढ़कर 226,000 हो गई है इनमें से 165,307 प्रतिशत अध्यापक हैं । तथापि यह जरूरी नहीं कि ये सभी अध्यापक बेरोजगार हों ।

(घ) इस स्थिति को कम करने में दो कदम सहायक हुए हैं ।

(i) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करने तथा प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार करने की योजना के अन्तर्गत, नए प्रारम्भिक स्कूल खोलने, अध्यापक छात्र अनुपात में सुधार करने और प्रारम्भिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें मिडिल स्कूल बनाने के लिए 1971–72 से 1973-1974 के दौरान लगभग 80,000 अतिरिक्त प्रारम्भिक स्कूल अध्यापक नियुक्त किए गए ।

(ii) कई राज्य सरकारें अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में दाखिले की संख्या घटाने के लिए कदम उठा रही हैं ताकि जो पहले से प्रशिक्षित अध्यापक हैं उन्हें रोजगार के क्षेत्र में, नए अध्यापक प्रवेश करने से पूर्व रोजगार मिल सके ।

यह उल्लेखनीय है कि इन उपायों के परिणामस्वरूप, 1973 से रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में बेरोजगार अध्यापकों की संख्या में कमी हो रही है । शिक्षा के लिए उपलब्ध योजनागत स्त्रोतों की सीमा में ही प्राथमिक शिक्षा को तरजीह दी जा रही है तथा पांचवी योजना के प्रारूप में शिक्षा के कुल परिव्यय का 43 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा के लिए आबंटित किया गया है । अनौपचारिक शिक्षा तथा कार्यात्मक साक्षारता के कार्यक्रम भी शुरू किए गए है और निरक्षरता उन्मूलन के कार्यक्रमों में छात्रों तथा युवकों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

Lord Krishna Sugar Mills

4542. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) When Government took over the management of the Lord Krishna Sugar Mills ;

(b) The month-wise recovery figures for 1974-75;

(c) The recovery figures for the months of December 1974 and January, 1975 ; and

(d) In case the recovery has been lower, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The management of the Lord Krishna Sugar Mills had been taken over by the Government of Uttar Pradesh under the Defence of India Rules on the 10th January, 1974 and entrusted to the U. P. State Sugar Corporation.

(b) to (d) A statement showing month-wise recovery of sugar from cane in this Mill during the season 1974-75 upto February, 1975 and the recoveries obtained in earlier two seasons, is attached. The month-wise recovery during 1974-75 season has been higher as compared to that in the corresponding months during 1972-73 and 1973-74.

Statement showing monthwise Recovery of sugar from cane in respect M/s. Lord Krishna Sugar Mills, Saharanpur, Distt. Saharanpur (U.P.)for the years 1972-73, 1973-74 and 1974-75 (upto February 1975).

Month	1972-73 (1-11-72 to 8-4-73)	1973-74 (14-1-74 to 29-5-74)	1974-75 (From 19-11-74)
November	7·10	..	7·30
December ..	7·80	..	8·57
January ..	8·12	8·50	9·23
February	8·66	9·42	9·62
March	8·40	9·65	..
April ..	8·35	9·16	..
May	..	7·81	..

शिक्षा प्रणाली में मौलिक सुधारों के लिए विद्यार्थियों द्वारा आन्दोलन

4543. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यार्थियों विशेषकर गुजरात और बिहार के विद्यार्थियों द्वारा वर्तमान पुरानी पड़ गई शिक्षा प्रणाली में मौलिक सुधारों की मांग करते हुए किए जा रहे व्यापक आन्दोलनों की ओर ध्यान दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुलहसन) : (क) और (ख): शिक्षा आयोग ने शैक्षिक सुधारों के प्रश्न पर व्यापक रूप से पुनर्विचार किया है । आयोग की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की गई थी और उसके आधार पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के

संबंध में एक संकल्प जारी किया गया था। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती रही है कि संकल्प में उल्लिखित नीतियों तथा सुधारों को, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा समय समय पर सिफारिश किए गए संशोधनों, परिवर्तनों अथवा रूपान्तरों के आधार पर, कार्यान्वित करने के लिए ठोस कार्यवाही की जाए ।

उपलब्ध साधनों की अत्यन्त तन्गी को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नवम्बर, 1974 को हुई अपनी बैठक में शैक्षिक विकास की नीति पर विचार किया था और निम्नलिखित चार-सूत्री नीति की सिफारिश की थी : (i) अत्यन्त महत्व के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों तथा प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, गुणात्मक सुधार के कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, 10-+2-3 की नई पद्धति का अपनाना, युवक सेवाओं का विकास, जैसी प्राथमिकताओं पर प्रयास केन्द्रित करना; (ii) शिक्षा के सभी स्तरों पर अनौपचारिक शिक्षा को लागू करना ; (iii) अध्यापकों, छात्रों तथा समुदाय को व्यापक रूप में शामिल करके सभी शैक्षिक संस्थाओं में उत्साह तथा कठोर कार्य के लिए वातावरण का निर्माण, और (iv) माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा का योजना बद्ध विस्तार। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा । केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के 37वें सत्र में अपनायी गई नीति के ब्यौरे संकलप III में निहित है । संकल्पों की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

उड़ीसा का लेवी की चीनी के कोटे में वृद्धि का अनुरोध

4544. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1974-1975 और 1975-76 में अपने लेवी की चीनी के मासिक आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) 1973 और 1974 की तुलना में उड़ीसा की लेवी की चीनी का वर्तमान मासिक आबंटन क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख): उड़ीसा सरकार ने सितम्बर, 1974 में यह अनुरोध किया था कि उनके लेवी चीनी क मासिक कोटे को बढ़ाकर 1500 मीटरी टन प्रति माह कर दिया जाए ।

(ग) पंचांग वर्ष 1973, 1974 और 1975 (अप्रैल, 1975) तक के दौरान उड़ीसा सरकार को आबंटित मासिक कोटे को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पंचांग वर्ष 1973, 1974 और 1975 (अप्रैल, 1975 तक) के दौरान उड़ीसा सरकार को आबंटित लेवी चीनी के मासिक कोटे को बताने वाला विवरण

आबंटित कोटा (मी० टन में)

माह	1973	1974	1975
जनवरी	4,832	5,214	4,676
फरवरी	4,832	5,214	4,676
मार्च	4,832	5,214	4,676
अप्रैल	4,832	5,214	4,676
मई	5,353	5,214	
जून	5,353	4,945	
जुलाई	5,216	4,676	
अगस्त	4,947	4,676	
सितम्बर	4,947	4,676	
अक्तूबर	5,468	4,676	
नवम्बर	4,947	4,676	
दिसम्बर	4,947	4,676	

निर्धन महिलाओं के लिए दस्तकारी केन्द्र

4545. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड निर्धन महिलाओं के लिये दस्तकारी केन्द्र खोलने के लिए तथा शिशु उत्थान के लिए विभिन्न ऐच्छिक संगठनों को धनराशि नियत करता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में कितने संगठनों ने यह राशि प्राप्त की ; और

(ग) ऐच्छिक संगठनों को यह राशि मंजूर किये जाने के आधार क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) से (ग) : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड शिल्प केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता नहीं देता है। तो भी, यह उन स्वैच्छिक संगठनों को बराबर के आधार पर सहायता देता है, जो गरीब स्त्रियों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के भाग के रूप में अथवा लाभान्वितों को सरकार द्वारा मान्य परिक्षाओं में बैठने लायक बनाने के लिए 'शिल्प' का प्रशिक्षण देतें है। बच्चों के लिए कल्याण सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठन भी बराबर के आधार पर सहायता पाने के पात्र हैं। सामान्यतया तीन वर्ष से समाज कल्याण कार्य में लगे पंजीकृत संगठनों को राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों की सिफारिशों पर सहायता दिए जाने पर विचार किया जाता है।

2. उपरोक्त प्रयोजनों के लिए "योजनागत अनुदान" सीधे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा तथा "वार्षिक अनुदान" राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के माध्यम से दिए जातें ह।

3. संगठनों तथा 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान उनको दी गई धनराशियों के बारे में ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

चुने हुए क्षेत्रों में चरागाहों का विकास

4546. **श्री भाऊ साहिब** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने देश के चुने हुए क्षेत्रों में चरागाह–विकास संबंधी कोई विशेष कार्यक्रम तयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि में से चरागाह भूमि की प्रतिशतता क्या है और इस भूमि और वहां की पशु-संख्या का क्या अनुपात है; और

(घ) देश में बड़िया किस्म के चारे की गहन खेती/ उत्पादन के लिए क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहें है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी, हां। सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तगत चरागाह विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 13 राज्यों के 56 जिलों (54 यूनिटों) में चलाया जा रहा है। चरागाह विकास कार्यक्रम वनरोपण से संबद्ध है, अतः केवल चरागाह विकास के लिए राज्यवार विनियोजन का ब्यौरा देना संभव नहीं है। किन्तु देश में इस क्षेत्र के लिए वर्ष 1974–75 के 441.49 लाख रुपये की रकम निर्धारित की गई है।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया–देखिए संख्या एल० टी 9286/75]।

(घ) पशु आहार के उत्पादन तथा संरक्षण के सभी पहलुओं के संबंध में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चरागाह तथा पशु आहार अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है जहां उन्नत पैकेज पद्धतियों के विकास के साथ साथ सभी प्रकार के चारे की फसलों की अधिक उत्पादनशील तथा रोग रोधी किस्मों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। कुछ राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय भी चुनी हुई चारे की फसलों के विषय में अनुसंधान कर रहें है । भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश की विभिन्न कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियों के अन्तर्गत चारे के उत्पादन तथा प्रर्दशन के संबंध में सात प्रादेशिक केन्द्रों की स्थापना की है। ये केन्द्र संबंधित राज्य एजेंसियों के सहयोग से किसानों के खेतों में प्रदर्शन करतें हैं ताकि किसान अनुसंधान के नवीनतम निष्कर्षों को अपने खेतों के लिए अपना सकें। सघन पशु विकास परियोजनाओं की चारा उत्पादन तथा प्रर्दशन संबंधी विशेष योजनायें हैं, जिन में किसानों को चारे के उन्नत बीजों का वितरण भी शामिल है।

केन्द्रीय तथा राज्यों की एजेन्सियां बढ़िया किस्म के चारे के बीजों के (जिनका देश के चारे के संसाधनों को वृद्धि करने के लिए बड़ा महत्व है) उत्पादन में लगी हुई हैं। राज्यों में चारे के बीजों का उत्पादन करने के 33 फार्म स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय बीज निगम भी अखिल भारतीय महत्व की चुनी हुई फसलों के आधारी बीज तैयार करता है। चारा उत्पादन तथा प्रर्दशन विधेयक केन्द्रीय प्रायोजित प्रादेशिक केन्द्र, राष्ट्रीय बीज निगम तथा अन्य बीज उत्पादक एजेंसियों और प्रगतिशील किसानों एंव इच्छुक उत्पादकों में वितरित करने के लिए निर्मुक्त तथा निमुक्ति पूर्व चारे की उन्नत किस्मों के बीजों का संबर्धन करने में लगे हुए हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी सम्बन्धी विधेयक

4547. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी का नियंत्रक करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने की सूचना दी थी; और

(ख) यदि हां, तो विधेयक को संसद में विचार करने तथा पारित करने के लिए पेश किए जाने में विलम्ब के क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) : ब्रह्मपुत्र बोर्ड. बिल, 1975 को पांचवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र को अन्तिम विधेयक कार्यविधि सूची में शामिल कर लिया गया है। यह बिल अभी संसद् में प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसके कुछ उपबंधों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम

4548. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदश की ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि का आबंटन किया गया था ;

(ख) उक्त आबंटन में से कितनी धनराशि जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) को दी गई थी ;

(ग) बहराइच जिले में उक्त धनराशि का प्रयोग किस कार्य पर किया गया था ; और

(घ) क्या बहराइच में आरंभ किया गया कार्य पूरा हो गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) वर्ष 1971–74 के दौरान ग्राम रोजगार को त्वरित योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को 1834.88 लाख रूपये की धनराशि बंटित की गई थी ।

(ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1971–74 के दौरान बहराइच जिले को 31.53 लाख रूपये की धनराशि आबंटित की थी ।

(ग) सम्पूर्ण धनराशि सड़कों के निर्माण के लिए निर्धारित की गई थी ।

(घ) जी नहीं ।

नर्मदा ब्रिगेड की स्थापना की योजना

4549. **श्री प्रसन्नभाई महता:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिनांक 25 दिसम्बर, 1974 के अंग्रेजी के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "चिमनभाई प्लसिटु सैट अप नर्मदा ब्रिगेड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) क्या नर्मदा विवाद के संबंध में कोई प्रगति हुई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या नए ट्रिबुनल ने अपने रिपोर्ट दे दी है और यदि नहीं, तो उसके कब तक मिलने की संभावना है ; और

(घ) नर्मदा विवाद के हल के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किए जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : नर्मदा जल-विवाद न्यायधिकरण को न्यायनिर्णयन संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है । यद्यपि न्यायधिकरण अपना कार्य यथा-व्यवहार्य शीघ्र पूरा करने के प्रयत्न कर रहा है, तो भी इस समय यह बताना संभव नहीं है कि यह न्यायधिकरण अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगा ।

अनाज के उत्पादन और वसूली का अनुमान

4550. **श्री एस० आर० दामाणी:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अनाज की प्रमुख वस्तुओं की फसल और सरकारी ऐजेंसियों द्वारा गेहूं और चावल की वसूली का क्या अनुमान है ;

(ख) देश की आवश्यक्ता की तुलना में यह कितना कम है और कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है,

(ग) आगामी वर्ष में उत्पादन और वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(घ) लक्ष्य प्राप्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल): (क) 1974–75 क खाद्यानों के उपादन के पक्के अनुमान जुलाई, अगस्त 1975 में किसी समय उपलब्ध हो सकेंगे । तथापि, प्रारम्भिक सूचना से ऐसी संकेत मिलता है कि 1974–75 के खरीफ मौसम में खाद्यानों का उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा कम हुआ, जबकि रबी मौसम अनुकूल रहा तो इसके अधिक होने की आशा है। चालू वर्ष में अब तक (20–3–75 तक) 29.16 लाख मीटरी टन चावल की वसूली हुई । 1974–75 की फसल के लिए गेहूं की वसूली 1 अप्रैल, 1975 से शुरू की जायेगी । 1973–75 के फसल मौसम से अब तक 19.18 लाख मीटरी टन बसूली की गई है ।

(ख) उत्पादन के पक्के अनुमानों के अभाव में कमी के सही अनुमान लगा सकना कठिन है । तथापि, कमी को पूरा करने के लिए एहतियात के तौर पर कुछ मात्रा में खाद्यानों का आयात करने की व्यवस्था की गई है ।

(ग) 1975–76 के फसल मौसम के उत्पादन और वसूली के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

(घ) पांचवीं योजना में खाद्यानों का उत्पादन बढ़ाने के लिये जो उपाय करने का विचार है उनमें ये शामिल हैं ---- फसलों के क्षेत्र का विस्तार, अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र का विस्तार, सिंचाई, सुविधाओं का विस्तार, रसायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों और कीटनाशी दवाओं के प्रयोग को काफी बढ़ाना, कमांड क्षेत्र विकास विभिन्न समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए तत्संबंधी अनुसंधान-कार्य तेज करना और विस्तार प्रयास दृढ़ करना तथा ऋण, विपणन तथा कृषि आदानों की सप्लाई के लिए संस्थागत व्यवस्थायें करना । वसूली के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये जो कदम उठाए गए हैं, उनमें ये शामिल है --- स्टाक अधिग्रहण करना, किसानों से सीधे खरीद करना वसूली को उवरक और अन्य आवश्यक्ता वस्तुओं के वितरण के साथ संबंद्ध करना, किसानों, व्यापारियों और मिल मालिकों पर लेवी लगाना और जमाखोरी समाप्त करने के लिये कारगर उपाय करना ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में निर्णय

4551. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविधालय अनुदान आयोग की समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने (एक) वित्तीय दायित्वों और (दो) "केन्द्रीय विश्वविद्यालय" और "राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय" के केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में अपनी नीति तैयार कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो इन दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों के बारे में यदि कोई स्पष्ट भेद है तो क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नरूल हसन) : (क) और (ख): कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुनर्गठन तथा विकास संबंधी समिति की रिपोर्ट को कलकत्ता विश्वविद्यालय और प० बंगाल सरकार के पास उनके विचार जानने के लिए भेज दिया गया था । समिति की एक सिफारिश के बारे में विश्वविद्यालय की टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं ।

बाकी सिफारिशों पर विश्वविद्यालय की टिप्पणियों तथा राज्य सरकार की टिप्पणियों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् रिर्पोट पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा । आयोग का मत प्राप्त हो जाने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा इस मामले पर विचार करना संभव हो सकेगा ।

(ग) और (घ) : भारत के संविधान में "राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय" की कोई परिकल्पना नहीं है । तथापि, सातवीं अनुसूची की सूची–1 की प्रविष्ट 63 क अन्तर्गत, संसद कानून द्वारा किसी भी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित कर सकती है । किसी संस्था को इस प्रकार राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किए जाने के बाद संसद को उस संस्था के संबंध में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार हो जाता है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा निगमित किया जाता है और इस प्रकार उपलब्ध संसाधनों के अन्दर सभी वित्तीय दायित्वों को वहन करना केन्द्र की पूरी जिम्मेदारी होती है ।

तमिल नाडु के लिए चावल और गेहूं

4552. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में भारी सूखे की स्थिति के कारण केन्द्रीय सरकार से चावल और गेहूं सप्लाई करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 1975 में राज्य सरकार को कितनी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किए गए ; राज्य सरकार की कुछ मांग कितनी थी और कितनी मांग पूरी की गई ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार को कितनी सहायता दी; और

(घ) क्या केन्द्रीय मंत्री ने राज्य का दौरा किया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शीन्दे) : (क) से (ग) : तमिल नाडु सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी और मार्च, 1975 के दौरान चावल और गेहूं सहित खाद्यान्नों की मांगी गई मात्रा और उनको केन्द्रीय पूल से सप्लाई की गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

हजार मीटरी टन में)

मास	मांगी गई मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा
जनवरी, 1975	115.0*	27.0
फरवरी, 1975	115.0*	50.0
मार्च, 1975	115.0*	60.0**

भारत सरकार ने तमिल नाडु को अग्रिम योजना सहायता देने के लिए 7.50 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है।

(घ) जी हां।

केन्द्रीय अध्ययन दल का गुजरात के अभावग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

4553. **श्री एन० आर० बेकारिया**
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय अध्ययन दल ने गुजरात राज्य के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों का अक्तूबर से दिसम्बर, 1974 तक दौरा किया था ;

*खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए 15,000 मीटरी टन गेहूं प्रति मास शामिल है।
**आवंटन को दर्शाता है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन क्षेत्रों के बारे में यदि उनकी कोई रिपोर्ट है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) गुजरात राज्य में मौके पर पहुंच कर सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिये योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार, वित्तमंत्रालय के संयुक्त सचिव, आयोजना (वित्त) तथा कृषि विभाग के संयुक्त आयुक्त (फसल) 3 अक्तूबर, 1974 से 6 अक्तूबर, 1974 तक गुजरात के दौरे पर रहे। इसके बाद योजना आयोग के सदस्य (एस) ने भी गुजरात का दौरा किया। योजना आयोग के सदस्य (एस) ने गुजरात के राज्यपाल और गुजरात सरकार के सलाहकार के साथ सूखे की स्थिति के संबंध में विचार-विमर्श किया ।

(ग) इन अधिकारियों ने स्थिति का जो जायजा लिया उसके अनुसार राज्य सरकार को प्रभावित जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने, पेय जल के लिए आवश्यक व्यवस्था करने और मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के लिए ही अपरिहार्य सहायता सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए 1974–75 के दौरान लगभग 33 करोड़ रू० का व्यय करने की आवश्यक्ता है। उन्होंने राहत के तौर पर निर्माण कार्य शुरु करने में एहतियात बरतने की आवश्यक्ता पर भी जोर दिया, ताकि लोग वास्तविक कृषि कार्यों को छोड़कर इन कामों में न लग जायें। अन्ततः उन्होंने 1975 के आरम्भ में सूखे की स्थिति की समीक्षा करने की सिफारिश की, ताकि 1975–76 में राज्य योजना के लिए अग्रिम सहायता की आवश्यक्ता का अनुमान लगाया जा सके ।

राज्यों को आवास ऋण का आबंटन

4554. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1974–75 में देश के कुछ राज्यों को चार करोड़ रूपये की राशि का आवास ऋण आबंटित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य वार कितनी राशि आबंटित की गयी है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) : जीवन बीमा निगम ने विभिन्न राज्य सरकारों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु नियतम करने के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय को 1974–75 वर्ष के दौरान 15.39 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध की। राज्यवार नियत की गई राशियों का एक विवरण-पत्र संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त तथा नष्ट हुए मकानों के निर्माणार्थ असम, बिहार, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों को 1974–75 के दौरान प्रत्येक को 1.50 करोड़ रूपये के विशेष ऋण स्वीकृत किये हैं। उसने केरल सरकार को राज्य सरकार की एक लाख आवास योजना के लिये 1.50 करोड़ रूपये का एक विशेष ऋण भी स्वीकृत किया है।

विवरण

1974–75 वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम के ऋणों के नियतम का राज्यवार विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नियत की गई राशि (करोड़ रूपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.05
2.	असम	0.11
3.	बिहार	1.34
4.	गुजरात	1.05
5.	हरियाणा	0.38
6.	हिमाचल प्रदेश	0.28
7.	जम्मू तथा कश्मीर	0.32
8.	कर्नाटक	1.20
9.	केरल	0.70
10.	मध्य प्रदेश	1.01
11.	महाराष्ट्र	0.99
12.	मणिपुर	0.09
13.	मेघालय	0.09
14.	नागालैण्ड	0.09
15.	उड़ीसा	1.09
16.	पंजाब	0.55
17.	राजस्थान	0.85
18.	तमिल नाडु	1.26
19.	उत्तर प्रदेश	1.06
20.	पश्चिम बंगाल	1.26
21.	दिल्ली विकास प्राधिकारण	0.62
	कुल	15.39

वृद्धावस्था पेंशन पर व्यय

4555. **श्री बालकृष्ण बेनकान्न नायक** : क्या **शिक्षा, समाज, कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

केन्द्र द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पर कितना वार्षिक व्यय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : केन्द्रीय सरकार की कोई वृद्धावस्था पेंशन योजना नहीं है। इसलिए केन्द्र द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पय कोई खर्च किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जामनगर में आग लगने से उर्वरक की क्षति

4556. **श्री मधु दंडवते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जामनगर में आग के कारण हुई हजारों टन उर्वरक की हानि का उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभ दास पटेल) : (क)तथा (ख): 22 फरवरी, 1975 को आयातित कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के स्टाक में, (जो ओखा बन्दरगाह पर ट्रान्जिट शैड नं० 9 और 10 के बीच की खुली जगह पर जमा किया हुआ था) आग लगने की सूचना मिली थी। 24 फरवरी, 1975 को पिरन नामक जलयान के हैच नं० 2 में भी आग लग गई थी। इन दोनों दिनों की आग से लगभग 700 मीटर टन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हानि पहुंची। सहायता कार्य जारी हैं और वास्तविक हानि का पता सहायता कार्य पूरा होने के बाद लग सकेगा। उन मात्राओं की तुलना में जो विभिन्न बन्दरगाहों से विभिन्न राज्यों को भजी जा रही हैं, इन दो दिनों की आग से उर्वरकों के स्टाकों में जो हानि हुई है वह नगण्य है। अतः उर्वरकों की इस थोड़ी सी मात्रा के कारण देश में कृषि उत्पादन पर कोई कुप्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

कांडला और हल्दिया में उर्वरक परियोजनाएं

4557. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला में प्रतिदिन 4000 टन उर्वरक का उत्पादन करने के लिए एक द्रुत गति परियोजना पर कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आयेगा और इसमें कितनी विदेशी मुन्द्र खर्च आयेगी ; और

(ग) क्या हल्दिया में भी इसी प्रकार की द्रुत गति परियोजना को कार्यरूप दिया जा रहा है यदि हां तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और इसमें विदेशी मुद्रा सहित कितनी लागत आयेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) आशा है कांडला में 'हाई स्पीड कन्टीन्युआस अनलोडर' माल मार्च 1975 के दौरान काम शुरू कर देगा। इस परियोजना के बकाया भाग अर्थात् कन्वेयर, बल्क स्टोरेज बैंडिग शैड आदि सम्भवत: सितम्बर/अक्तूबर 1975 तक कार्य शुरू कर देंगे।

(ख) आशा है कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 767 लाख रूपये होगी। जिसमें से विदेशी मुद्रा का भाग लगभग 136 लाख रुपये होने की सम्भावना है।

(ग) हल्दिया में ऐसी ही परियोजना क्रियान्वित हो रही है। वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि प्रथम चरण सम्भवत: दिसम्बर, 1976 तक तथा द्वितीय चरण जुलाई 1977 तक पूरा हो जाएगा। परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 1395 लाख रुपये है जिसमें से विदेशी मुद्रा का अंश लगभग 133 लाख रुपये होगा।

भूतपूर्व तदर्थ अध्यापकों को नियमित अध्यापकों के रूप में नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

4558. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने 11 मई, 1973 के एक अनुपूरक पत्र सहित 9 मई, 1973 का एक पत्र संख्या 4(1) सी० ई० सी०/73/5633 जारी किया था जिसमें वर्ष 1973–74 में भूतपूर्व तदर्थ अध्यापकों को नियमित अध्यापकों के रूप में भर्ती करने तथा उन्हें अल्प अवधि की नौकरी देने पर, जैसा कि गत वर्षों में होता रहा था, प्रतिबन्ध लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त परिपत्र तथा उसके अनुपूरक पत्र में उल्लिखित निर्देशों की वास्तविक अर्थों में क्रियान्वित की गई थी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) यदि हां, तो टी० जी० टी० (हिन्दी) अध्यापकों के जून 1973 में तैयार किए गए पैनल में वृद्धि की गई थी हालांकि रिक्त पदों का अभाव था ; और उक्त तारीख किस वृद्धि को की गई थी तथा इसके क्या कारण थे ; और

(घ) क्या इस पैनल में वृद्धि करने के फलस्वरूप काफी संख्या में मूलत: चुनी गई तदर्थ-अध्यापिकाओं सहित उक्त पेनल के अधिकांश उम्मीदवार अभी तक बेरोजगार है जबकि यदि पेनल में वृद्धि न होती, तो उन्हें रोजगार मिल चुका होता ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, ये पत्र, भूतपूर्व तदर्थ अध्यापकों को उनके चयन के लिए, बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के अवसर प्रदान किए जाने और इन्हीं अध्यापकों में से नियमित नए स्थानों को कुछ ऐसे विशेष वर्गों को छोड़कर जिनके लिए इन अध्यापकों में से अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, भरे जाने के लिए थे। तथापि, इस निर्णय को तत्पश्चात इस सीमा तक परिशोधित कर दिया गया था कि विभाग में पहले से ही काम करने वाले योग्य अध्यापकों के साथ रोजगार कार्यालय के उम्मीदवारों को भी उपरोक्त प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दे दी गई।

(ख) पहले निर्णय को, उसके अनुवर्ती, संशोधनों सहित, पूर्णतया कार्यान्वित कर दिया गया था ।

(ग) अधिक संख्या में उपलब्ध होने वाले रिक्तियों की प्रत्याशा के कारण सितम्बर, 1973 में पेनल को परिवर्धित कर दिया गया था ।

(घ) मूल पेनल में मात्र 30 तदर्थ महिला प्रशिक्षित स्नातक अध्यापिकाएं थीं । पेनल के परिवर्धन के पश्चात् 54 अध्यापकों को नियुक्त किया जा चुका है जिनमें मूल पेनल के 22 अध्यापक भी शामिल हैं ।

नई दिल्ली नगर पालिका में अनधिकृत सीवर कनैक्शनों के बारे में शिकायतें

4559. **श्रीमती मुकुल बनर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका को गत वर्ष एक वर्ष के दौरान अनधिकृत सीवर कनैक्शनों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) क्या नियमों के अधीन यह एक दण्डनीय अपराध है और यदि हां, तो क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पुलिस के पास उक्त शिकायतें दर्ज की हैं ;

(ग) क्या ये अनधिकृत निर्माण नगर-पालिका कर्मचारियों की साठगांठ से किये गये थे; और

(घ) क्या दोषियों द्वारा यह क्षति भी नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा वसूल की गई है और क्या उक्त प्रकार का कोई अनअधिकृत निर्माण हटाया गया है ।

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका को ऐसी केवल एक एक शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) जी हां । नई दिल्ली नगर पालिका को पंजाब नगर पालिका अधिनियम की धारा 125 के साथ पठित नई दिल्ली नगरपालिका मल-निर्यास उप-नियमों के जुर्माना-खण्ड-111 के अधीन कार्यवाही करने का अधिकार है। तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है ।

(ग) इस मामले में नई दिल्ली नगर पालिका के पास कोई विशेष साक्ष्य नहीं है ।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

स्लम प्रगृहों के रख रखाव के लिये निर्धारित राशि

4560. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा सरकार ने उन स्लम निवासियों को, जिनसे दिल्ली में हाल ही में गंदी बस्तियां खाली कराई गई हैं, स्लम प्रगृहों को किराया खरीद आधार पर आबंटित करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रगृह का मंजिलवार और बस्तीवार क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) अलाटी को निर्धारित कीमत कितने समय में और अधिक से अधिक कितनी किश्तों में अदा करनी होगी ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो ऐसा निर्णय कब तक लिया जायेगा ; और

(ङ) वर्ष 1974-75 में स्लम-प्रगृहों के रख-रखाव के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है और आज तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इन टेनमेन्टों के लिए ली जाने वाली कीमत के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) अलाटी को एक मुश्त राशि अथवा 20 वर्ष की अवधि में किश्तों में भुगतान करने का विकल्प प्राप्त है।

(घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) गन्दी वस्ती टेनमेन्टों के अनुरक्षण हेतु 1974-75 के दौरान 12.50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है तथा जनवरी, 1975 तक 6.60 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

स्लम प्रगृहों के निवासियों से प्राप्त अभ्यावेदन

4561. **श्री श्रीकिशन मोदी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का स्लम विभाग रणजीत नगर और चन्द्रशेखर आजाद कालोनी जैसी बस्तियों में स्लम प्रगृहों के अलाटियों की समस्याओं पर उचित ध्यान नहीं दे रहा है ;

(ख) क्या उक्त विभाग को स्लम प्रगृहों के निवासियों से कुछ अभ्यावेदन मिल रहे हैं उन्होंने अपनी कठिनाईयों का उल्लेख किया है और यदि हां, तो विभाग ने उन पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या ग्राऊंड फ्लोर के आबंटन और बड़े परिवारों को अतिरिक्त प्रगृहों के आबंटन के मामले में जरूरतमन्द लोगों की उपेक्षा की जा रही है ; और

(घ) क्या स्लम प्रगृहों वाली कालोनियों में रख-रखाव कर्मचारियों की सेवा बहुत ही असन्तोषजनक है और यदि हां, तो उसे सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) जी नहीं ।

(ख) गन्दी बस्ती टेनमेंटों के निवासियों की कठिनाईयों के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ति विभाग द्वारा प्राप्त उन शिकायतों, जो उस विभाग से संबंधित हैं, जिसमें जलपूर्ति, सीवेज, बिजली तथा गन्दी बस्ती टेनमेंटों की सामान्य मरम्मत और अनुरक्षण के बारे म शिकायतें शामिल हैं, को उसी विभाग द्वारा निपटाया जाता है । प्रत्येक कालोनी में स्थल कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर भी रखा जाता है जहां निवासी, गन्दी बस्ती विभाग से संबंधित उन द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों के बारे में शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं । इन शिकायतों के प्राप्त होने पर निवासियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिये लगाये गये स्टाफ द्वारा शिकायतें दूर करने हेतु कार्यवाही की जाती है । पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा उन के कार्य की उचित जांच की जाती है । अन्य विभागों से संबंधित कठिनाईयों के बारे में निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित विभाग से सम्पर्क स्थापित करें ।

(ग) जी, नहीं । अनुमोदित सिद्धान्तों तथा टेनमेंटों की उपलब्धता के अनुसार आबंटन किये जाते हैं ।

(घ) जी नहीं ।

Setting up of Sugar Mills in Madhya Pradesh during Fifth Plan Period

4562. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether some sugar mills are proposed to be set up in Madhya, Pradesh during the Fifth Plan period ; and

(b) If so, the number of the mills to be set up in the Cooperative, Public and private sectors, separately and the names of the places in various districts where these mills will be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) A licence has been issued in July, 1974 for the establishment of a sugar factory in the cooperative sector with a daily crushing capacity of 1250 tonnes at Barlai, Distt. Indore in Madhya Pradesh. An application for establishment of another factory with like capacity, in the cooperative sector at Bohani, District Narsinghpur is under consideration for the grant of licence.

Scheme for Supply of Water in Kedar Bagh, Delhi-35

4563. **Shri Purushottam Kakodkar** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether a resolution to provide water to Kedar Bagh (Madan Park and Chhunamal Park) Rohtak Road, New Delhi was adopted by the Delhi Municipal Corporation Water Supply and Sewage Disposal Undertaking on the 8th June, 1974 ;

(b) If so, the contents thereof ;

(c) The reasons for which the water pipes have not been laid so far in the colony in spite of the resolution adopted in this regard; and

(d) The time by which this work is likely to be completed in order to remove the difficulties faced by the residents there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) The Water Supply and Sewage Disposal Committee sanctioned an estimate of Rs. 48,170 vide resolution No. 78 dated the 8th August 1974 for this scheme.

(c) The Water mains could not be laid in the area due to non-availability of funds during the year 1974-75.

(d) The work is likely to be taken up and completed during the financial year 1975-76.

Civic Amenities in Manohar Park, Rohtak Road, New Delhi

4564. **Shri Purushottam Kakodkar** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) Whether civic amenities such as drains, brick flooring, street lights and public lavatories have not been provided in the Jhuggi-Jhompri Colony, Manohar Park, Rohtak Road, New Delhi even after a lapse of many years whereas the representatives of this colony have been repeatedly requesting the Commissioner of Slums, D.D.A. in this regard;

(b) If so, the reasons for not providing these amenities; and

(c) the time by which Government propose to redress their difficulties ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) Manohar Park is not a Jhuggi Jhompri Colony but a regularised Colony and necessary civic amenities are being provided by the M.C.D. in this regularised colony. Some jhuggies exist alongside the Najafgarh Nallah near Manohar Park/Amar Park colonies and presumably the reference is to this cluster of Jhuggi Jhompries Representations have been received on behalf of this JJ Cluster and a survey conducted by the Commissioner (Slums) has

revealed that this JJ Cluster is affected by the widening/improvement programme of the Najafgarh Nallah and might have to be shifted from this site. Hence, no improvement works have been taken up by the Slums Department.

(c) The question of undertaking environmental improvement work for this cluster can be considered after the widening/improvement programme of Najafgarh Nallah is completed.

Project under Small Farmers Development Agencies in Fifth Plan

4565. **Shri Martand Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether some consolidated projects to be implemented under the Small Farmers' Development Agencies have been included in the Fifth Five Year Plan by Government ;

(b) if so, the number of such projects for Madhya Pradesh and the names of the Districts in the State for which these projects are likely to be included ; and

(c) the estimted number of farmers likely to be benefitted by these projects?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) Yes, Sir. A total number of 160 composite Small Farmers' Development Agency (SFDA) projects are being set up in the Fifth Five Year Plan, including the 87 projects taken up during the Fourth Five Year Plan.

(b) A total number of 12 projects are being set up in Madhya Pradesh in the following districts :

1. Ratlam
2. Bilaspur
3. Durg
4. Satna
5. Sarguja
6. Jabalpur
7. Mandsaur
8. Sagar
9. Shahdol
10. Rajnandgaon
11. Morena
12. Chhatarpur

Of the above 12 Projects, three, **viz.,** Ratlam, Bilaspur and Durg are the existing projects that were set up in the Fourth Plan.

(c) Approximately 50,000 small and marginal farmers with holdings of less than 5 acres of dry land are likely to be benefitted under each project during five year project period.

World Bank Aid for Relief Work in Madhya Pradesh

4566. **Shri Martand Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) The amount of assistance received from the World Bank for relief work during the current year; and

(b) The amount of the assistance utilised in each district in Madhya Pradesh State and, the relief work on which this amount has been spent ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) :

(a) No assistance from the World Bank has been received for relief work. However, the World Bank have agreed to finance six projects namely Ahmednagar and Sholapur in Maharashtra, Jodhpur and Nagaur in Rajasthan, Anantapur in Andhra Pradesh and Bijapur in Karnataka under Drought Prone Areas Programme with a total assistance of 35 million spread over a period of 5 years.

(b) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में मछली पालन का विकास

4567. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में मछली पालन विकास के लिए क्या प्रस्ताव दिया है ; और

(ख) इस योजनावधि में, वर्षवार, मछली पालन विकास योजना के लिये राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा कितनी राशि आवंटित की गयी है तथा इसी अवधि में केरल की तुलना में कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री श्री (प्रमुदास पटेल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने पांचवी योजना के दौरान राज्य क्षेत्र में मात्स्यकी विकास के लिए 1220 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसकी तुलना में योजना आयोग ने 965 लाख रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी है ।

(ख) पांचवी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत मात्स्यकी विकास के लिए राज्य वार आधार पर कोई नियतन नहीं किया गया है। मात्स्यकी विकास योजनाओं के लिए 1974–75 में पश्चिम बंगाल तथा केरल को केन्द्र द्वारा निर्मुक्त की गई धनराशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

योजना का नाम	पश्चिम बंगाल	केरल
केन्द्रीय क्षेत्र		
मात्स्यपालन विकास एजेंसी	18.949	–
बड़े पत्तनों पर मछली पकड़ने के बंदरगाहों का विकास	73.00	30.60
केन्द्रीय आयोजित क्षत्रीय योजनाएं		
छोटे पत्तनों पर मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का विकास	–	12.80
योग	91.949	43.40

सहकारी क्षत्र में देय राशि का बढ़ते जाना

4568. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहकारी क्षेत्र में देय राशि के बड़े पैमानें पर होने की जानकारी है और क्या देय राशि के बढ़ते जाने के कारणों का पता लगाने के लिए इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) क्या उन निर्बल किसानों के पुनर्वास के लिए कोई वैकल्पिक योजना है जो कि निरन्तर सूखे तथा अभाव की स्थिति के कारण अदायगी के वायदों को पूरा करने में असमर्थ हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) व (ख) जी हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई अध्ययन टोली ने देश में अल्पकालीन और मध्यकालीन कृषि ऋण देने वाली सहकारी सोसायटियों में अतिदेयों के कारणों का विश्लेषण किया है और इस बारे में बहुत सी सिफारिशें की हैं।

लद्दाख में वन रोपण

4569. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **कृषि और सिंचाइ** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस स मय लद्दाख में वन-रोपण के सम्बन्ध में किन योजनाओं पर कार्य चल रहा है तथा इस सम्बन्ध म कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्पाइसस डैवलपमेंट कारपोरेशन के अन्तर्गत अनुसंधान संस्थान

4570. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पाइस्स डैवलैपमेन्ट कारपोरेशन ने निगम के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) । (क) और (ख) स्पष्टत: इस प्रश्न का संबध भारतीय मसाला विकास परिषद से है, जिसनें 9 फरवरी, 1975 को हुई अपनी बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन जल्दी ही मसाला अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश की थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कांथाली, कालीकट, केरल में (जहाँ केरल सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 250 एकड़ भूमि उपलब्ध करने का निर्णय किया है) मसाला विषयक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय पौध-रोपण फसल अनुसंधान संस्थान का एक सम्बद्ध केन्द्र होगा।

केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना

4571. **श्री वयालार रवि :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस महत्वपूर्ण योजना की क्रियान्विति में तेजी लाने हेतु की गई कार्यवाही की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) केरल सरकार ने वामनपूरम् सिंचाई परियोजना पर कोई प्रारम्भिक कार्य शुरु नहीं किया है। इस समय इस परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग में राज्य सरकार से विचार-विमर्श करके तकनीकी जांच की जा रही है। इस परियोजना का कार्यान्वयन धन की उपलब्धता और इसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

गैर सरकारी कर्मचारियों, व्यक्तियों, संगठनों और संसद के भेतपूर्व सदस्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली दिल्ली में सरकारी इमारतें

4572. **श्री एस० एम० सिध्दय :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली में कुछ सरकारी इमारतें गैर सरकारी कर्मचारियों, व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा भूतपूर्व संसद् सदस्यों के कब्जे में हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक के ऊपर किराये की कितनी राशि बकाया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय उर्वरक पूल को हुई हानि

4573. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री पी० गंगा देव
श्री अनादि चरण दास } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा संचालित उर्वरक पूल को भारी हानि हुई है यद्यपि उर्वरक के मूल्य गत वर्ष दुगने कर दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मन्त्रालय उर्वरकों के मूल्यों में और अधिक वृद्धि करने पर विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उर्वरक के मूल्यों में और अधिक वृद्धि करने से छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) . (क) उर्वरकों की लागत में अत्याधिक वृद्धि हो जाने के कारण इनके मूल्यों में 1 जून, 1974 से औसतन 80 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोत्तरी हुई थी। वर्ष 1974–75 के दौरान केन्द्रीय उर्वरक पूल को हानि होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) आयातित तथा देश में तैयार होने वाले यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आयातित उर्वरकों का संचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय उर्वरक पूल के माध्यम से होता है। पूल से वितरित होने वाले उर्वरकों के खुदरा मूल्य को केन्द्रीय सरकार निर्धारित करती है। केन्द्रीय उर्वरक पूल 'न हानि न लाभ' के आधार पर कार्य करता है और पूल की वित्तीय स्थिति की समय समय पर पुनरीक्षण करने की व्यवस्था है। ऐसा एक पुनरीक्षण किया जा रहा है।

उर्वरकों की खरीद के बारे में छोटे किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने उत्पादन ऋण की सीमा बढ़ा दी है। इससे किसान लाभ उठा लेंगे। सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमक परियोजना के क्षेत्रों में एक हैक्टार भूमि वाले सीमान्त किसानों के लिए आदानों के लिए 33.1/3 प्रतिशत तक की राज सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था है। एक मौसम के लिए अधिक से अधिक 100 रुपये और एक वर्ष अथवा दो वर्षों के दो मौसमों के लिए 200 रुपये राज सहायता मिल सकती है।

महानगरीय विकास निधि से शहरों के विकास के लिए सहायता

4574. **श्री एम० कतामुतु**
श्री एस० ए० पुरूषन्तम } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपनी महानगरीय विकास निधि से शहरों के विकास के लिये सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी सहायता वितरित की गई है और किन-किन शहरों को ;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार नें मद्रास शहर के विकास के लिये इस निधि से सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री श्री दलबीर सिंह : (क) पांचवी पंच-वर्षीया योजना के मसौदे में, महानगरीय नगरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में एकीकृत नगरीय विकास परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में निधियों की विशेष व्यवस्था की गई है । वर्ष 1974–75 के लिए 14.84 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है ।

(ख) योजना 1 अप्रैल, 1974 से लागू हुई । अभी तक, निम्नलिखित धनराशियाँ स्वीकृत की हैं :—

(i) पश्चिम बंगाल सरकार को कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यक्रमों के लिए ऋण के रूप में 7.50 करोड़ रुपये ।

(ii) महाराष्ट्र सरकार को, बम्बई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के कार्यक्रमों के लिए तथा नगर और औद्योगिक विकास निगम को बम्बई में महानगरीय केन्द्र के विकास के लिए उसकी पयिरयोजना हेतु ऋण के रूप में 2.50 करोड़ रुपये ;

(ग) जी, हां ।

(घ) तमिल नाडु सरकार ने मद्रास नगर की जलपूर्ति में वृद्धि करने के लिए अपनी परियोजना हेतु सहायता के लिए अनुरोध किया है । सरकार परियोजना की जांच कर रही है ।

उर्दू पैनल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कथित विलम्ब

4575. **श्री बसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 फरवरी, 1975 के समाचार पत्र में "उर्दू पैनल डिलेयिंग रिपोर्ट डेलीबीरेटली (उर्दू पैनल जानबूझकर रिपोर्ट पेश करने में विलम्ब कर रहा है)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह सच नहीं है कि उर्दू प्रोन्नति सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट देने में जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है । उर्दू प्रोन्नति सम्बन्धी समिति की 26 बैठकें हुई हैं और इसने अपनी उप समितियों के साथ 350 गवाहों की जांच की, और व्यक्तियों, संगठनों, विश्वविद्यालयों समाचार पत्रों एवं राज्य सरकारों से व्यापक सूचना और अभिमतों का संकलन किया है । आशा है कि इस समिति की रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा । यह उल्लेखनीय है कि इस समिति की स्थापना से लेकर आज तक दो सदस्यों का निधन हुआ है ।

2. इस समिति का गठन केवल इस उद्देश्य से किया गया था कि उर्दू भाषा की प्रोन्नति के लिए अपनाये जाने वाले उपायों के बारे में एवं शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक मामलों पर, उर्दू भाषी लोगों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने हेतु, इस समिति से सलाह प्राप्त की जा सके । यह सच नहीं है कि इस समिति में अधिकारियों की संख्या अधिक है, वास्तव में इसमें बहुत ही कम अधिकारियों को रखा गया है और केवल उन्हीं मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को इस समिति में लिया गया है जो कि इस समिति को सौंपे गए विषयों से संबंधित हैं ।

3. भारत सरकार, देश में उर्दू प्रान्नति से सम्बन्धित समस्याओं के प्रति जागरूक है, और यह इसी जागरूकता का परिणाम है कि उर्दू की प्रोन्नति के लिए इस समिति का गठन किया गया है ।

केरल में मीन क्षेत्रों के लिये विश्व बैंक से सहायता

4576. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में बड़े मीन क्षेत्रों की स्थापना के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) मात्स्यकी के विकास के लिये (जिसमें सम्भवत: केरल भी शामिल है) विश्व बैंक ग्रुप से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना पर विजार किया जा रहा है । अभी हाल में प्रारम्भिक सर्वेक्षण दल ने भारत का

दौरा किया था और यह दल केरल तथा कुछ अन्य राज्यों में गया था, जहां उसने विज्यिन्जाम, नींदाकारा, कोचीन, वैपौर, वलिया पट्टम और कन्नानोर का दौरा किया था। दल को बन्दरगाह के निर्माण तथा समेकित ढंग से समुनी मात्स्यकी का विकास करने हेंतु आपेक्षित सहायता के बारे में अवगत किया गया था। अभी दल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

दक्षिण दिल्ली विश्वविद्यालय केन्द्र

4577. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 'हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि शहर में दूसरे विश्वविद्यालय के विकल्प के रूप में स्थापित दक्षिण दिल्ली के पास शहर के दूसरे भाग पर स्थित शैक्षणिक केन्द्र द्वारा उपेक्षित अनुभव करता है और इस कैम्पस के छात्र मुख्य विश्वविद्याशय परिसर से अपने को पृथक समझने के कारण क्षुब्ध हैं ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्य वाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार समाचार ठीक नहीं हैं। तथापि, दक्षिण दिल्ली कैम्पस के स्तर, काम काज और भावी स्वरूप के बारे में विचार करने के लिए कुलपति ने एक समिति गठित की है जिसकी अब तक दो बैठकें हुई हैं।

नर्मदा जल सम्बन्धी मामले पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार

4578. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधिकरण द्वारा नर्मदा जल के मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या न्याधिकरण के किसी अध्ययन दल ने गुजरात तथा मध्य प्रदेश का दौरा किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण विवरण क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) न्यायाधिकरण ने अपने विचार-विमर्श में सहायता प्राप्त करने क लिए लोन असेसर, दो जल संसाधन विकास के क्षेत्र में और एक कृषि शास्त्र के क्षेत्र में, नियुक्त किए हैं। इन असेसरों नें बांध स्थलों, सिचाई के लिएप्रस्तावित क्षेत्रों और विभिन्न फसलों के तरीके इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों का दौरा किया है।

बड़ौदा के एम० एस० विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा अतिथि नियन्त्रण आदेश का उल्लंघन

4579. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के एम० एस० विश्वविद्यालय के उप-कुलपति तथा अन्य अनेक वरिष्ट अधिकारियों को अतिथि नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने के लिए हाल ही में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं ; और

(क) क्या उक्त विश्वविद्यालय के व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी किए गये अतिथि नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करने पर 28 व्यक्तियों, जिनमें एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा के उपकुलपति भी शामिल है, के विरुद्ध 26-2-75 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि पुलिस इस मामले की अभी भी जांच कर रही है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सेशन कोर्ट ने पुलिस स्टेशन को यह सूचित किया है कि उपर्युक्त केस के 18 अभियुक्तों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन सम्मोदन पूर्व जमानत दी जा चुकी है।

गुजरात सरकार द्वारा अहमदाबाद में निम्न आय वर्ग के लिये मकानों का निर्माण

4580. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1972, 1973 और 1974 में अहमदाबाद की घनी आबादी में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये कोई मकान निर्मित किये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1975 में अहमदाबाद और गुजरात के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में इस आवास कार्यक्रम में तेजी लाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार और कितनी अतिरिक्त राशि से ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात आवास बोर्ड द्वारा 1972-73 के दौरान 120 मकान बनाए गए थे तथा 552 मकान अब निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, अहमदाबाद के समूह में वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान श्रेणी-IV के कर्मचारियों के लिए 96 सरकारी क्वार्टरों का निर्माण किया गया था।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि गजरात आवास बोर्ड का वर्ष 1975-76 के दौरान अहमदाबाद में तथा निम्न आय वर्ग आवास योजना के अंतर्गत अन्य शहरी क्षेत्रों में 1480 मकानों का निर्माण आरम्भ करने का एक कार्यक्रम है। आवास बोर्ड द्वारा

नये निर्माण-कार्यों पर किया जाने वाला व्यय 34.50 लाख रुपये तथा चालू निर्माण कार्यों पर 95.83 लाख रुपये होगा। वित्तीय कठिनाई के कारण वर्ष 1974–75 के दौरान और सरकारी क्वार्टरों के नव-निर्माण कार्य आरम्भ करने का राज्य सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है।

मकानों के आवंटन के लिये पात्र सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां

4581. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में किन-किन श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकानों के लिए पात्र माना जाता है ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की कितने मकानों की मांग है और इस समय प्रत्येक श्रेणी के कितने व्यक्तियों को मकान मिले हुए हैं ; और

(ग) जिन सरकारी कर्मचारियों को मकानों की आवश्यकता है उन सभी को मकान आवंटित करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामान्य पूल वास का पात्र है यदि वह उस कार्यालय में काम करता है जिस का स्थान दिल्ली में मंत्रिमण्डल की आवास समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो जो किसी मंत्रालय के सचिवालय या भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय का अभिन्न भाग है, जिन के कर्मचारियों को भारत की समेकित निधि से वेतन मिलता हो, जिस का अपने स्टाफ के लिये वास का कोई पृथक पूल न हो तथा जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित भूगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित हो।

(ख) 1972–74 की आवंटन की अवधि के लिये मांग तथा उपलब्धता पर आधारित स्थिति इस प्रकार है :–

टाईप	दिल्ली/नई दिल्ली में में सामान्य पूल में मांग	दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल के उन मकानों की संख्या जो दखल में हैं।
I	27,580	13,090
II	39,368	15,314
III	14,721	5,256
IV	10,008	5,070
V	5,218	1,829
VI	1,428	531
VII	422	133
VIII	146	30
	98,891	41,253

(ग) सरकारी कर्मचारियों के लिये सीमित संसाधनों के भीतर यथा संभव अधिक से अधिक रिहायशी मकानों का निर्माण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पैसे लेकर डिग्री देने वाले संस्थान

4582. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ ऐसे संस्थान है जो पत्राचार प्रशिक्षण का दिखावा करके तथा कभी-कभी प्रशिक्षण के बिना ही शुल्क लेकर डिग्री डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट्स देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ऐसे संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) : सरकार का ध्यान कुछ संस्थाओं के बारे में ऐसी शिकायतों की ओर दिलाया गया है तथा इस मामले में राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है। कुछ मामलों में ऐसे आरोपों का खंडन किया गया है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत, डिग्रियां प्रदान करने अथवा स्वीकृत करने के अधिकार का प्रयोग, केवल केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा अधीन स्थापित अथवा निगमति विश्वविद्यालय द्वारा अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था, अथवा किसी ऐसी संस्था द्वारा किया जा सकता है जिसे संसदीय अधिनियम द्वारा डिग्रियां देने का विशेष अधिकार दिया गया हो। इन उपबंधों का उल्लंघन किए जाने से संबंधित किसी विशिष्ट मामलें को सरकार अथवा आयोग के ध्यान में लाये जाने पर उक्त मामले की उचित जांच करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाती है जो भी जरूरी है।

3. जाली शैक्षणिक प्रमाणपत्र बेचे जाने के बारे में आर० एल० आनन्द कालेज, नई-दिल्ली के प्रिन्सिपल से सितम्बर, 1974 में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रामकृष्णपुरम पुलिस स्टेशन ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/468/471/120–ख के अंतर्गत एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) सं० 637 दर्ज किया था तथा कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं।

4. "माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बरेली" नामक एक संस्था पहले मूल रूप से दिल्ली में और बाद में बरेली में कुछ समय से चली आ रही थी। इस संस्था का दर्जा तथा इसकी परीक्षाओं की वैधता के बारे में इस मंत्रालय में प्राप्त अनेक तहकीकातों के आधार पर इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की गई थी तथा उस सरकार के परामर्श से 4 अक्टूबर, 1966 को एक प्रैस विज्ञप्ति जनता को यह सूचित करते हुए जारी की गई थी कि न तो इस नाम से किसी बोर्ड को और न ही उसकी परीक्षाओं को सरकार की मान्यता प्राप्त है। यह प्रैस विज्ञप्ति सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को भेजी गई थी। इसके अतिरिक्त महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण और सारे देश में सभी रोजगार कार्यालयों को नोटिस में यह बात लाने के लिये, प्रेस विज्ञप्ति गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग को भी भेजी गई थी।

राज्यों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा 10+2+3 का फार्मूला स्वीकार किया जाना

4583. **श्री शंकरराव सावन्त**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और विश्वविद्यालयों ने डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 10+2+3 का फार्मूला स्वीकार किया है ;

(ग) इसका विरोध कौन कर रहे हैं ; और

(ग) स्कूल तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा क ढाँचे में एक रुपता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय आयोग ने 10+2+3 की सामान्य पद्धपत को अपनाने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों का समर्थन किया है। यह सिफारिश की गई है कि यदि कोई विश्वविद्यालय 10+2+3 की पद्धति पर आधारित तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के स्थान पर दो वर्षीय पास पाठ्यक्रम को अपनाना चाहें तो वह ऐसा कर सकता है, परन्तु ऐसे मामलों में, उन स्नातकों के लिए, जो स्नातकोत्तर अध्ययन करना चाहते हैं, "संयोजक" अथवा "सम्पर्क" पाठ्यक्रम की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि विश्वविद्यालय प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए दो वर्ष की अवधि के सामान्य पास पाठ्यक्रम एवं तीन वर्ष की अवधि के आनर्स पाठ्यक्रम, दोनों ही को अपनाए, तो इस स्थिति में उन कालेजों, का चयन, उनमें उपलब्ध सुविधाओं एवं उन के शिक्षा स्तरों को ध्यान में रखकर, बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए।

भारत में अधिकांश विश्वविद्यालयों ने तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम अपनाया है और शेष विश्वविद्यालयों ने दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों को अपनाया है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने, जिसमें सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं, उपरोक्त 10+2+3 की शिक्षा पद्धति का समर्थन किया है। बोर्ड का यह भी प्रस्ताव है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पहले ही उक्त शिक्षा पद्धति का कार्यान्वियन सारे देश में हो जाना चाहिए।

कृषि उत्पादन

4584. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में देश के कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है अथवा गिरावट आई है ;

(ख) इसकी वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) इस वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण है, और

(घ) कृषि उत्पादन में कमी दिखाने वाले राज्य कौन कौन से हैं और इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) तक 1970-71 से देश में खाद्यानों तथा कृषि की अन्य वस्तुओं के उत्पादन में हर वर्ष घटा-बढ़ी हुई है। उत्पादन में किस हद तक घटा-बढ़ी हुई है, इसका अनुमान नीचे की तालिका से लगाया जा सकता है, जिसमें उत्पादन के सूचकांक दिय गये हैं।

देश भर में कृषि उत्पादन के सूचकांक

(आधार : 1961-63 को समाप्त होने वाली तीन वर्षीय अवधि 100)

फसल	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74	प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (–)		
					कालम 2 की तुलना में कालम 3	कालम 3 की तुलना में कालम 4	कालम 4 की तुलना में कालम 5
1	2	3	4	5	6	7	8
खाद्यान्न	133·9	132·0	121·2	130·3	(–) 1·4	(–) 8·2	(+) 7·5
कृषि की अन्य वस्तुएं	126·6	128·9	119·4	134·1	(+) 1·8	(–) 7·4	(+) 12·3
सभी फसलें	131·4	130·9	120·6	131·6	(–) 0·4	(–) 7·9	(+) 9·4

इससे यह स्पष्ट है कि कुल कृषि उत्पादन जो 1971–72 और 1972–73 के दौरान कम हो गया था, 1973–74 के दौरान फिर बढ़ गया ।

कृषि वर्ष 1970–71 के दौरान मौसम की स्थिति उत्पादन और विशेष रूप से खाद्यान्नों उत्पादन के लिए काफी अनुकूल थी । 1971–72 के दौरान जून–अगस्त में आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र में सूखे से,बिहार; उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अगस्त–सितम्बर में बाढ़ों से और उड़ीसा में अक्तूबर के महीने में समुद्री तूफान से उत्पादन को धक्का लगा । 1972–73 के दौरान अधिकांश कृषि जिन्सों के उत्पादन को देश के बहुत से भागों में व्यापक सूखे और नलकूपों तथा पम्प सैटोंके लिए बिजली की सप्लाई कम होने, उर्वरकों के कम होने और नहरों से पानीकी सप्लाई नियमित रूप से न होने के कारण सख्त धक्का लगा । खरीफ 1973–74 में मौसम की स्थिति अनुकूल होने और सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास-कार्यों के कारण 670 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य न्यूनाधिक प्राप्त कर लिया गया । खाद्यान्नों के अलावा कृषि की अन्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिये ही न्यूनाधिक यही बातें जिम्मेदार थी । 1973–74 रवी मौसम के दौरान मुख्य रवी उत्पादन क्षेत्रों में सर्दियों में वर्षा के अभाव के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा । इस मौसम में उत्पादन के कम होने के कारण फरवरी के प्रथम सप्ताह में सख्त शीत लहर चलना और उर्वरक तथा बिजली जैसे महत्वपूर्ण कृषि आदानों की कमी होना भी है ।

(च) 1970–71 और 1973–74 के बीच खाद्यान्नों और महत्वपूर्ण वाणजिक फसलों के उत्पादन के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों का उत्पादन घटा । इस अवधि में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कपास का और बिहार, हरियाणा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर पांचों प्रमुख तिलहनों और बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन पहले से कम हुआ । उत्पादन में कमी के मुख्य कारण मौसम की स्थिति प्रतिकूल होना है ।

गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं का विकास

4585. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए वर्ष 1974–75 में कितनी धनराशि निर्धारित की गई ; और

(ख) इस अवधि में, जिलेवार, कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने 1974–75 में सिंचाई के लिए 51.52 करोड़ रुपये की रकम नियत की है । इस वर्ष में किए गए व्यय के जिला वार आंकड़े वर्ष के लेखों को पूर्ण रूप देने के बाद मालूम होंगे ।

संसद सदस्यों के बंगलों में स्नानगृहों तथा शौचालय वाले सर्वेंट क्वार्टरों के किराये में भेद-भाव किया जाना

4586. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के कुछ बंगलों के सर्वेन्ट क्वाटरों में शौचालय तथा स्नान गृहों का पहिले ही निर्माण हो चुका है;

(ख) क्या कुछ बंगलों के सर्वेंट क्वार्टरों में शौचालय तथा स्नानगृह नहीं है ;

(ग) क्या शौचालयों और स्नानगृहों वाले तथा इनसे रहित सर्वेंट क्वार्टरों का किराया समान है; और

(घ) ऐसा भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) संसद सदस्यों के अनुरोध पर तथा उन द्वारा अतिरिक्त किराया अदा करने पर संसद सदस्यों के बंगलों के साथ संलग्न कुछ सर्वेन्ट क्वार्टरों में शौचालयों तथा स्नान घरों की व्यवस्था की गई थी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजकोट में सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

4587. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए श्रेणीवार अर्थात टाईप एक से टाईप पांच के कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या राजकोट में क्वार्टरों की मांग को पूरा करने के लिए और अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) निर्माण और आवास मंत्रालय, जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये सामान्य पूल वास का निर्माण करता है, ने राजकोट में कोई क्वार्टर नहीं बनाए हैं ।

(ख) तथा (ग) : फिलहाल, राजकोट में सामान्य पूल क्वार्टरों का निर्माण करने का कोई प्रबन्ध नहीं है। ऐसे बास का निर्माण उन नगरों में किया जाता है जहां विभिन्न विभागों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी काफी संख्या में हों तथा जहां बास समस्या बड़ी गम्भीर हो।

राज्यों में भूमिहीन व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये स्थान आवंटित करने के मामले में हुई प्रगति

4588. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के, गांवों में भूमिहीन व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये स्थान आवंटित करने के मामले में संसद के पिछले सत्र से अब तक क्या प्रगति हुई ; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना को केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अंग के रूप में अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी। यह योजना 1-4-1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दी गई है। अब तक निम्नलिखित राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को आवास-स्थल आवंटित किए हैं जिनमें अविकसित स्थल भी शामिल है :-

मध्य प्रदेश	8,51,718
उत्तर प्रदेश	9,55,641
हरियाणा	53
हिमाचल प्रदेश	3,530
पश्चिम बंगाल	3,910
राजस्थान	5,78,251

अन्य राज्यों से अद्यतन आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए, इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के वार्षिक प्लान नियतनों में पृथक तथा विशिष्ट निधियां नियत की जाती हैं। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में भुमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के प्रयोजनहेतु वर्ष 1974–75 के लिए नियत की गई निधियों को पूर्ण-रूपेण उपयोग करे।

दिल्ली राज्य समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान

4589. श्री झारखंडे राय
श्रीमती पार्वती कृष्णन } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य समाज कल्याण बोर्ड के लिये प्रति वर्ष सरकार कितनी राशि का अनुदान मंजूर करती है ?

(ख) वर्ष 1972–73, वर्ष 1973–74 और वर्ष 1974–75 में दिल्ली के शिल्प केन्द्रों को और बाल केन्द्रों के लिए विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड ने कितनी राशि दी थी : उन संगठनों के नाम क्या हैं ; और

(ग) विभिन्न स्वैच्छिक गठनों को धनराशि आवंटित करने के आधार क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र, जिसमें आपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में काम करता हूं और यह वे काम करता है जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाते हैं । दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का प्रशासनिक खर्च दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बराबर-बराबर बांटा जाता है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का हिस्सा 35,500.00 रुपए वार्षिक बैठता है ।

2. इसके अतिरिक्त केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तोपोषित है, दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को इसके द्वारा बुलाए जा रहेकार्यक्रमों के लिए शतप्रतिशत सहायता देता है। 1974–75 में (7 मार्च, 1975 तक) 3,27,813.00 रुपए का वार्षिक खर्च हुआ ।

3. दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने 1972–73, 1973–74 तथा 1974–75 के वर्षों में निम्नलिखित स्वेच्छिक संगठनों को शिल्प और बाल केन्द्रो के लिए सहायता दी ।

क्रम सं०	संगठन का नाम	गतिविधियों का प्रकार	मंजूर की गई धन राशि		
			1972–73	1973–74	1974–75
				(रूपये)	
1.	अखिल भारतीय महिला कान्फ्रेंस	बाल कल्याण	18,960	18,960	18,960
2.	भारत में सामाजिक स्वास्थ्य	बाल कल्याण	3,000	3,000	3,000
3.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ (दिल्ली शाखा)	शिल्प	10,720	10,987	13,523
4.	बाल सहयोग	बाल कल्याण	5,000	5,000	5,000
5.	बालक माता केन्द्र	बाल कल्याण	9,870	11,520	11,520
6.	अखिल भारतीय महिला स्वयं सेवी सेवाएं	बाल कल्याण	11,385	15,720	15,720
7.	डा० जाकिर हुसैन मैमोरियल सोसाईटी	शिल्प	1,200	1,200	1,200
8.	गाँधी समारक हरिजन शिक्षा समिति	बाल कल्याण	10,000	10,000	10,000
9.	हार्डिन्गएवेन्यु वेलफेयर एसोसिएशन	बाल कल्याण	1,500	1,500	2,000
10.	इंडियन रेडक्रास सोसाईटी (दिल्ली शाखा)	शिल्प	10,139	11,958	12,930

11	झुग्गी बाल सुधार कद्र	बाल कल्याण	—	1,000	1,200
12	महिला शिल्प कला विद्यालय	शिल्प	750	1,000	1,000
13	श्री दिगम्बर जैन महिला आश्रम	शिल्प	3,000	3,000	3,000
14	श्रीमती सावित्री देवी चेप्रीटेवल ट्रस्ट	बाल कल्याण	—	500	1,000
15	तालीमी समाजी भरकज	बाल कल्याण	1,200	1,200	2,000
16	यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन	शिल्प	16,452	17,394	22,315
17.	उत्तरखण्ड इन्दिरा कालोनी झुग्गी कोपड़ी एसोसीएशन	शिल्प	—	1,000	1,200
18.	महिला आपसी सहायता सोसाईटी	बाल कल्याण	—	—	1,000
19.	जनता विद्या पीठ	बाल कल्याण	2,000	2,000	4,000
20	सर्विस सिविल इंटरनेशनल इण्डिया	बाल कल्याण	—	1,200	1,200
21	नई दिल्ली सोशल सर्विस लीग	शिल्प	—	—	1,500

4. जो संगठन भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी अन्य उपयुक्त अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं, तथा जो सामान्यतया तीन वर्ष से समाज कल्याण के कार्य में लगे हैं, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सहायक, अनुदान कार्यक्रम के अधीन सहायता पाने के लिए पात्र हैं। सहायक अनुदान कार्यक्रम के अधीन पात्र संस्थाओं से विभिन्न योजनायों के लिए सहायतार्थ आवेदन पत्र मांगे जाते हैं और उचित जांच और निरिक्षण के बाद दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा वार्षिक आधार पर सम्बन्धित कार्यक्रमों के अधीन अनुदान मंजूर किए जाते हैं।

केरल में एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना का प्रस्ताव

4590. **श्री वरके जार्ज**
श्री ए० के० गोपालन
श्री सी० जनार्दन
श्री वयालार रवि } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने केरल में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करने के लिए उनके मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 50,000 रुपए का निरमुक्त अनुदान देने का निर्णय किया है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क), (ख) और (ग) संस्थान ने केरल में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, केरल राज्य सरकार से ऐसे एक प्रस्ताव के विषय में पत्र प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित विद्यापीठ की स्थापना के लिए 50,000 रुपए का अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय किया है। राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिशों तथा संसाधनों की विद्यमान तंगी को ध्यान में रखते हुए सरकार केरल में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

कर्नाटक में रवी फसल के बारे में कृषि अनुसंधान कार्य में प्रगति

4591. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में रागी जैसी शुष्क फसलों के बारे में कृषि अनुसंधान संबंधी विस्तार तथा प्रसार के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है तथा क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए और अधिक राशि आवंटित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) अखिल भारतीय सम्बन्धी मोटे अनाज (मिलेट) सम्बन्धी प्रयोजनों के अन्तर्गत बंगलौर केन्द्र (कर्नाटक) में रागी जैसी बारानी फसल पर किये गये अनुसंधान से लाभप्रद परिणाम मिले हैं। इस प्रयोजना के बंगलौर केन्द्र का मुख्य उद्देश्य है, असिंचित स्थितियों के लिए प्रयुक्त रागी और अन्य मोटे अनाजों की अधिक उपज देने वाली रोग रोधी किस्में विकसित करना। 'मीनिकट परीक्षणों' के अंतर्गत किसान के खेतों में 1974 के खरीफ के मौसम में रागी की तीन किस्मों–एफ आर 202, इंसी 4840 और एच पी वी

7–6 का प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक के 19 जिलों में कुल 618 परीक्षण किये गये। इस से रागी की तीन किस्मों में से सबसे अच्छी किस्म का चुनाव करने में किसानों को मदद मिली। विशेषत: कर्नाटक के वारानी क्षेत्रों में एफ आर 202 किस्म उपज की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रमाणित हुई है।

(ख) मोटे अनाज (मिलेट) की अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के अन्तर्गत बंगलौर स्थित मुख्य केन्द्र के लिए चौथे योजना–काल में लगभग 5 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इस केंद्र ने विभन्न मोटे अनाजों पर अनुसंधान किया, जिनमें रागी भी शामिल हैं। पाँजवी योजना की अवधि में बंगलौर केन्द्र में मोटे अनाज (रागी) के सुधार पर विशेष बल दिया गया है। वंगलौर केन्द्र के लिए इस उद्देश्य से लगभग 6 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। पाँचवी योजना में संयुक्त समन्वयक (गौण मोटे अनाज) का मुख्यालय बंगलौर स्थित करने का प्रस्ताव है।

(ग) मोटे अनाजों के सुधार की अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना की पाँचवीं योजना के अंग स्वरूप वंगलौर, कर्नाटक म गौण मोटे अनाजों पर विस्तृत अनुसंधान का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष के पूर्वाद्ध में इस कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायेगा।

भारत और अन्य देशों में वर्षा से सिंचित धान का उत्पादन

4592. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत जापान, फारमोसा और चीन में वर्षा से सिंचित धान का प्रति एकड़ तुलनात्मक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या भारत में धान के कम उत्पादन होने के कारणों का पता लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वे कारण कौन-कौन से हैं ; और

(घ) धान उत्पादन में बाधा पहुंचाने वाले कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) भारत में बारानी क्षेत्रों में धान की प्रति हेक्टेयर उपज 750 से 1200 किलोग्राम है, जबकि इसकी तुलना में जापान में यह 2150 से 255 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। फार्मूसा और चीन के ऐसी उपज के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत में बारानी खेती से धान की कम उपज होने के मुख्य कारण

(1) समुचित किस्मों का अभाव (2) फसल पर कीटों, रोगों और खरपतवार का असर (3) भूमि की उर्वरता कम होना और (4) जल प्रबन्ध का अच्छा न होना।

(घ) धान की वारानी खेती वाले क्षेत्रों में शीघ्र पक कर तैयार होने वाली चावल की किस्मों का विकस करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी प्रकार कीट और रोग रोधी किस्मों का विकास करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। उर्वरक के उपयोग और खरपतवार पर नियन्त्रण को कारगर बनाने के लिए समय-सारणियां तैयार कर ली गई है और चावल के उत्पादन की नई टैक्नालोजी में विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पतित महिलाओं की दशा में सुधार करना

4593. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के कार्यक्रम के रूप में पतित महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : पतित स्त्रियों की दशा को सुधारने का मुख्य कानूनी उपाय स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 है, जिसे 30 दिसम्बर, 1956 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में नैतिक खतरे में पड़ी स्त्रियों की रक्षा तथा जिन स्त्रियों का उद्धार किया जाता है उनके पुनर्वास के लिए प्रतिरक्षा सदनों तथा सुधार संस्थाओं की स्थापना करने के लिए उपबंध किया गया है। विभिन्न राज्यों में इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई ऐसी संस्थाओं की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

2. सरकार भारत में सामाजिक स्वास्थ्य बंधित एसोसिएशन को भी वित्तीय सहायता देती है, जो विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अपनी शाखाओं के द्वारा स्त्रियों के शोषण के विरूद्ध जनमत तैयार कर रही है। एसोसिएशन "उद्धार गृहों" और "अल्प आवास गृहों" के द्वारा पुनर्वास और उपचार सेवाएं भी प्रदान करती हैं। स्वैच्छिक संगठनों के जरिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों और स्त्रियों के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रमों की योजनाओं का उद्देश्य बेसहारा स्त्रियों को लाभ पहुंचाना है जिन्हें नैतिक खतरा हो सकता है। 1975–76 के दौरान इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अधिक व्यवस्थाएं की जाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में अधिक स्त्रियों को लाभ पहुंचाया जा सके !

विवरण

विभिन्न राज्यों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये प्रतिरक्षा गृहों और उद्धार गृह

क्रम संख्या	राज्य का नाम	प्रतिरक्षा गृहों/ उद्धार गृहों की संख्या	क्षमता
1	आंध्र प्रदेश	2	150
2	असम	2	उपलब्ध नहीं
3	गुजरात	8	440
4	हिमाचल प्रदेश	1	15
5	कर्नाटक	11	680
6	मध्य प्रदेश	1	100
7	महाराष्ट्र	2	55
8	उड़ीसा	1	उपलब्ध नहीं
9	पंजाब	1	50
10	राजस्थान	5	275
11	तमिलनाडु	12	655 (2 गृहों के) आंकड़े उपलब्ध नहीं
12	उत्तर प्रदेश	16	700
13	दिल्ली	1	150

विश्व टेबिल टैनिस चैम्पियनशिप के लिये टिकटों की बिक्री

4594. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में हाल ही में हुये विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप के लिये टिकटों की बिक्री से कुल कितनी आय हुई ;

(ख) (एक) ऐसी आय (दो) अन्य स्रोतों से आय (तीन) सरकारी या गैर सरकारी अनुदानों द्वारा पूरे किये जाने वाले खर्च क प्रमुख शीर्ष क्या हैं और इन प्राप्तियों की राशि कितनी है ;

(ग) क्या हाल ही में कलकत्ता में बनाये गये नेताजी स्टडियम का रख-रखाव और राष्ट्रीय खेलकूद समारोहों के लिये उपयोग कन्द्रीय सरकार करेगी या यह कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया जायेगा ; और

(घ) आयातित टेबल टैनिस की टबलों, अप्रयुक्त गेंदों का निपटान किस प्रकार किया जायगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) भारतीय टेबल टैनिस संघ द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना क अनुसार, फरवरी 1975 के दौरान कलकत्ता में आयोजित 33वीं विश्व टेबल टैनिस प्रतियोगिताओं में टिकटों की बिक्री से 40.83 लाख रुपये की आय हुई। इसमें से 8.17 लाख रुपय की राशि पश्चिम बंगाल सरकार को स्थानीय कर के रूप में दी जाएगी। अत: कुल आय 32.66 लाख रुपये होगी।

यह बताया गया है कि उपस्कर की रायल्टी और स्मारिका की बिक्री इत्यादि अन्य साधनों से संघ की आय 5.00 लाख रुपये है। यह बताया गया है कि सरकारी अथवा गैर-सरकारी साधनों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

खर्चे क मोटे शीर्ष निम्नलिखित है :–

(1) आतिथ्य (अतिथियों क लिए भोजन तथा आवास)

(2) रेफरी बोर्ड (रेफरी और अम्पायर)

(3) स्टडियम (हाल के प्रबंध, गेट पर नियंत्रण, देख रेख और रख रखाव)

(4) स्वागत और जन सम्पर्क

(5) प्रचार और स्मारिका का प्रकाशन

(6) खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए परिवहन

(7) सुरक्षा (स्टेडियम में प्रबन्ध)

(8) प्रेस/रेडियो/टेलीविज़न (केवल सुविधाएं)

(9) उपस्कर (देशज)

(10) उद्घाटन और समापन समारोह तथा पुरस्कार

(11) भारतीय टीम (प्रशिक्षण, किट और भाग लेना) ।

(12) मनोरंजन (भाग लेने वाल तथा विश्व टेबल टैनिस कांग्रेस के प्रतिनिधि) ।

(13) चिकित्सा (होटलों और स्टेडियमों यें चिकित्सालय) ।

(14) सचिवालय ।

कलकत्ता स्थित नेताजी स्टेडियम, राज्य सरकार का है और वे ही इसका रख रखाव करते हैं तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं और युवक संबंधी कार्यकलापों के लिए इसका प्रयोग करते हैं ।

संघ के अनुसार निर्यात की गई टेबल टैनिस टेबलें तथा प्रयोग नहीं की गई गेंदें, संघ द्वारा विभिन्न राज्य टेबल टेनिस संघों नेतजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान और पश्चिम बंगाल राज्य खेलकद परिषदों में बांटी जा रही है ।

टेबल टैनिस खिलाड़ी श्री के० जयन्त के खिलाफ आरोप

4595. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टबल टैनिस में भारत क प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी श्री के० जयन्त को कलकत्ता में हाल ही में समाप्त हुई विश्व टबिल टैनिस प्रतियोगिता से बाहर निकालने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या अनुशासनहीनता के कोई विशिष्ट आरोप श्री के० जयंत को कभी भेजे गये थे और क्या इन आरोपों का उत्तर देने के लिये उसे कोई अवसर दिया गया था; और

(ग) क्या वह पटियाला में चयनात्मक परीक्षा में केवल इस कारण ही भाग नहीं ले सका क्योंकि उसे इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साईंस, बंगलौर, जहां वह अध्ययन कर रहा है, की सेमिस्टर परीक्षा देनी थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नैताम) : (क) से (ग) भारतीय टेबल टैनिस संघ नें इस मंत्रालय को यह सूचित किया है कि श्री के० जयन्त, जिसका टेबल टैनिस में भारत नम्बर–1 का दर्जा है, को कलकत्ता में हुए फरवरी, 1975 के 33वें विश्व टेबल टैनिस प्रतियोगिता में अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा राष्ट्रीय टीमों के चयन क सम्बन्ध में जारी की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं क अन्तर्गत समर्थनीय अनुशासनिक कारणों क आधार पर भारतीय टेल टैनिस दल में शामिल नहीं किया गया था ।

अनुशासनहीनता के कोई विशिष्ट आरोप श्री क० जयन्त को नहों भज गए थे क्योंकि उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही परिकल्पित नहीं की ।

श्री जयन्त नें चयनात्मक परीक्षाओं में उपस्थित न होने के कोई कारण नहीं बताए हैं ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पंजाब सर्किल के अन्तर्गत बिजली घर

4596. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पंजाब सर्किल के अन्तर्गत डिवीजनवार कितने कितने बिजली घर हैं ; और

(ख) प्रत्येक बिजली घर में श्रेणीवार कितने कितने कर्मचारी काम पर लगे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब में नई फसल पद्धति

4597. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य को नई फसल पद्धति का प्रयोग करने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस नई फसल पद्धति को अपनाने के लिये पंजाब को किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य तथा निम्न आय समूहों को मकान बनाने के लिये जगह का आवंटन

4598. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में मध्य आय समूह के लोगों को मकान बनाने के लिए जगह का आवंटन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो क्या इस बारे में केन्द्र सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है और राज्य सरकारों को प्रेषित की गई है यदि हां तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ? ;

(ग) क्या निम्न तथा मध्य आय समूहों को आश्वासन सुविधाएं आश्वासन के अनुसार उपलब्ध नहीं की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और पांचवीं पंजवर्षीय योजना में इस बारे में क्या उपबन्ध किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि भूमि अर्जन तथा विकास योजना, जो 1959 में आरम्भ की गई थी, में इच्छुक मकान निर्माताओं को विकसित प्लाट उपलब्ध करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा भूमि का बड़े पैमाने पर अर्जन करने हेतु पहले से ही व्यवस्था है। प्लाटों का आवंटन करते समय, राज्य सरकारों को, व्यक्तियों के उन वर्गों को वरीयता देना अपेक्षित होता है जो विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत, जिन में मध्यम आय वर्ग आवास योजना शामिल है, वित्तीय सहायता के पास हैं। मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत प्लाटों की खरीद के लिये लाभ-भोगियों को ऋण देने की व्यवस्था भी है।

(ग) तथा (घ) : दो आवास योजनाएं अर्थात निम्न आय वर्ग आवास योजना तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजना पहले ही मौजूद हैं जो निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों के लिये है। ये दोनों योजनाएं राज्य क्षेत्र में है। सभी राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिये जिन में निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिये आवास योजनाएं शामिल हैं, केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिये, जिन में निम्न आय वर्ग आवास योजना तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजना शामिल हैं, उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र है। अतः पांचवीं पंजवर्षीय योजना के दौरान, इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा पश्चिम बंगाल और आसाम में पशु विकास योजना

4599. **श्री शक्ति कुमार सरकार**
श्री शंकर नारायण सिंह देव } : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और आसाम सरकार द्वारा अद्यतन शुरू की गई पशु विकास योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इस योजनावधि के प्रत्येक वर्ष में राज्यवार इस संबन्ध में कुल कितनी राशि का पूंजी निवेश किया गया है और केन्द्रीय सरकार ने इसमें कितना आबंटन किया है ; और

(ग) इस अवधि में प्रत्येक राज्य ने कितनी राशि का उपयोग किया है और इस बारे में अब तक क्या परिणाम रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम सरकारों द्वारा शुरू की गई पशु विकास योजनाओं की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

1. सघन पशु विकास परियोजनाओं की स्थापना।
2. आदर्श ग्राम खण्डों की स्थापना/विस्तार।
3. सांड पालन फार्मों की स्थापना/विस्तार।

4. प्रजनक सांडों का वितरण ।

5. संकर-प्रजनन कार्यक्रम ।

6. संकर प्रजनित ओसरों का पालन-पोषण करने के लिये लघु तथा सीमान्त कृषकों की सहायता करना ।

इन योजनाओं के अन्तर्गत योजनाबद्ध तथा समन्वित ढंग से उन्नत प्रजनन, आहार, पशु स्वास्थ्य, व्यवस्था तथा विपणन के जरिये पशुओं का विकास करने का विचार है ।

(ख) राज्यों को धनराशि का नियतन पूरी वार्षिक योजना के लिए इकट्ठे अनुदान और ऋण के रूप में दिया जाता है । राज्य सरकारें अपने विवेक से राज्य की योजना के अन्तर्गत अलग-अलग स्कीमों के लिए धनराशि का नियतन करती है ।

(ग) 1974–75 के लिए कुछ परिव्यय और अनुमानित व्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित राशि और पशु विकास स्कीमों के लिए कार्यकारी दल द्वारा सुझाई गई राशि इस प्रकार है :–

राज्य	पाँचवी योजना का परिव्य	1974–75		1975–76	
		अनुमोदित परिव्यय	अनुमानित व्यय	राज्य द्वारा प्रस्तावित	कार्यकारी दल द्वारा सुझाया गया
त्रिपुरा	76.00	12.80	10.25	11.10	11.60
पश्चिम बंगाल	358.00	40.53	15.37	60.32	38.02
असम	384.00	31.31	31.31	54.70	38.00

उपलब्धियों का ब्योरा अनुबंध में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–9287/75]

कृषि विभाग के फसल डिवीजन में श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के पद

4600. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विभाग के फसल डिवीजन में वर्ष 1974 के दौरान श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के कितने पद भरे गये;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग अलग आरक्षित थे और कितने पद इन जातियों के व्यक्तियों द्वारा भरे गये ; और

(ग) आरक्षित पद यदि उन जातियों के लोगों से नहीं भरे जा सके, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) 1974 के दौरान कृषि विभाग के फसल प्रभाग में श्रेणी एक के निम्न लिखित पद भरे गए थे :—

पदनाम तथा पद का वेतनमान	क्या सीधी भर्ती से भरे गए हैं या प्रतिनियुक्ति अथवा प्रोन्नति के आधार पर
1. संयुक्त आयुक्त (खाद्य फसल) 1800–100–2000 रु०	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती
2. संयुक्त आयुक्त (परियोजना) 1800–100–2000 रु०	प्रतिनियुक्ति
3. निदेशक (बारानी खेती) 1500–60–1800 रु०	प्रतिनियुक्ति
4. उपायुक्त (नकदी फसल) 1500–60–1800 रु०	प्रतिनियुक्ति
5. उपायुक्त (बागवानी) 1500–60–1800 रु०	प्रतिनियुक्ति

वर्ष 1974 के दौरान फसल प्रभाग में श्रेणी दो का कोई पद नहीं भरा गया था।

(ख) तथा (ग) रखे गए रोस्टर के अनुसार आरक्षित कोटे में से संयुक्त आयुक्त (खाद्य फसल) का केवल एक पद खाली हुआ था। आरक्षण संबंधी अनुदेशों के अनुसार यदि वर्ष भर में केवल एक पद खाली रह जाए तो आरक्षित कोटे में होने पर भी उसे आरक्षित नहीं रखा जा सकता। अतः इस रिक्त पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती द्वारा आम उम्मीदवार के रूप में भरा गया था। वर्ष 1974 में हुई अन्य रिक्तियां को राज्यसरकारों/अन्य विभागों के व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा गया था। प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर आरक्षित आदेश लागू नहीं होते।

Composing and Reading Branch of Government of India Press Faridabad

4601. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether many employees in the Composing and Reading branch of the Government of India Press, Faridabad are working on **ad hoc** basis; and

(b) whether those employees are being made permanent on those posts and if so, the dates since when?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of reply to part (a).

Levelling and Distribution of land in Dacoit Infested Area of Morena in M.P

4602. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether uneven land has been levelled in the dacoit infested areas of Morena in Madhya Pradesh;

(b) if so, the area thereof and the names of the persons among whom the levelled land has been distributed indicating the manner of distribution and the area of the land remaining to be distributed;

(c) the time since when the work of levelling land is being done and the cost of levelling of one acre land; and

(d) whether the levelling work is being done at a very slow speed and if so, the action being taken by Government to accelerate the work?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shahnawaz Khan): (a) Levelling of some of the uneven lands has been done.

(b) The total Government land levelled is 577·6 hectares. An area of 373 hectares has been allotted by general auction and the remaining area of 204·6 hectares is still to be allotted. The names of the persons to whom the land has been auctioned by the State Government are not readily available.

(c) The work of land levelling in the district of Morena in Madhya Pradesh was started from 1955-56 under the State Plan scheme and from 1971-72 under the Centrally Sponsored scheme of Pilot Projects for Ravine reclamation. The cost per acre varies from project to project and year to year between Rs. 260 to Rs. 1,299 per acre.

(d) Looking to the vast area under ravines and its further annual encroachment, the area reclaimed is very small. The work has been in progress as per available resources and technology. In order to develop the technology further the Central Sector Scheme of Pilot Projects for Protection of Table lands and stabilisation of ravines areas is being continued in four States, viz., Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Gujarat. Provision in the draft Fifth Plan is Rs. 3 crores.

Uniform Distribution System of Sugar in the Country

4603. **riHukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the monthly quota of sugar being supplied on ration cards is one kilo per unit in the Union Territories of Delhi and Chandigarh;

(b) if so, since when; and

(c) whether keeping in view the rising prices and on humanitarian grounds Government propose to evolve a fixed uniform distribution system for the whole of the country and remove the disparity in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) No, Sir. It is 800 grams in Delhi and 600 grams in Chandigarh.

(c) The Central Government allot monthly quotas of levy sugar to the State Governments for distribution to domestic consumers through controlled channels. The basic allotments have been fixed on a rational basis taking into consideration the population figures and the normal pattern of consumption and adjusted marginally from time to time with reference to the availability of sugar. The scale of distribution has been left to be decided by the State Governments in the light of local dietary habits, subject to the general guide-line that no individual should get more than 1 kilogram per month and no family less than 1 kilogram per month. It is not proposed to disturb these arrangements.

Report of Catagorisation Committee for Press Workers

4604. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Ministry had appointed in 1973 a Categorisation Committee for industrial workers of all the presses under its control and the Committee has submitted its report to the Ministry; and

(b) if so, the categories in respect of which final decision have been taken as also the categories in respect of which decisions are yet to be taken and whether a report giving full information will be laid on the Table?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Balbir Singh) : (a) Yes, Sir. A Categorisation Committee known as "The Committee for Categorisation of Government of India Press Workers—1973" was set up and the Committee has submitted its report.

(b) A statment showing the categories of posts in respect of which final decisions have been taken on the recommendations of the Categorisation Committee, as well as the categories of posts in respect of which the recommendations are still in process, in consultation with the authorities concerned, is attached. [Placed in Library. See No. L.T. 9288/75].

As a final decision has not yet been taken in respect of a number of categories of posts, it is not possible at present to lay on the Table of the House a report giving the full information.

त्रिपुरा में मत्स्यपालन का विकास

4605. **श्री ढना उरांव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य में मत्स्यपालन विकास के लिये एक 5 लाख रुपये की योजना का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) राज्य में मत्स्यपालन विकास पर योजना-अवधि में, वर्षवार, अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य मत्स्यपालन विकास योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) 5 लाख रुपये की राशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) चौथी योजना के दौरान मात्स्य की विकास योजनाओं के सम्बन्ध में हुई व्यय राशि का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ग	व्याय की गई राशि (लाख रुपये)
1969-70	3.37
1970-71	5.67
1971-72	6.61
1972-73	13.97
1973-74	14.83

5वीं योजना का पहला वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिये 5वीं योजना के दौरान मात्स्यकी के विकास पर हुई राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । चौथी योजना के अन्त तक 4,230 मीटरी टन मात्स्यकी, 750 लाख "स्पान और 133.75 लाख 'फ़राई' और 'फिंगरलिंग्स' का उत्पादन हुआ है ।

(घ) 5वीं योजना के दौरान 93.50 लाख रुपये की लागत की योजनायें स्वीकृत की गई । आशा है कि विभिन्न प्रस्तावित विकासात्मक उपायों की व्यवस्था के परिणामस्वरूप, मत्स्य उत्पादन 6,100 मीटरी टन, 'स्पान' उत्पादन 1,500 लाख 'फराई' तथा फिंगरलिंग का उत्पादन 75 लाख के वार्षिक स्तर तक पहुंच जायेगा ।

पश्चिम बंगाल राज्य में सिंचाई सुविधाओं के लिये धनराशि का नियतन

4606. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में सिंचाई सुविधाओं वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य को वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 में कितनी-कितनी धनराशि नियत की गई और वर्ष 1975 के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने नियत धनराशि का किस सीमा तक उपयोग किया है और उत्पादकता के संबंध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल के लिये बृहत् और मध्यम सिंचाई स्कीमों के वास्ते 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के लिये स्वीकृत परिव्यय क्रमश: 3.98 करोड़ रुपये, 5.17 करोड़ रुपये और 7 करोड़ रुपये था। योजना आयोग के कार्यकारी दल ने ऐसी स्कीमों के लिए 1975-76 के वास्ते 11.10 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है।

(ख) 1972-73 और 1973-74 के दौरान किया गया खर्च क्रमश: 5.18 करोड़ रुपये और 5.41 करोड़ रुपये का था। 1974-75 के दौरान 5.64 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

राज्य में बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त सिंचाई लाभ नीचे दिए गए है :—

हजार हैक्टेयर में

अवधि	निर्मित शक्यता	समुपयोजन
योजना पूर्व	440	440
चतुर्थ योजना के अन्त तक योजना स्कीमों से	788	788
1974-75 (प्रत्याशित)	58	57

पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

4607. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों का आन्दोलन समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आन्दोलन की अवधि में कुछ कर्मचारियों को निलम्बित करना पड़ा था और यदि हां, तो कितने;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम सेवा को अनिवार्य सेवा के रूप में घोषित करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। कर्मचारी 10 मार्च, 1975 से काम पर वापस आ गए हैं।

(ख) हड़ताल की अवधि के दौरान कलकत्ता काम्प्लैक्स डिपो के 224 हड़ताली कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया था क्योंकि उनके विरुद्ध हिंसा करने और अन्य विशेष अपराध करने के आरोप थे।

(ग) और (घ) क्योंकि भारतीय खाद्य निगम में किसी भी हड़ताल का समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक सप्लाई को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए भारत सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम में किसी भी औद्योगिक विकास के बारे में किसी भी हड़ताल की 4 जनवरी, 1975 से और छः महीनों की अवधि के लिये रोक लगा दी है।

सिंचाई सुविधाओं की अप्रयुक्त क्षमता

4608. **श्री बसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी योजना के दौरान राज्यवार कितनी सिंचाई क्षमता बनाई गई और वास्तव में राज्य-वार कितनी क्षमता प्रयोग में लाई गई;

(ख) सिंचाई सुविधाओं की कितनी क्षमता अप्रयुक्त क्षमता है और सिंचाई क्षमता के इतनी अधिक मात्रा में अप्रयुक्त रह जाने के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या कमान्ड क्षेत्रों में जिस फसल पद्धति का अनुसरण किया जाता है, वह परियोजना की योजना के अनुसार नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो फसल पद्धति का अनुसरण करने और सिंचाई के इन साधनों की उपेक्षा करने वालों को निरुत्साहित करने/दंडित करने के लिये क्या प्रशासनिक, कानूनी अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9289/75)

रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

4609. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कलकत्ता स्थित रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा उद्देश्य-वार कितना अनुदान दिया गया;

(ख) क्या यह सच है कि यह विश्वविद्यालय इस समय वस्तुतः पंगु हुआ पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दिये गए अनुदानों को अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया गया है और यह कि कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा नहीं कराई जाती; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9290/75)।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय वास्तविक रूप से गतिहीनता की स्थिति में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, इस प्रकार के किसी मामले की उसको जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सस्ती आवास योजना

4610. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ती हुई मकानों की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने सस्ते मकान बनाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) कम लागत वाले मकानों का निर्माण करने के लिये सरकार द्वारा कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है लेकिन इस ने इस संबंध में कार्यवाही की है क्योंकि कम लागत के मकानों के निर्माण के लिये नयी सामग्रियों/निर्माण की तकनीकियां, डिज़ाइन आदि के अपनाये जाने को राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा राज्य आवास बोर्डों आदि को कम लागत के मकानों के निर्माण की सामाजिक आवास योजनाओं के लिये रियायती दर ब्याज पर वित्तीय सहायता भी दी जाती है। निगम ने हाल ही में उत्तर प्रदेश आवास बोर्ड के सहयोग से आगरा में कम लागत के 250 मकानों के निर्माण के लिए एक प्रदर्शन परियोजना आरम्भ करने का निर्णय किया है। योजना की मुख्य रूपरेखाओं तथा वित्तीय जटिलताओं का हिसाब लगाया जा रहा है।

Charter of demands submitted to Vice Chancellor Delhi University by All India Students Federation

4611. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education, Social Welafare and Culture** be pleased to state:

(a) whether a delegation of the Delhi State Committee of the All India Student's Federation met the Vice-Chancellor of Delhi University on the 28th January and submitted a 13-point charter of demands to him;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) Government's reaction in regard thereto?

The Minister of Education and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nuru Hasan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The charter of demands suggested representation to student teachers and other employees on University bodies; expansion of educational facilities and student amenities; stoppage of American assistance to the University; establishment of joint committees in the University and protection of service to teachers and other employees. The vice Chancellor has appointed a Committee to look into the demands.

Proposal to develop Leh (Ladakh) by constructing buildings

4612. **Shri Kushok Bakula**: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to develop Leh (Ladakh) by constructing buildings there so as to give it an appearance of the District Headquarters of the area;

(b) the amount of expenditure proposed to be incurred on building construction in Leh during the current year; and

(c) the details of the construction work and the time by which it would be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Works and Housing (Shri Dalbir Singh): (a), to (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Protection of Wild Animals and Fauna in Himalayan Region

4613. **Shri Kushok Bakula:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the economy of the Himalayan region has been adversely affected due to extinction of wild life;

(b) the steps being taken by Government to check the imbalanced cultivation and clearance of forests in the hilly areas;

(c) whether Government are considering any proposal to formulate a national plan for the protection of wild animals and fauna of the Himalayan area; and

(d) if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) to (d) The information is being collected and wil be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

स्कूल के बच्चों के लिये अन्तर्राज्यीय स्तर पर आखेट यात्रा (सफारी)

4614. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्य जीवों के प्रति प्रेम-भाव पैदा करने तथा उनके परीक्षण की आवश्यकता के लिये भारत में स्कूल के बच्चों के लिए अन्तर्राज्यीय स्तर पर एक ऐसी आखेट-यात्रा (सफारी) की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है जैसा कि इस वर्ष फरवरी में यूरोप के कुछ देशों के बच्चों के लिये आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को सफल बनाने के लिए विवरण तैयार करने हेतु कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेत्रहीन छात्रों को सुविधायें

4615. **श्री सत पाल कपूर** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस चांसलर द्वारा नियुक्त पांच सदस्यीय समिति ने नेत्रहीन छात्रों को बहुत सी सुविधाऐं देने की सिफारिश की है; और

(ख) कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की गयी ह और उस पर सरकारी की क्य प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो-वाइस चांसलर ने पांच सदस्यों की जो समिति नियुक्त की थी, उसने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

"विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये नेत्रहीन छात्रों की पात्रता निश्चित करने हेतु 5 प्रतिशत तक अंकों की छूट दी जानी चाहिए जैसा कि अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के छात्रों के मामले में किया जाता है । विश्वविद्यालय तथा कालेजों के छात्रावासों में दाखिला देने में भी नेत्र-हीन छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

समिति ने महसूस किया कि नेत्रहीन छात्रों को ट्यूशन फीसों में भी विशेष रियायत दी जानी चाहिये, परन्तु प्रत्येक मामले पर व्यक्तिगत गुणों के आधार पर निर्णय लिया जाए ।"

एकेडेमिक काउन्सिल ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और निर्णय किया है कि विश्वविद्यालय तथा कालेजों के छात्रावासों में दाखिले के लिए नेत्रहीन छात्रों को अन्य वर्गों के छात्रों से अग्रता प्रदान की जाए ।

राजधानी में अपने मकान बनाने के लिये व्यक्तियों को भूमि आवंटन का कार्यक्रम

4616. **श्री सतपाल कपूर**
श्री के० मालन्ना } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में अपने मकान बनाने के लिये ऐसे लोगों को जिनके पास साधारण से संसाधन हैं भूमि आवंटित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित दरों पर पर्चियां निकाल कर रिहायशी प्रयोजनों के लिये प्लाटों के आवंटन की, दिल्ली विकास प्राधिकरण की पहले ही एक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत, उस ने मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को 3,322 प्लाट तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को 1,760 प्लाट आवंटित किये हैं।

(ख) यह एक निरन्तर चलने वाली योजना है।

प्रौढ़ शिक्षा संस्थान

4617. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय वित्त पोषित कितने प्रौढ़ शिक्षा संस्थान हैं और इस समय प्रत्येक राज्य में कितने प्रौढ़ शिक्षा पा रहे हैं ; और

(ख) साक्षरता अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को क्या कदम उठाने का सुझाव दिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) केन्द्रीय वित्त पोषित प्रौढ़ शैक्षिक संस्थायें ये हैं :— (1) किसान कार्यात्मक साक्षरता परियोजनायें, (2) बहुसंयोजक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, बम्बई और (3) नागपुर तथा इन्दौर स्थित कर्मचारियों के सामाजिक शिक्षा संस्थान। इन कार्यक्रमों से लाभ उठाने वाले प्रौढ़ों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखी गई/देखिए संख्या एल०टी०-9291/75)

(ख) राज्य सरकारों को जिन कदमों को उठाने का सुझाव दिया गया है, उनमें ये भी शामिल हैं :— (1) गुणात्मक तथा परिणात्मक रूप से कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं को सुदृढ़ करना और (2) पांचवीं योजना में यथासम्भव अधिक से अधिक जिलों में 15—25 आयु वर्ग के युवकों के लिये गैर-औपचारिक शिक्षा का शुरु किया जाना।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये बहु-मंजिले फ्लैटों का निर्माण

4618. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये बहु-मंजिले फ्लैटों के निर्माण की योजना को त्याग दिया है ;

(ख) क्या इससे राजधानी में रहने वाले कर्मचारियों की आवास समस्या और अधिक नहीं बढ़ जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों की आवास समस्या से निपटने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध निधियों के भीतर रिहायशी वास के निर्माण हेतु कदम उठाये गये हैं तथा निरन्तर उठाये जाते रहेंगे।

दिल्ली में उचित मूल्यों की दुकानों पर गेहूं का उपलब्ध न होना

4619. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फरवरी, 1975 में दिल्ली में अधिकांश उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं उपलब्ध नहीं था और उसके बजाये राशन कार्डधारियों को केवल आटा सप्लाई किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कार्डधारियों को उनकी इच्छानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम के विभागीय मज़दूरों द्वारा हड़ताल करने के कारण, फरवरी, 1975 के दौरान उचित मूल्य की दुकानों से सम्बद्ध कार्डधारियों को उनके द्वारा अपेक्षित पूरी मात्रा में गेहूं नहीं दिया जा सका था और गेहूं की कमी को पूरा करने के लिये जहां कहीं आवश्यक समझा गया आटा सप्लाई किया गया था। अब क्योंकि हड़ताल समाप्त हो गई है, कार्डधारियों को पहले की तरह उनकी तरजीह के अनुसार अनाज सुलभ किया जायेगा।

भूतपूर्व नरेशों की कृषि भूमि को अपने नियंत्रण में लेने के लिये कानून

4620. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे भूतपूर्व नरेशों की कृषि भूमि को अपने नियंत्रण में लेने के लिये कानून बनायें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रकार का कानून बनाने का है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) से (ग) देश में सभी भूमिधारियों पर जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी एक जैसे कानून ही लागू हैं। देश में 17 राज्यों में भूमि की अधिकतम जोत के संशोधित कानून पारित कर दिये गये हैं। शेष चार राज्यों में से नागालैण्ड और मेघालय में जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां भूमि मुख्यत: सामुदायिक स्वामित्व में है। महाराष्ट्र और मणिपुर के कानूनों में अभी संशोधन किया जाना है।

Taking over of Jawahar Lal Nehru Institute for Physical Medicine and Rehabilitation

4621. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the progress made by Government of taking over of Jawahar Lal Nehru Institute for Physical Medicine and Rehabilitation as was decided by Government;

(b) the time by which it is likely to be taken over; and

(c) the expenditure likely to be incurred by Government thereo ı.?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) to (c) The Council has now adopted a resolution on the required lines proposing transfer of these institutions to the Government of India. The modalities of the transfer including related expenditure etc. are being worked-out and the date of take over will be settled by mutual agreement between the Government and the Council.

राज्यों में आवास के लिये धन क आवंटन में असमानता

4622. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को आवास के लिये आवंटित की जाने वाली धनराशि में असमानता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार, केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को अथवा अन्य सार्वजनिक निकायों को यदि आवास प्रयोजन के लिये कोई धनराशि दी गई है तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों के आकार में असमानता, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा साधन जुटाने के प्रयास तथा अपने अन्तर्क्षेत्रीय कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिकताओं को देखते हुए यह अपरिहार्य है ।

(ग) बागान कर्मचारियों के लिये सहायता-प्राप्त आवास योजना को छोड़कर इस मंत्रालय की सभी सामाजिक आवास योजनायें राज्य क्षेत्र में हैं । राज्य सरकारों को सभी राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'समेकित ऋणों' तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है तथा राज्य सरकारें अपने विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये, जिसमें सामाजिक आवास योजनायें शामिल हैं, निधियों का नियतन अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार

करने में स्वयं सक्षम हैं। बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को गत तीन वर्षों में दी गई धनराशि के सम्बन्ध में सूचना अनुलग्नक-I में दी गई है। (ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०-9292/75)

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों की आवास स्थल देने की योजना को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के तौर पर अक्तूबर, 1971 में एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में आरम्भ किया गया था। यह योजना भी 1 अप्रैल, 1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दी गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान दी गई धनराशियां अनुलग्नक-II में दी गई हैं। (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-9292/75)

Extinction of Wild Life

4623. **Shri Bhagat Ram Rajaram Manhar : Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there is an apprehension of rapid extinction of wild life in various parts of the country;

(b) whether Government have prepared any study report in regard to the effect of rapid population increase on the existence of wild life and the related aspect of wild life to the economic development of the country; and

(c) the steps being taken by Government to impress upon the Police Department and the sanctuaries the need for protecting wild life in a coordinated manner?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Though wild life has been somewhat depleted in various parts of the country no specie has become extinct in recent years.

(b) Specific report of this nature has not been prepared. However the expert committee appointed by the Indian Board for Wild Life which submitted its report in 1970, has discussed these aspects in brief.

(c) The Wild Life (Protection) Act, 1972 empowers the Police personnel to take action under the Act and it also makes provision for management and preservation of Sanctuaries. The Government of India have from time to time been pressing upon the State Governments to implement the Wild Life (Protection) Act more assiduously and to preserve the Sanctuaries more effectively.

Procurement of Jowar in Madhya Pradesh

4624. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to **state**:

(a) the quantity of jowar procured by the Madhya Pradesh Government during the Kharif season; and

(b) the quantity of jowar it can give to the Centre?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) 1·04 lakh tonnes (as per information available upto 22-3-1975).

(b) Due to failure of paddy crops, drought and scarcity conditions State Government for the present have expressed their inability to give any part of the procured jowar to the Centre.

उत्तर प्रदेश के लिये सिंचाई परियोजनायें

4625. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी बड़ी, मध्यम दर्जे की और छोटी सिंचाई परियोजनायें केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विचाराधीन हैं ;

(ख). क्या उनमें से कुछ परियोजनायें उत्तर प्रदेश की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका, श्रेणीवार, ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) इस समय राज्य सरकारों से प्राप्त 108 बहूद्देश्यीय/बृहत् और 246 मध्यम सिंचाई स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच की जा रही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उत्तर प्रदेश की 16 बहूद्देश्यीय/बृहत् और 8 मध्यम सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-9293/75)

विश्वविद्यालय अध्यापकों के नये वेतनमानों के बारे में राज्य शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

4626. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विश्वविद्यालय अध्यापकों के नये वेतनमानों के बारे में एक समान निर्णय करने के लिये राज्य शिक्षा मंत्रियों का प्रस्तावित सम्मेलन कब बुलाया जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : सम्मेलन शीघ्र ही बुलाये जाने की सम्भावना है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली को भूमि का आवंटन

4627. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति, रामकृष्णपुरम ; नई दिल्ली ने गृह निर्माण के लिये भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भूमि का आवंटन कब तक किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह सूचित किया गया है कि "अनुसूचित जाति/जनजाति सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण /सहकारी समिति, राम कृष्णपुरम" के नाम की कोई भी समिति दिल्ली प्रशासन के सहकारी विभाग में पंजीकृत नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में खाद्यान्न की आवश्यकता

4628. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी**
श्री मूल चन्द डागा } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार के अनुमान के अनुसार राज्य पर एक बार फिर अकाल के बादल मंडरा रहे हैं और 1975-76 के दौरान भी यह हालत बनी रहने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति से निपटने के लिये राज्य की अतिरिक्त खाद्यान्न संबन्धी आवश्यकता की जानकारी केन्द्रीय सरकार को दे दी गई है ; और

(ग) राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की अकाल और सूखे की स्थिति से निपटने के लिये केन्द्र ने 1973-74 और 1974-75 (दिसम्बर, 1974 तक) के दौरान खाद्यान्न की कितने प्रतिशत मांग पूरी की और राजस्थान की वर्तमान स्थिति के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : राज्य में चल रही सूखे की स्थिति के दौरान, सरकारी वितरण प्रणाली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये राजस्थान सरकार केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के अधिक आवंटन करने के लिये अनरोध करती रही है।

राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा 1973-74 और 1974-75 के दौरान (दिसम्बर, 1974) तक मांगी गई खाद्यानों की मात्रा और उनको केन्द्रीय पूल से आवंटित की गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

राज्य	1973-74			1974-75		
	मांग	आवंटन	मांग की तुलना में जितने प्रति-शत आवंटन किया गया	मांग	आवंटन	मांग की तुलना में जितने प्रति-शत आवंटन किया गया
राजस्थान	1173.0	628.0	53.54	408.0	208.2	51.03
गुजरात	1855.0	794·0	42.80	1575.0	557.0	35.37
मध्य प्रदेश	466.8	199.0	42.63	130.3	76.0	58.32

कठिन खाद्य स्थिति पर काबू पाने के लिये राजस्थान सरकार की सहायता करने के लिय केन्द्रीय पूल से राज्य के खाद्यान्नों के आवंटन की सितम्बर, 1974 के 18,000 मीटरी टन से बढ़ाकर दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 के लिये 32,000 मीटरी टन प्रति मास, फरवरी के लिये 40,000 मीटरी टन और मार्च, 1975 के लिये 50,000 मीटरी टन कर दिया गया है। यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है कि वे केन्द्रीय पूल से आवंटित और स्थानीय अधिप्राप्ति से उपलब्ध खाद्यान्नों का सूखे से प्रभावित क्षेत्रों सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान आधार पर वितरण करें ।

राजस्थान को चीनी की सप्लाई

4629. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में दिसम्बर, 1974 से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र द्वारा राज्य को चीनी सप्लाई न किये जाने के कारण ऐसा किया गया है ;

(ग) क्या राजस्थान में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली प्रति इकाई चीनी दिल्ली में दी जाने वाली मात्रा से बहुत कम है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकार की चीनी की सप्लाई नियमित बनाये रखने के बारे में बाधाओं को दूर करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) : राज्य सरकार से यह पता चला है कि दिसम्बर, 1974 से नियंत्रित माध्यम से चीनी की सप्लाई में कुछ बाधा पड़ी है। ऐसा मुख्यतः रेलवे बैगन न मिलने और चीनी मिलों द्वारा शीघ्र सप्लाई न करने के कारण हुआ है। राज्य सरकार के अनुरोध पर पहले न उठाई गई मात्रा की वैधता अवधि बढ़ा दी गई थी।

(ख) जी नहीं। राजस्थान सहित सभी राज्यों की लेवी चीनी के मासिक आवंटन नियमित रूप से किये जा रहे हैं। राजस्थान में राज्य सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से लेवी चीनी के थोक वितरण की प्रभारी है और वे मिलों से आवंटित चीनी प्राप्त करने के लिये अपना निजी प्रबन्ध करते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) विभिन्न राज्यों को लेवी चीनी के मासिक आवंटन जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों और खपत के सामान्य तरीकों के संदर्भ में युक्तियुक्त आधार पर किये जाते हैं। प्रत्येक युनिट को कितनी चीनी दी जाये, उसका निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है जिसे उन्हें स्थानीय खाने की आदतों को ध्यान में रखकर करना होता है लेकिन उसका मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्येक माह में एक किलो से अधिक चीनी नहीं पा सकता है और कोई भी परिवार प्रत्येक माह में एक किलो से कम नहीं पा सकता है।

कृष्णा जल पंचाट

4630. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृष्णा जल पंचाट के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और वह कब तक कर लिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) : कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1973 में दे दी थी। बहरहाल, अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम—1956 के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट में उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगते हुए वादी राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधिकरण से अनुरोध किये थे। इन अनुरोधों पर न्यायाधिकरण द्वारा सुनवाई की जा रही है। यद्यपि न्यायाधिकरण द्वारा अपने कार्य को जल्दी पूरा करने के लिये यथासम्भव कोशिशें की जा रही हैं परन्तु इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा।

श्री सेलाम परियोजना

4631. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि निर्माणाधीन श्री सेलाम परियोजना को सिंचाई परियोजना में बदला जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) : इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई भी प्रस्ताव केन्द्र में प्राप्त नहीं हुआ है । बहरहाल इस मामले पर कृष्णा न्यायाधिकरण के पंचाट, वर्तमान विकास कार्यों, जल की उपलब्धि और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना है ।

जमाखोरों और चोरबाजारी करने वालों के साथ निपटने के लिये भारत रक्षा नियम, आंसूका, तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्ध लागू करने वाले राज्य

4632. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) कितने राज्यों ने अब तक जमाखोरों और चोरबाजारी करने वाले लोगों के साथ निपटने के लिये भारत रक्षा नियम, आंसुका, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्ध लागू किये हैं ;

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं, इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं अथवा अन्य कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने के लिये राज्यों ने इन शक्तियों का कहां तक सफलतापूर्वक प्रयोग किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : : (क), (ख) और (ग) : अभी तक 19 राज्यों और केन्द्र शासित प्रशासनों ने यह सूचित किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन कार्यवाही की गई है । प्राप्त सूचना के अनुसार, उस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही पर जनवरी-नवम्बर, 1974 के दौरान 30,512 व्यक्तियों पर मुकद्दमें चलाये गये थे और 7,902 व्यक्ति दोषी पाये गये थे ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, भारत सुरक्षा नियम और आंसुका के अधीन की गई कार्यवाही के बारे में अद्यतन सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अरालम राजकीय फार्म, केरल

4633. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अरालम राजकीय फार्म के विकास की स्थिति इस समय क्या है ;

(ख) इस फार्म में अब किन फसलों की कृषि की जाती है और क्या फार्म ने फसल पद्धति के बारे में निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) भू-संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; गत तीन वर्षों में इस फार्म को कितनी लाभ–हानि हुई ;

(घ) क्या इस फार्म में श्रमिक–सम्बन्ध स्वस्थ हैं ; और

(ङ) क्या इस फार्म का मौके पर अध्ययन करने के लिये मंत्रालय के दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) : अरालम फार्म का प्रस्तावित क्षेत्र 12,000 एकड़ है। इस समय इस क्षेत्र में से 7,464 एकड़ क्षेत्र कब्जे में है। इस समय इसमें से 5,764 एकड़ क्षेत्र (115 एकड़ सिंचित और 5,694 एकड़ वर्षा से सिंचित) खेती के लिये उपयुक्त है। इसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जो रोपण फसलों के लिय ठीक है और जिसका विकास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय फसलों के लिये विकसित हो सकने वाला क्षेत्र 700 एकड़ और विकास न होने वाला क्षेत्र 1,000 एकड़ है।

(ख) 1973-74 में शुरू की गई पौधरोपण फसलों और 1974-75 के दौरान शुरू की गई क्षेत्रीय फसलों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-1) (ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी०-9294/75)। अरालम फार्म में जो खेती की जाती है वह मृदा की विशेषता, भूमि की उपरी सतह वर्षा, सिंचाई सुविधाओं और क्षेत्र के कार्यक्रम के अनुसार होती है। यह कार्यक्रम कृषि निदेशक, केरल, सस्य विज्ञान प्रभाग के अध्यक्ष, केन्द्रीय वनस्पति फसल अनुसंधान संस्थान, कसारगोद, नारियल, सुपारी, मसाला और काजू विकास के राज्य निदेशक और केन्द्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र के चावल विशेषज्ञ और राज्य फार्म निगम के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है।

(ग) भूमि की विशेष स्थिति, और अधिक वर्षा के कारण कृषि कार्यों की इस प्रकार व्यवस्था की जाती है कि सीमा से अधिक भूरक्षण न होने पाये। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये मृदा संरक्षण के लिये ऊपरी क्षेत्र में बारहमासी किस्म के वृक्ष को उगाने और ढलानों में भुरक्षण को रोकने वाली फसलों का उगाना शुरू किया गया है और इसके अतिरिक्त रोपाई की फसलें शुरू की गई हैं।

लाभ और हानि की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-2) (ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—9294/75)।

(घ) जी, हां।

(ङ) केरल में अरालम राज्य फार्म के कार्य-कलापों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये स्थापित किए हुये सरकारी दल ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। आशा है वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

इंडोनेशिया से युवक छात्र शिष्टमंडल

4634. **श्री सी० के चन्द्राप्पन :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया के एक युवक छात्र शिष्टमंडल ने सरकार के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्ट-मंडल के सदस्यों के नाम क्या थे और क्या उन्होंने किसी संगठन अथवा छात्र संघ का प्रतिनिधित्व किया था;

(ग) उन्होंने भारत के किन स्थानों की यात्रा की थी और किन व्यक्तियों के साथ औपचारिक बातचीत की थी;

(घ) क्या उनकी किसी भारतीय युवक छात्र संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी;

(ङ) सरकार ने इस शिष्ट मंडल पर कुल कितनी धनराशि खर्च की है; और

(च) इस यात्रा का क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (च) जबकि इंडोनेशिया से किसी भी युवक छात्र प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा नहीं किया, किन्तु विदेश मंत्रालय के निमंत्रण पर इंडोनेशिया के एक वृहद् सरकारी प्रतिनिधिमंडल के भागके रूप में इंडोनेशियाई युवक संगठन के दो प्रतिनिधियों ने सदभावना मिशन पर 9 से 13 फरवरी तक भारत का दौरा किया। इंडोनेशियाई युवक संगठन के दो प्रतिनिधियों ने दिल्ली तथा बम्बई का दौरा किया। इस दौरे में प्रतिनिधिमंडल के साथ संगठन के अध्यक्ष भी शामिल थे। दिल्ली में उनके अल्पावधि प्रवास के दौरान उन्होंने शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के साथ केन्द्रीय प्रायोजित युवक कल्याण कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया जब वे दिल्ली में थे, तब वे युवाक्षेत्र में कुछ गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मिले।

सम्बन्धित प्रतिनिधिमंडल के दो सदस्यों पर लगभग 4,300/ रुपये खर्च हुए हैं।

राज्यों में लागू की गई भूमि की अधिकतम सीमा

4635. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा राज्यवार अपने भूमि सुधार कानूनों के अन्तर्गत भूमि की क्या अधिकतम सीमा लागू की है;

(ख) प्रत्येक राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा को लागू करने में कितनी प्रगति की है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य ने कितनी-कितनी फालतू भूमि को अपने अधिकार में लिया है;

(घ) उन्होंने फालतू भूमि का क्या किया है; और

(ङ) इन कानूनों के अन्तर्गत झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में क्या व्यवस्था है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) एक विवरण (1) संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी०–9295/75) ।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न (2) है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9295/75) ।

(ङ) अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों में झोपड़ी में रहने वाले लोगों के अधिकारों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, इनमें से कुछ कानूनों में आवास स्थलों के रूप में फालतू भूमि के वितरण की व्यवस्था है।

बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं के लिये केरल को वित्तीय सहायता

4636. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं के लिए केरल को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान राज्य को कितनी सहायता देने का विचार है; और

(ग) इस सहायता से इस संबंध में राज्य की आवश्यकताएं किस सीमा तक पूरी हो सकेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) : सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी समग्र विकास योजनाओं के अन्तर्गत की जाती है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के किसी खास क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती।

केरल को पिछले दो वर्षों में और इस वर्ष में दी गई ब्लाक केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार से है :—

1972-73	36.70 करोड़ रुपये
1973-74	35.72 करोड़ रुपये
1974-75	35.72 करोड़ रुपये

वर्ष 1975-76 में केरल में कृषि उत्पादन का बढ़ाया जाना

4637. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वर्ष 1975-76 में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उसके लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है :

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय मे उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) : 1975-76 के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने के विषय में केरल सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

लारेंस रोड़ के दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्वार्टरों में बालकनियों का विस्तार और शीशेदार खिड़कियां लगाना

4638. **श्री सरजू पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 3 अप्रैल, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लारेंस रोड़ वैलफेयर फैडरेशन से सलाह की है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बालकनियों का विस्तार करने और शीशेदार खिड़किया लगाने के अनुरोध को फैडरेशन को बातचीत का अवसर दिये बिना अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या फैडरेशन की मांग पर पुन: विचार करने के उसके अनुरोध पर विचार किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं । यह सूचित किया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लारेंस रोड़ वैलफेयर फैडरेशन के महा मंत्री को 12-7-74 को एक पत्र लिखा था जिस में उन्हें लारेंस रोड़ के रिहायशी फ्लैटों में

बालकनी का विस्तार करने तथा बरामदे में शीशेदार खिड़कियां लगाने की अनुमति देने की सम्भाव्यता पर विचार-विमर्श करने के लिये 23-7-74 को होने वाली बैठक में आमंत्रित किया गया था लेकिन फैडरेशन का कोई प्रतिनिधि बैठक में नहीं आया ।

(ग) बालकनी का विस्तार करने तथा बरामदे में शीशेदार खिड़कियाँ लगाने के मामले पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन उप-नियमों, हवादारी पर इसका प्रभाव तथा अन्य संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए विस्तार से विचार किया गया था आयोजना तथा संरचनात्मक दृष्टि से तथा भवन उप-नियमों के कारण भी बालकनी का विस्तार करने तथा बरामदे में शीशेदार खिड़कियां लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा, फैडरेशन को तदनुसार पहले ही सूचित कर दिया गया है ।

उड़ीसा में आपरेशन फ्लड प्रोग्राम और विजातीय पशुपालन फार्म

4639. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंजम, पूरी सम्बलपुर और सुन्दरगढ़ जिलों को 'आपरेशन फ्लड प्रोग्राम' में शामिल करने के बारे में उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में चिपलिमा में विजातीय पशुपालन फार्म बनाने की मंजूरी देने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) गंजम, पुरी, सम्बलपुर, और सुन्दरगढ़ जिलों को आपरेशन फ्लड क्षेत्र में शामिल करने के संबंध में भारतीय डेरी निगम को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, परन्तु भारतीय डेरी निगम ने पांचवीं योजना के प्रस्तावों में उड़ीसा के क्योंझर तथा धेनुकनाल जिलों को शामिल किया है ।

(ख) आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत चिपलिमा में विजातीय प्रजनन यथा फार्म बनाने के संबंध में भारतीय डेरी निगम का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गिर शरण स्थल के बारे में वन्य संरक्षण सम्बन्धी विशषज्ञ समिति की सिफारिश

4640. **एन० आर० वेकारिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में गिर शरण स्थल के बारे में वन्य पशु संरक्षण संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसको नेशनल पार्क के रूप में बदलने के बारे मे क्या प्रगती हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां

(ख) गुजरात सरकार ने 140.40 वर्ग किलोमीटर आश्रय-स्थल के क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित करने का निर्णय किया है और शेष क्षेत्र को गिर क्षेत्र में रहने वाले 840 मालधारी परिवारों के अन्य स्थान पर चले जाने पर धीरे-धीरे परिवर्तन किया जायेगा । वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना जारी कर दी गई है और अन्तिम अधिसूचना, अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार जूनागढ़ के कलक्टर की जांच पूरी होने पर जारी कर दी जायेगी ।

विदेशों में अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

4641. **श्री डी० वी० चन्द्रगोडा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने वर्ष 1975–76 के लिये विदेशों में अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों संबंधी अपनी योजना के अधीन कितनी छात्रवृत्तियां दी; और

(ख) इस संबंध में क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) और (ख) विदेशों में अध्ययन के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। उम्मीदवारों का चयन केवल योग्यता एवं साधनों के आधार पर किया जाता है। केवल वही उम्मीदवार छात्रवृत्ति के लिये पात्र हैं, जिनके माता-पिता/अभि-भावकों की आय सभी स्रोतों से 1000 रुपये प्रति मास से कम हो। उम्मीदवारों का साक्षात्कार एक ऐसी विधिवत गठित चुनाव समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं।

वर्ष 1975–76 के लिये चुनावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Farms under State Farm Corporation

4642. **Shri R.V. Bade:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the area of each farm of the State Farm Corporation and the statement of their receipts and expenditure for the last three years;

(b) the produce of each farms and the expenditure incurred on the salaries of the employees of each farm during the same period; and

(c) the average per acre produce of each of them **vis-a-vis** other **farms.**

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigaion (Shri Prabhudas Patel): (a) A statement is appended. (Annexure I). [Placed in Library. See No. L.T. 9296/75].

(b) A statement is appended. (Annexure II). [Placed in Library. See No. L.T. 9296/75].

(c) The average yields per acre at each of the farms would depend upon several factors like the crops grown, agro climatic conditions, soil structure, availability of irrigation etc. No detailed and systematic attempts to compare the yields at the farms of the State Farms Corporation of India **vis-a-vis** other farms has been made hitherto.

Millet (Bajra) Production during IV Plan

4643. Shri R.V. Bade: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Fourth Plan target of millet (bajra) production has been achieved and if not, the extent of variation in target and actual production

(b) its State-wise break-up; and

(c) whether various diseases that affected the hybrid millet are the causes of fall in production and the remedial steps taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) Against the Fourth Plan target of 7 million tonnes of bajra in the country, the actual production was 7·09 million tonnes in 1973-74.

(b) The State-wise break-up is given below:

States	(In lakh tonnes) Production of Bajra in 1973-74
1. Andhra Pradesh	3·48
2. Bihar	0·08
3. Gujarat	13·12
4. Haryana	6·89
5. Jammu & Kashmir	0·08
6. Karnataka	2·16
7. Madhya Pradesh ..	2·14
8. Maharashtra	8·56
9. Orissa	0·02
10. Punjab ..	1·28
11. Rajasthan	21·81
12. Tamil Nadu ..	2·97
13. U.P.	8·08
14. West Bengal	0·01
15. Union Territories	0·19
Total ..	70·87

(c) Although, the IV Plan target of bajra production has been achieve but of late diseases like downy-mildew and ergot have become the limitins factors in increasing the productivity of the crop. The State Governmentg have been advised to intensify plant protection measures particularly by involving students of Agricultural Universities and Colleges for going round the villages in the areas of their locations, for removing the ergotinfested and downy mildew infested plants.

Press Tours organised by Public Sector Corporation in the Ministry of Agriculture and Irrigation

4644. **Shri R.V. Bade:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the number of press tours organised under the various public sector corporations of the Ministry during the last three years;

(b) the names of the journalists participated therein and the names of the newspapers and the news agencies with which the journalists wer associated; and

(c) whether two news agencies of Indian languages, viz., Hindustan Samachar and Samachar Bharti, were also included therein and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

बड़े फर्श, क्षेत्र-फल (फ्लोर एरिया) पर मकानों के निर्माण पर प्रतिबन्ध

4645. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 2000 वर्गफुट से अधिक फर्श क्षेत्रफल पर रिहायशी मकान बनाने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) फिलहाल ऐसे प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा और संस्कृति संबंधी भारत-अमरीकी उप-आयोग

4646. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री शिक्षा और संस्कृति संबंधी भारत-अमरीकी आयोग के बारे में 24 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 942 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आयोग की बैठक में भाग लेने वाले भारतीय दल के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : भारतीय प्रतिनिधि मंडल के निम्नलिखित सदस्यों ने 3 से 5 फरवरी, 1975 तक हुई भारत अमरीकी उप आयोग की बैठक में भाग लिया :—

1. श्री जी० पार्थासारथी	नेता
2. श्री मोहन मुकर्जी	वैकल्पिक नेता
3. डा० रईस अहमद	
4. डा० पी० सी० जोशी	
5. डा० एस० गोपाल	
6. डा० सी० एस० झा	
7. प्रो० रशेदुद्दीन खां	
8. डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन	
9. डा० जे० बी० श्रीवास्तव	
10. डा० एम० के० अनन्त राव	
11. श्री एस० के० एन० चिब	
12. श्री जे० एस० तेजा	
13. डा० बी० डी० नाग चौधुरी	

इण्डियन ग्रासलैण्ड एण्ड फौडर रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट झांसी द्वारा भूमि कटाव का अध्ययन

4647. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर
श्री पी० गंगादेव } : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इण्डियन ग्रास लैण्ड एण्ड फौडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी नें भूमि कटाव से भूमि की रक्षा करने के बारे में कोई अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन से यह ज्ञात हुआ था कि देश की लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि की भूमि कटाव से सुरक्षा किये जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई है और अब तक उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) झांसी स्थित भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान निम्न श्रेणी के चरागाहों, जिन पर आच्छादन नहीं होने के कारण बहुत अधिक कटाव या क्षरण होता है, की प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन कर रहा है ।

अध्ययनों से पता चलता है कि घटिया चरागाहों के प्रबंध का पहला उपाय है, उनमें चराई बंद करना। 3–4 साल तक चराई बन्द कर देने से चरागाह की निर्वाह-क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी का संरक्षण करने के लिए विभिन्न मिट्टी और जलवायु वाली स्थितियों के अनुकूल घास की उपयुक्त प्रजातियों को पहचाना गया है। 6 मी० के अंतर पर समोच्च कूंड़ बनाने से निम्न श्रेणी के चरागाहों में ऐसे प्रेरित वानस्पतिक परिवर्तन हुए जो अधिक स्वादिष्ट घासों के अनुकूल थे।

(ख) कितने क्षेत्र को भूमि-कटाव से संरक्षित करना है, इस पर भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ने स्वत: कोई अध्ययन नहीं किया है। केवल मिट्टी सर्वेक्षण के आधार पर ही ऐसे क्षेत्र का सही अनुमान लगाया जा सकता है, पर सम्पूर्ण देश में मिट्टी-सर्वेक्षण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। परन्तु, कृषि विभाग के कुछ आरंभिक सर्वेक्षणों और अध्ययनों के आधार पर निम्न श्रेणी के चरागाहों के क्षेत्र का मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि निम्न श्रेणी के चरागाहों का कुल क्षेत्रफल करीब 17.5 करोड़ हैक्टेयर हो सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है :

जमीन की किस्म	क्षेत्र की सीमा (दस लाख हैक्टेयर में)
1. दर्रा और खड्ड	4.00
2. जल लग्न क्षेत्र	5.00
3. लवणीय और क्षारीय	7.00
4. रेगिस्तान	22.00
5. झूम (स्थानान्तर कृषि) भूमि	2.00
6. अन्य कटाव वाली भूमि	135.00
कुल	175.00

(ग) मिट्टी संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा देश में भूमि के निम्नीकरण की समस्या को हल किया जा रहा है। मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक अनुमानत: करीब 1.9 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कटाव वाली भूमियों में घासों और दलहनी फसलों को उगाने के साथ-साथ समोच्च बांध बनाना, टेरेस बनाना, खड्ड नियंत्रण वन रोपण (पुन: वनस्पति उगाना) आदि शामिल हैं।

वर्ष 1974–75 में विभिन्न राज्यों में गेहूं और चावल का मूल्य

4649. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विभिन्न राज्यों में वर्ष 1974 और जनवरी तथा फरवरी, 1975 में गेहूं और चावल के मूल्यों के बारे में तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : दो विवरण (विवरण I और II) **संलग्न** है (ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०–9297/75) जिनमें जनवरी **और** फरवरी, 1974 तथा 1975 क दौरान विभिन्न राज्यों में चल रहे गेहूं तथा चावल (मोटे) के मास अन्त के थोक मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है।

विश्वभारती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

4650. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वभारती विश्वविद्यालय (शान्तिनिकेतन) को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण अध्यापक और कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी समस्याओं का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या विज्ञान संकाय संबंधी जांच समिति ने अपना काम आरंभ नहीं किया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या वर्तमान संकट के कारण विश्वभारती के अनेक अध्यापकों ने हाल ही में विश्वविद्यालय छोड़ दिया है ;

(घ) क्या आनर्स कोर्स में दाखिले, शिक्षा परिषद, कार्यकारी परिषद और कोर्ट के विधान के बारे में अनेक अनियमितताओं का पता चला है ;

(ङ) यदि हां, तो भाग (ग) और (घ) के बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(च) विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ;

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (च) शिक्षा भवन में हुई कुछ घटनाओं के कारण विश्वविद्यालय में सितम्बर–अक्तूबर, 1974 के दौरान कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसके कारण रसायन विभागाध्यक्ष को अपनी अध्यक्षता से त्यागपत्र देना पड़ा। विश्वविद्यालय न शिक्षा भवन के मामलों तथा उसके कामकाज के संबंध में शिकायतों की जांच करने क लिए एक एक-सदस्यीय जांच समिति नियुक्त कर दी है। आशा है कि यह समिति शीघ्र ही अपना कार्य आरम्भ कर देगी।

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछेक तकनीकी और गैर-शिक्षण कर्मचारियों एवं लेक्चरारों से नीचे के दर्जे के अध्यापकों द्वारा भी अपने वेंतनमानों को संशोधित करने के संबंध में आन्दोलन किया जा रहा है। इस मामले पर विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बीच बातचीत चल रही है। अन्यथा विश्वविद्यालय में शैक्षिक जीवन सामान्य रूप से चल रहा है।

M/J(D)4LSS—10(a)

पता चला है कि मौजूदा अशांति के कारण न तो किसी अध्यापक ने विश्वविद्यालय को छोड़ा है और न ही आनर्स पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के दाखिलों में अथवा शिक्षा परिषद कार्यकारी परिषद एवं विश्वविद्यालय कोर्ट के विधान में कोई अनियमितता बरती गई है।

यह सुझाने के लिए कि विश्वभारती का किन आधारों पर विकास हो सकता है तथा विश्व भारती अधिनियम में संशोधन हेतु मार्गदर्शी रूपरेखाओं को सिफारिश करने के लिये न्यायाधीश एस० ए०मसूद की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति द्वारा शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है। प्राप्त होने पर समिति की सिफारिशों पर समुचित रूप से विचार किया जायेगा।

कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए नये वेतनमानों की क्रियान्वनिति

4651. **श्री समर गुह :**
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री मधु दंडवते :
} **क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति**

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालेज और विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित नये वेतन-मान जिन राज्यों ने लागू कर दिये हैं, उनके बारे में तथ्य क्या है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इस योजना को क्रियानिवत करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण बताये गये हैं :

(घ) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और कालेजों तथा अन्य ऐसी ही संस्थाओं के बीच विद्यमान अन्तर ने शिक्षकों में आन्दोलन को जन्म दिया है, और

(ङ) यदि हां, तो गैर केन्द्रीय कालेजों और विश्वविद्यालयों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) से (ङ) 2 नवम्बर, 1974 को सरकार ने योजना के ब्यौरे राज्य सरकारों को भेज दिए थे तथा उन्हें सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को जनवरी, 1975 से (अथवा लागू करने की तारीख से, यदि वह बाद की हो) 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के लिए लागू करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त खर्चे की 80 प्रतिशत की सीमा तक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। उन्हे सूचित किया गया था कि यदि वे स्थानीय परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वेतनमानों से भिन्न वेतनमान लागू करने का निर्णय लें तब भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी, परन्तु ये वेतमान केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों के वेतनमानों से अधिक नहीं होने चाहिये।

उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालीय तथा कालेज अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों को 1-1-1973 से कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब की सरकारों ने उन्हें सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। केरल सरकार का ऐसे परिषोधित वेतनमान लागू करने का प्रस्ताव है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों से काफी भिन्न है। अन्य राज्य सरकारें इस योजना की वित्तीय तथा अन्य निहितार्थों की जांच कर रही है। किसी भी राज्य सरकार ने इस मंत्रालय के दिनांक 2 नवम्बर, 1974 वाले पत्र में उन्हें सूचित की गई योजना को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता प्रकट नहीं की है।

Special Fund for Rajasthan Canal to meet drought condition

4652. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state whether famine affected Rajasthan has been given special funds for Rajasthan Canal so that the work on the canal could be taken up at a fast speed and if so, the total amount given during the current year of famine and the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): The information is being collected and it will be laid on the Table of the Sabha, as soon as it is recived.

World Hindi University at Wardha

4653. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state whether Government are considering a propsal to set up a World Hindi University at Wardha (Maharashtra)?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Deparment of Culture (Shri D.P. Yadav) : Government have no proposal under their considertion for setting up a World Hindi University. However, Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha, proposes to set up a Vishva Hindi Vidyapeeth at Wardha.

Memo. by F.C.I. Employees; Union, Calcutta

4654. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have received a memorandum dated 17th February, 1975 from the Food Corporation of India Employees Union, Calcutta in February, 1975;

(b) if so the genuine grievances of the employees; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Minister of State in he Ministry of Agirculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) : Government have not received any memorandum from the Food Corporation of India Employees' Union, Calcutta in

February, 1975. However, Government have seen copy of a circular letter dated the 17th February, 1975 addressed by the F.C.I. Workers' Union, Calcutta to all Members of Parliament. The Food Corporation of India have also, in turn, issued a circular letter to all the Members of Parliament on the 26th February, 1975 explaining the correct position with regard to the various points raised in the Worker's Union letter of 17th Feburary, 1975.

Reduction in rates of land Revenue and Irrigation

4655. **Ch. Ram Prakash:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have under consideration any proposal for reducing the rates of land revenue and irrigation being charged from the farmers; and

(b) if so, facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) Land revenue and irrigation rates are fixed by the State Governments.

(b) Question does not arise.

विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना

4656. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों ने प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं और उन्होंने ऐसा कब से किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार , विश्वविद्यालय समझे जाने वाली 3 संस्थाओं सहित निम्नलिखित 77 विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के माध्यम/माध्यमों के रूप में । जुलाई, 1974 की स्थिति के अनुसार एक या अधिक क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे ।

1. आगरा
2. अलीगढ़ मुस्लिम
3. इलाहाबाद
4. आंध्र
5. अन्नामलाई

6. अवधेश प्रताप सिंह
7. बनारस हिन्दू
8. बंगलौर
9. भागलपुर
10. भोपाल
11. बिहार
12. बम्बई
13. वर्दवान
14. कलकत्ता
15. दिल्ली
16. डिब्रूगढ़
17. गोहाटी
18. गढ़वाल
19. जी० वी० पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
20. गोरखपुर
21. गुजरात
22. गुजरात आयुर्वेद
23. गुजरात कृषि
24. गुरु नानक
25. हरियाणा कृषि
26. हिमाचल प्रदेश
27. इन्दिरा कला संगीत
28. इन्दौर
29. जबलपुर
30. यादवपुर
31. जम्मू
32. जवाहरलाल नेहरु कृषि
33. जिवाजी
34. जोधपुर

35. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत
36. कर्नाटक
37. काशी विद्यापीठ
38. कानपुर
39. केरल
40. कुमायूं
41. कुरूक्षेत्र
42. लखनऊ
43. मद्रास
44. मदुरै
45. एम० एस० बड़ौदा विश्वविद्यालय
46. मगध
47. मराठावाड़ा
48. मेरठ
49. मिथिला
50. मैसूर
51. नागपुर
52. उत्तर बंगाल
53. उस्मानिया
54. पंजाब
55. पटना
56. पूना
57. पंजाबी
58. रविन्द्र भारती
59. राजस्थान
60. राजेन्द्र कृषि
61. रांची
62. रवि शंकर
63. सरदार पटेल
64. सागर

65. सौराष्ट्र

66. शिवाजी

67. एस० एन० डी० टी० महिला

68. दक्षिण गुजरात

69. श्री वेंकटेश्वर

70. उदयपुर

71. उत्कल

72. वाराणसेय संस्कृत

73. विक्रम

74. विश्व भारती

*75. गुजरात विद्यापीठ

*76. गुरुकुल कांगड़ी

*77. जामिया मिलिया इस्लामिया

*विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं ।

2. इन विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने के वर्ष के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नवीन पंजीकरण

4658. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का अपने भावी ग्राहकों के लिए नवीन पंजीकरण आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो नया पंजीकरण लगभग किस तारीख से आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नये पंजीकरण आरम्भ करने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्नाटक में "वारालक्ष्मी" रूई का उत्पादन

4659. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चालू वर्ष में 'वारालक्ष्मी' रूई का बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ है,

(ख) यदि हां, तो कुल अनुमानित उत्पादन कितना है; और

(ग) उत्पादकों को रूई के अधिक मूल्य दिलवाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) : 1974–75 के लिये कपास के क्षेत्र तथा उत्पादन के विषय में किस्म-वार आधार पर सरकारी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं। तथापि, कर्नाटक में चालू वर्ष के दौरान 'संकर कपास' 'वारालक्ष्मी' की फसल में अच्छी प्रगति होने की सूचना मिली है। उसकी उपज अच्छी रहने की संभावना है।

(ग) उत्पादकों को कपास के लिये अच्छा मूल्य दिलवाने की दृष्टि से मिलों पर से लम्बे रेशे की रुई के स्टाक रखने की सीमा हटा दी गई है और भारतीय रूई निगम को बाजार से रूई खरीदने के लिये कहा गया है।

भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के कर्मचारियों को संरक्षण

4660. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को छंटनी और पदावनति के समय संरक्षण देने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या उपर्युक्त आदेशों का पालन न करने के बारे में भारतीय खाद्य निगम को कोई अभ्यावेदन दिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदनों के सार क्या हैं और अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के सम्बद्ध कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) से (ग) पदों की संख्या कम करने के मामले में अथवा अन्य कारणों से यदि केन्द्रीय सरकार में छंटनी करनी आवश्यक हो जाती है तो प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न ग्रुपों में वर्गीकृत किया जाता है और उस ग्रुपमें आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को छंटनी के क्रम में उसी ग्रुप में अन्य व्यक्तियों के मुकाबले तब तक तरजीह दी जाती है जब तक कि उनके लिए सीधी भर्ती के कर्मचारियों में विहित प्रतिशतता रहती है । ये अनुदेश उन पूर्णतया अस्थायी नियुक्तियों के लिए लागू नहीं होते हैं जिन्हें भारतीय खाद्य निगम सीजनल काम के लिए करता है ।

निगम ने कुछ स्टाफ की भर्ती की थी जिनमें 1973 के दौरान सीजनल रबी अधिप्राप्ति कार्य के लिए पूर्णतया अस्थायी आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी भी शामिल है। कार्य समाप्त होने के बाद, इन व्यक्तियों, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी भी शामिल है, की सेवाएं खत्म कर दी गई थी। छंटनी से प्रभावित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों ने आरक्षित कोटे के प्रति अपने को रखे जाने के लिए निगम को अभ्यावेदन दिए थे । क्योंकि छंटनी किए गये व्यक्तियों, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति के कर्मचारी भी शामिल हैं, को सीजनल कार्य के लिए बनाई गई पूर्णतया अस्थायी जगहों क प्रति नियुक्त किया गया था इसलिए कार्य समाप्त हो जाने के बाद निगम द्वारा उन्हें रखे जाने प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंत्रालय में श्रेणी एक और दो के पदो पर काम कर रहे अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के अधिकारी ।

4661. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1975 को शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति विभागों में श्रेणी एक और दो के पदों पर अलग-अलग कुल कितने अधिकारी काम कर रहे थे ;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) यदि उक्त पदों पर काम कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो स्थिति सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है, जिसमें उन तीन विभागों से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना दी गई है जिनका नियन्त्रण प्राधिकारी शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय है ।

(ग) मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन पदों पर अनसूचित जातियों तथा अनसूचित जन-जातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टरों को रखा जाता है तथा उसीके अनुसार नियुक्तियां की जाती है ।

	शिक्षा विभाग		संस्कृति विभाग		समाज कल्याण विभाग	
वर्ग	अधिकारियों की कुल संख्या	अ० जाति/ अ० जन जाति/के अधिकारियों की संख्या	अधिकारियों की कुल संख्या	अ० जाति/ अ० जन जाति/के अधिकारियों की संख्या	अधिकारियों की कुल संख्या	अ० जाति/ अ० जन जाति/के अधिकारियों की संख्या
श्रेणी–i	66	5	13	1	13	1
श्रेणी–ii	52	4	10	1	15	कोई नहीं

तमिल नाडु में गैर-सरकारी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

4662. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल नाडू सरकार ने राज्य में गैर-सरकारी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए केन्द्र से अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खांन) :

(क) राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया था कि यदि केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय स्तर पर प्राइवेट चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना संभव नहीं समझती है तो उन्हें अपने राज्य की ऐसी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने की अनुमति दी जाए।

(ख) तमिल नाडू सरकार को सूचित किया गया था कि उनके सुझावों को चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण से संबधित चीनी उद्योग जांच आयोग की सिफारिशों पर निर्णय करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

"अधिक अन्न उपजाओ" अभियान पर व्यय

4663. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान में कुल कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ख) वर्ष 1973 और 1974 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान सरकारी क्षेत्र में सिंचाई बाढ़ नियंत्रण तथा कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र में क्रमश: लगभग 891.4 करोड़ रु० और 898.4 करोड़ रु० की रकम व्यय हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1972–73 के दौरान आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम (जिसे सूखा से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए शुरू किया गया था) के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए मध्यम कालीन ऋण के रूप मे राज्य सरकारों की 148 करोड़ रु० की राशि निमुक्त की गई थी।

(ख) वर्ष 1971–72, 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान महत्वपूर्ण कृषि फसलों उत्पादन के स्तर के विषय में जानकारी निम्न प्रकार है :–

फसल	यूनिट	उत्पादन		
		1971–72	1972–73	1973–74
1. खाद्यान्न	मिलियन टन	105.17	97.03	103.61
2. तिलहन (पांच मुख्य तिलहन)	"	8.75	6.86	8.68
3. गन्ना (गुड़)	"	11.63	12.76	14.05
4. रूई (लिंट)	लाख गांठे	65.6	54.2	58.2
5. जूट	"	56.8	49.8	61.8

1974 75 के लिए ऐसे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

गेहूं पैदा करने का नया तरीका

4664. **श्री श्री किशन मोदी :**
श्री पी० गंगा देव : } क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मन्त्रालय देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिये किन्हीं नये तरीकों के बारे में विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन नये तरीकों द्वारा गेहूं के उत्पादन में अब तक क्या प्रगति हुई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) कृषि जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त किस्मों को अभिज्ञात करने और हाल ही में अभिज्ञात हुई गेहूं कि सर्वश्रेष्ठ किस्मों के सम्बन्ध में किसानों की प्रक्रिया का पता लगाने केउद्देश्य से देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में 1974–75 के रबी के मौसम से गेहूं के मिनी किट कार्यक्रम की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जिला फार्मों और अधिकाधिक किसानों को पैकेज पद्धतियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देते हुए गेहू की नवीनतम किस्मों के कुछ बीज उपलब्ध करना ताकि वे स्वयं निर्णय कर सकें कि विशेष क्षेत्रों में हाल ही में उगाई गई किस्मों की तुलना में गेहूं की नई किस्में कहां तक उपयुक्त सिद्ध हुई हैं। इस प्रकार स्थानीय विस्तार कार्यकर्ताओं तथा किसानों और विशेष कर स्वयं छोटे किसानों के सहयोग से प्रदर्शन तथा प्रचार का उद्देश्य पूरा हो सकेगा और देश में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी।

(ख) यह योजना कार्यान्वित की जा रही है और इसके परिणामों के बारे में अभी अनुमान लगाना कठिन है।

गुजरात में बाजरे के लिए नई फसल प्रणाली

4665. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार से बाजरे के लिय नई फसल प्रणाली अपनाने को कहा गया है

(ख) यदि हां तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस प्रणाली को अपनानें के लिये राज्य सरकार को किस प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभदास पटेल) : (क) और (ख) बाजरा उत्पादक क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे अगेत बुवाई करके रोगी पौधों की छंटनी करने और केवल ताजे और प्रमाणित बीजों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाएं। गुजरात राज्य ने लगभग 80 % क्षेत्र में संकर बाजरे की बुवाई की है। उसके विशेष कर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये दो उपयुक्त संकर किस्में अर्थात् एच० वी० 2 और एच० वी० 3 निर्मुक्त की हैं।

(ग) कोई विशेष सहायता देने का विचार नहीं है।

गुजरात में बेकार पड़ी भूमि को खेती के लिए प्रयोग करने हेतु धनराशि

4666. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में ऐसी बहुत सी भूमि बेकार पड़ी है जिसका प्रयोग खेती के लिये किया जा सकता है ।

(ख) यदि हां, तो क्या धन की कमी के कारण गुजरात सरकार इसे खेती योग्य नहीं बना सकी है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार को बेकार पड़ी भूमि के विकास के लिय पांचवी योजना में धन-राशि आबंटित की गई है ; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) भूमि उपयोग के 1970–71 के लिए उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार गुजरात में लगभग 5,43,000 हैक्टार कृषि योग्य बेकार भूमि है ।

(ख) से (घ) गुजरात सरकार ने पांचवीं योजनावधि में कृषि योग्य बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए 1.90 करोड़ रु० की व्यवस्था की है। गुजरात में पांचवीं योजना के दौरान समतल भूमि के संरक्षण और उबड़-खबड़ क्षेत्रों के स्थिरी करण की केन्द्र प्रयोजित एक मार्गदर्शी परियोजना चल रही है। योजना के अंतर्गत 74 लाख रु० के अंतिम परिव्यय की व्यवस्था की गई है। गुजरात सरकार को 1974–75 के वर्ष के लिए 11.25 लाख रु० की राशि पहले ही निर्युक्त की जा चुकी है ।

भारत सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 7 जिलों (पंचमहलु, कच्छ, जामनगर, राजकोट, अमरेली, बनासंकाथा और सुन्दरनगर) और 3 जिलों (अहमदाबाद, मेहसाना और भावनगर) के 5 निकटस्थ तालुकों के लिए 19 करोड़ रु० की सहायता देने का प्रस्ताव किया है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार भी भारत सरकार के नियतन के बराबर धन देगी । । इस कार्य का एक भाग कृषि योग्य बेकार भूमि पर किया जायेगा ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गुजरात सर्कि के अन्तर्गत बिजलीघर

4668. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गुजरात सर्किल के अन्तर्गत बिजलीघरों की डिवीजनवार संख्या कितनी है ; और

(ख) प्रत्येक बिजलीघर में नियुक्त कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विश्वविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसंधान तथा विकास के लिए निधि

4669. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विकास पर निधि खर्च करने के बारे में शिक्षा मंत्रालय की अनिच्छा को वैज्ञानिकों द्वारा महसूस किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं योजना में विश्वविद्यालयों और प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसंधान और विकास के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे ।

(ग) शिक्षा मंत्रालय द्वारा उसे खर्च करने से मना करने के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विज्ञान शिक्षा वृत्तियों के लिए 7421 लाख रूपये के खच के अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान 28 फरवरी तक अनुसंधान के लिए 73.21 लाख रुपये खर्च किए हैं । भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भी बजट की सीमाओं के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ की हैं । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए धन की व्यवस्था करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा प्रौद्योगिकी संस्थानों अथवा शिक्षा मंत्रालय की किसी प्रकार की अनिच्छा है । शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् इस प्रकार के अनुसंधान कार्य को तथा उसको प्रोत्साहित करने वाले संयोजनों को उच्चतम महत्व देते हैं । इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध धन की वृद्धि करने के लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं तथा संसाधनों के समग्र प्रतिबन्धों के अन्दर अधिकार सम्भावी आबंटन किये जायेंगे ।

महाराष्ट्र में पंढ़रपुर में आयोजित किया गया यज्ञ

4670. **श्री मधु दंडवते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में पढ़रपुर में 21 फरवरी, 1975 से आयोजित किए गए यज्ञ में एक महीने तक काफी मात्रा म खाद्यान्न तथा घी जलाया गया;

(ख) यदि हां, तो इस बरबादी को रोकने के लिए संसद् में तथा बाहर मांग की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि श्री तानपूरे महाराज ने पंढरपुर में 21 फरवरी, 1975 में एक मास की लम्बी अवधि के लिए एक यज्ञ शुरू किया था । उन्होंने यह भी सूचित किया कि

कुछ संगठनों ने आन्दोलन शुरु किया और यह अभ्यावेदन दिया कि सरकार को चाहिये कि वे यज्ञ में खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल को मनाही कर दें । राज्य सरकार ने श्री तानपुरे महाराज से मिलने की व्यवस्था की और वे यज्ञ में खाद्यान्नों की आहुती न देने के लिए मान गये ।

विपक्षी नेताओं के साथ प्रधान मंत्री की बैठकें

4671. **श्री मधु दंडवते :** क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् में विरोधी दलों के नेताओं ने अपनी यह शिकायत व्यक्त की है कि ज्वलन्त समस्याओं पर विपक्षी नेताओं के साथ प्रधान मंत्री की बैठकों को मात्र एक रिवाज सा बना दिया गया है और उनमें केवल पहले ही किये जा चुके निर्णयों की रिपोट दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये जाने से पूर्व विपक्ष के साथ और अधिक अर्थपूर्ण परामर्श करने के लिए कोई तंत्र (मशीनरी) तैयार किया जा रहा है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख) : प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों की विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई पिछली कूछ बैठकों में ऐसी बैठकों को और अधिक नियमित आधार पर करने और बैठकों में चर्चा को और अधिक सप्रयोजन बनाने की आवश्यकता और वांछनीयता पर विचार-विमर्श किया गया है। सरकार ने विपक्षी दलों के नेताओं को सूचित कर दिया है और दोहराना चाहेगी कि सरकार इस संबंध में किसी भी सुझाव पर सहर्ष विचार करेगी :

वर्ष 1974–75 में उड़ीसा को चावल की सप्लाई

4672. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उस राज्य को वर्ष 1974–75 में चावल सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया था और कितनी मात्रा में ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य को वर्ष 1974–75 में कितनी मात्रा में चावल की सप्लाई की गई थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) उड़ीसा चावल के मामले में सामान्यतया अधिशेष राज्य है। तथापि, उड़ीसा सरकार ने सूखे के कारण अक्तूबर, 1974 में 20,000 मीटरी टन चावल आबंटित करने के लिए अनुरोध किया था । केन्द्रीय पूल में चावल की समिति उपलब्धता और केरल तथा पश्चिमी बंगाल जैसे अत्याधिक कमी वाले चावल की खपत वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उड़ीसा को अक्तूबर 1974 में, 5,000 मीटरी टन धान का आबंटन किया गया था ।

राज्य सरकार ने अपने हाल ही के पत्र में सूचित किया है कि उन्हें चालू वर्ष में केन्द्रीय पूल से 3 लाख मीटरी टन चावल की आवश्यकता पड़ेगी और उन्होंने मार्च, 1975 के लिए 25,000 मीटरी टन चावल आबंटित करने के लिए अनुरोध किया है । केन्द्रीय पूल में चावल बहुत कम होने के कारण, उड़ीसा को 1975 के दौरान अब तक कोई चावल आबंटित नहीं किया गया है । तथापि, राज्य के गेहूं के कोटे को जुलाई-अगस्त, 1974 के 8,000 मीटरी टन प्रति मास से बढ़ाकर नवम्बर, 1975 के लिए 23,000 मीटरी टन और जनवरी, फरवरी और मार्च 1975 के लिए प्रति मास 28,000 मीटरी टन कर दिया गया है ।

Demands of Delhi Teachers

4673. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri Varkey George : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether thousands of male and female teachers of the Delhi primary schools staged a demonstration before Parliament on the 26th February 1975;

(b) whether any memorandum enlisting their demands has been given to the Delhi Administration and to Government on their behalf;

(c) if so, the contents threreof; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) According to information received from the Delhi Administration the Joint Council of Delhi Teachers, including teachers of primary school in Delhi took out a procession from Ramlila Grounds to the Boat Club.

(b) Yes, Sir.

(c) In the memorandum submitted by the Joint Council, the teachers had pointed out what they considered were certain anomalies in the report of the Third Pay Commission. These are:—

(a) Increase in disparity in the pay scales of Principals and other categories of teachers;

(b) Prescribing two different pay scales for Primary School Teachers, one for Matric Trained and the other for Higher Secondary Trained;

(c) Reduction in the rate of increment; and

(d) Continuation of the old anomaly in the pay of seniors and juniors for want of proper pay fixation formula.

(d) These demands of the teachers were already examined by the Government, but it has not been possible for the Government to deviate from the recommendations of the Third Pay Commission. However, the Government are looking into some of the points raised by the teachers within the framework of the recommendations of the Third Pay Commission.

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा शोधित तेल तथा मार्गरीन का उत्पादन

4674. **श्री ज्योतिर्मय बसू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) यूनी लीवर, लन्दन की सहायक हिन्दुस्तान लीवर द्वारा 1972 से 1974 तक वर्षवार कुल कितने शोधित तेल, 'बल्क' मागरीन तथा कुंकिंग मार्गरीन' का उत्पादन किया गया ;

(ख) वर्ष 1972 से 1974 तक वर्ष-वार इन तीनों उत्पादों में से प्रत्येक के संबंध में कम्पनी की लाइसेंस प्राप्त तथा अधिष्ठापित क्षमतायें क्या थी ;

(ग) वर्ष 1972 से 1974 के दौरान इन उत्पादों को किन मूल्यों पर बेचा गया ;

(घ) क्या ऊपर निर्दिष्ट उत्पादों पर कोई मूल्य नियंत्रण है और यदि हां, तो किस प्रकार का ;

(ड़) क्या यह आरोप लगाया गया है कि हिन्दुस्तान लीवर ने वनस्पति का उत्पादन न करके बड़े पैमाने पर शोधित तेल, 'बल्क' मार्गरिी तथा कुंकिग मार्गरीन का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है क्योंकि इस पद्धति से 2500/– रूपये प्रतिमीटरी टन मार्गरिन प्राप्त होता है ;

(च) क्या यह आरोप भी लगाया गया है कि कम्पनी इस समय गाजियाबाद, तिचि, आयनगर आदि में स्थित अपने कारखानों में वनस्पति का उत्पादन नहीं कर रही हैं ; और, नेक कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजा जा चुका है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) फर्म का परिष्कृत तेल और विभिन्न प्रकार के मार्गरीन का उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

	(मीटरी टन में)		
	1972	1973	1974
परिषकृत तेल मार्गरीन	2,619	1,712	425
(1) मक्खन	104	91	50
(2) पकाने के लिए तेल	0	0	1092
(3) बेकरी	443	1,066	2,428

(ख) ये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के उत्पाद नहीं है और इसलिए किसी अलग क्षमता के लिए लाइसेंस नहीं दिए गए है । क्योंकि वनस्पति के निर्माण के लिए स्थापित मशीनरी का परिष्कृत तेल और मार्गरीन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले हाइड्रोजनेटेड तेल के निर्माण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है । इसलिए इन उत्पादों के निर्माण के लिए फर्म की क्षमता का अलग से अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है ।

(ग) विभिन्न उत्पादों के निकासी मूल्य नीचे दिए जातें हैं :—

डिब्बे का वजन	(किलोग्राम)	1972	1973	1974
		रु०—पैक	रु०—पैक	रु०—पैक
परिष्कृत तेल	15	68.00 से 85.86	112.00 से 155.00	142.00 से 180.00
मारगरीन				
(1) मक्खन	1	8.56 से 9.60	9.60 से 13.60	13.60 से 14.60
(2) पकाने के लिए	1	—	—	10.25 से 12.50
(3) बेकारी	15	86.00 से 112.00	112.00 से 170.00	160.00 से 190.00

(घ) जी नहीं ।

(ङ) यह फर्म वनस्पति के उत्पादन के साथ परिष्कृत तेल का हमेशा निर्माण करती रही है ।

(च) और (छ) हाल ही के महीनों में इस संबंध में कुछ आरोप लगाए गए हैं । वास्तविक स्थिति यह है कि गाजियाबाद का संयंत्र लगभग पूरी क्षमता से अब कार्य कर रहा है यद्यपि इसमें मजदूरों की संख्या में कुछ कमी की गई है । त्रिचि संयंत्र को बेचने की कार्यवाही की जा रही है । शामनगर और बम्बई के अन्य दो संयंत्र हाइड्रोजनेटिंग तेल के लिए अपनी क्षमता के कुछ भाग का उपयोग कर रहे हैं यह तेल फर्म साबुन के निर्माण में प्रयोग करती है ।

दिल्ली में गृह-निर्माण गतिविधियों को नियमित करने के लिए विधान

4675. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह निर्माण गतिविधियों को नियमित करने के लिए एक विधान अधिनियमित करने का अथवा दिल्ली प्रशासन को एक विधान अधिनियमित करने के लिए कहने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं । गृह निर्माण गतिविधियों को नियमित करने के लिए नया कानून बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में अध्यापकों की मांगे

4676, **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के अध्यापकों की मांगों को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के अध्यापकों की कितनी मांगों को अब तक स्वीकार किया गया है, तथा कितनी मांगों को अस्वीकार किया गया है ;

(ग) क्या उनके वेतन को केन्द्रीय अध्यापकों के समान कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री एस० नुरूल हसन) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसुचनाएं और विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी 1974 की उदघोषणा के खंड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 323 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण भर्ती) (तीसरा संशोधन) नियम, 1973 1973, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1973 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी०/167/पी आर आर/1072/9297/73–टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) (चौथा संशोधन) नियम, जो दिनांक 16 अक्तूबर 1973 के गुजरात सरकार राजपत्रमें अधिसूचना संख्या के पी० /209/पी आर आर/1072/9296/73/टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(तीन) गुजरात पंचायत सेवा (वर्गीकरण और भर्ती) (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 , जो दिनांक 14 मार्च, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी०/56–74/पी आर आर/1071/1479/टी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया : **देखिए** संख्या एल० टी० –9273/75) ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पंचायतों सम्बन्धी विभिन्न अधिसूचनाओं को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ? गुजरात में ताल्लुक और जिला पंचायत चुनाव काफी समय से नहीं हुए हैं और हमें बताया गया है कि चुनाव कराने में अभी 7 महीनें और लगेंग । हमें बताया जा रहा है कि हिन्दी संस्करण उपलब्ध नहीं है । गत सप्ताह आपने बताया था कि मामला नियम समिति को सौंपा जायेगा । मैं नियम समिति के निर्णय के बारे में जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नियम समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा। नियम समिति ने सिफारिश की है कि एक समिति नियुक्त की जाये जिसे विलम्ब और हिन्दी संस्करण उपलब्ध कराने सम्बन्धी सभी प्रश्न सौंपे जायें।

वर्ष 1973–74 के लिए माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शह नवाज खाँ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1856 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) मोर्डन बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मोर्डन बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 9274/75)

नाविक भविष्य निधि स्कीम, 1966 के बारे में वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सच० एम० त्रिवेदी): मैं नाविक भविष्य निधि, स्कीम, 1966 के कार्यकरण सम्बन्धी वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 9275/75)

कम्पनी अधिनियम, 1956 के बारे में वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत वर्ष 1973–74 के लिए उक्त अधिनियम के कार्यकरण तथा प्रशासन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 9276/75)

नागालैण्ड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा और राष्ट्रपति को भेजी गई नागालैण्ड के राज्यपाल की रिपोर्ट

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अंतर्गत नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गयी दिनांक 22 मार्च, 1975 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यां सा० सां० नि० 157(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण में राष्ट्रपति के दिनांक 22 मार्च, 1975 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 158 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) नागालैण्ड के राज्यपाल के राष्ट्रपति के नाम दिनांक 20 मार्च, 1975 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** सख्या एल० टी० 9277/75)।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : प्रश्न यह है कि उद्घोषणा सही रूप में नहीं है परन्तु जिस ढंग से इसे अब जारी की गई है वह अवैध है और संविधान के उपबन्धों के विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा की ओर मेरी यह व्यवस्था है कि जब सभा पटल पर पत्र रख जा रहे हों तो वैधता के प्रश्न नहीं उठाने चाहियें।

श्री सेझियान : चर्चा राजनीतिक निर्णय पर होगी कि क्या सरकार ने सही निर्णय लिया है या नहीं। निर्णय लेने के बाद उन्होंने उद्घोषणा जारी की है। मेरा कहना है कि इसका स्वरूप सही नहीं है। यह असंवैधानिक है।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखते समय उनकी संवैधानिक वैधता के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। चर्चा के दौरान आप अपने प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं एक बात पर आपका निर्णय चाहता हूं। चर्चा का राजनीतिक पहलू एक बात है और उद्घोषणा की वैधता की दूसरी बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं राजनीतिक पहलू में नहीं गया हूं। मैंने कहा है कि सभा पटल पर पत्र रखते समय उसकी वैधता का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम इसी नियम का पालन करते आ रहे हैं। चर्चा के दौरान आप इन सब बातों को उठा सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमण्ड हार्बर) : यदि सरकार कोई असंवैधानिक कार्य करती है तो हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान की मर्यादा रखें। सभा में कोई भी असंवैधानिक बात कभी भी नहीं होने दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा नही होने दे रहे। इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है। वह सभा पटल पर केवल पत्र रख रहे हैं। केवल सभा पटल पर पत्र रखने से उनकी वैधता का प्रश्न नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह आपके अधिकारों के अन्तर्गत आता है। आपने मंत्री को सभा पटल पर पत्र रखने की अनुमति दी है और यह अनुपूरक कार्य सूची में मद संख्या 5 क है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी तसल्ली की है कि यह कार्यवाही सही है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तथ्य सही है अथवा नहीं यह पता लगाना मेरा कार्य नहीं है। सभा इस पर चर्चा कर सकती है। सभी उद्घोषणाएं सभा पटल पर रखी जाती हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह अध्यक्ष और सरकार के पार्ट पर गलत बात है । आपको इस बारे में अपनी तसल्ली करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बात की तसल्ली की है वह एक उद्घोषणा सभा पटल पर रख रहे हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : जहां तक विधेयकों का सम्बन्ध है, हमारे पास एक विशिष्ट नियम है कि संवैधानिक वैधता का प्रश्न पुरःस्थापित करते समय उठाया जा सकता है । इसी तरह संविधान के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा के बारे में यह प्रश्न कि क्या यह सही ढंग से जारी की गई है, उठाये जाने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के समय यह प्रश्न उठाया जा सकता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस बात के लिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा कि क्या यह वैधता है या नहीं क्योंकि यह असंवैधानिक है । जब हम आपको लिखित रूप में देते हैं कि हम सभा-पटल पर पत्र रखे जाने के दौरान कोई आपत्ति उठाना चाहते हैं तो हमें अनुमति दी जानी चाहिये । मैं विधायी सक्षमता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं । इस विशेष मामले में हम सभा पटल पर रखे जाने का विरोध करते हैं । हमने 10 बजे से पहले आपको लिखकर दिया था ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–नार्थ–ईस्ट) : आपने कहा है कि उद्घोषणा पर चर्चा की जायेगी और माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा । अतः मैं सभा से अपील करूंगा कि हमें इस बारे में ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : महा सचिव ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 20 मार्च, 1975 को अपनी बैठक में न्यास विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 से, जो लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 1975 को अपनी बैठक में पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है"।

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझ एतत्द्वारा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975 को, जो लोक सभा द्वारा 14 मार्च, 1975 की अपनी बैठक में पास किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस करने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे एतत्द्वारा विनियोग (रेल) विधेयक, 1975 को, जो रोक सभा द्वारा 19 मार्च, 1975 को अपनी बैठक में पास किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस करने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफाशिश नहीं करनी है ।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अधीन नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मूझे एतत्द्वारा विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1975 को, जो लोक सभा द्वारा 19 मार्च, 1975 की अपनी बैठक में पास किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस करने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे एतत्द्वारा विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1975 को, जो लोक सभा द्वारा 19 मार्च, 1975 की अपनी बैठक में पास किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस करने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

53वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायतशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

नियम समिति

RULES COMMITEE

50वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री सेझियान : (कुम्भकोणम) नियम समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता :--

(एक) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत 50वां प्रतिवेदन ; और

(दो) 17 मार्च 1977 को इस समिति की बैठक के कार्यवाही-सारांश

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

139वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं वाणिज्य मंत्रालय (काफी बोर्ड) के सम्बन्ध में 130वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी लोक लेखा समिति का 139वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस पर क्या कार्यवाही की गई है ? हमने इस रिपोर्ट के बारे में पहले भी कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह बात स्पष्ट की है कि ऐसे मामलों में रिपोर्ट सरकार के पास कार्यवाही हेतु जाती है। उसके बाद सरकार के विचार अथवा प्रतिक्रिया पहले समिति के पास जाती है और उस समय इस सभा में कोई उल्लेख नहीं किया जाता।

गेहूं की वसूली और मूल्य नीति संबंधी वक्तव्य

STATEMENT RE. PROCUREMENTS AND PRICING POLICY OF WHEAT

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी०शिन्दे) : समूची आर्थिक स्थिति और गेहूं की फसल के आशाजनक होने की सम्भावनाओं के संदर्भ में, 1975–76 विपणन मौसम के लिए गेहूं की मूल्य नीति पर कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन तथा संसद की सलाहकार समिति की बैठक में विचार किया गया था।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय किया गया है कि आयोग की इस सिफारिश को मान लिया जाये कि सभी किस्मों के गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य को 105 रुपये प्रति क्विंटल पर कायम रखा जाए। केन्द्रीय पूल के लिए अधिकतम अधिप्राप्ति करने की नीति के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक उर्पयुक्त बोनस स्कीम शुरू की जाएगी। सरकारी वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से निर्मुक्त किए जाने वाले स्टाक के गेहूं की निर्गम मूल्य वर्तमान स्तर पर अपरिवर्तित रूप में बने रहेंगे। अधिकतम अधिप्राप्ति करने के हित में प्रत्येक राज्य को अलग जोन मानकर गेहूं के अन्तर्राज्यीय संचलन पर लगे प्रतिबन्ध लागू रहेंगे और केन्द्रीय सरकार के खाते के अलावा गेहूं को राज्य से बाहर ले जाने की कोई इजाजत नहीं होगी। बिनियमित मंडियों और/अथवा लेवी के माध्यम से खरीदारी करने जैसे अधिप्राप्ति के तरीके के बारे में राज्य सरकारें निर्णय लेंगी। राज्य के अन्दर गेहूं के विपणन का कार्य राज्य सरकारों द्वारा यथा आवश्यक उपयुक्त प्रशासनिक/सांविधिक उपाय कर विनियमित किया जाएगा।

3. यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारों द्वारा इस नीति को दृढ़ता से कार्यान्वित करने से न केवल आयोग द्वारा अभिस्तावित अधिप्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव होगा बल्कि इससे कुल मिलाकर खाद्य अर्थ व्यवस्था में भी सुधार होगा।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री बनमाली पटनायक द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री बनमाली पटनायक द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

भविष्य निधि संशोधन विधेयक

PROVIDENT FUND AMENDMENT BILL

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से भविष्य निधि अधिनियम 1925 में और आगे संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री के० रघुरामैया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

त्रिपुरा में सी० पी० आई० (एम०) और सी० आई० टी० यु० नेताओं एवं विधायकों की गिरफतारी

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : साठ व्यक्तियों को जिनमें कम्युनिस्ट दल (मार्क्सवादी) सी० आई० टी० यू० संगठन अध्यापक संगठन सरकारी कर्मचारी संगठन के सदस्य तथा विधायक और त्रिपुरा विधान परिषद् के नेता नपेन चक्रवर्ती भी सम्मिलित हैं को आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार कर नजरबन्द रखा गया ।

यह गिरफ्तारियां उस समय की गई जब राज्य विधान सभा सत्र में थीं तथा उसे भूमि सुधार विधेयक पर महान पराजय का सामना करना पड़ा तथा सरकार को अपदस्त कर दिया गया ।

गृह मंत्री द्वारा संसद को दिये गये आश्वासन कि आंसुका का राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जायेगा, का घोर उल्लंघन है । इस विषय पर सदन में वक्तव्य दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें तुरन्त उत्तर के लिए नहीं कह सकता । नियम 377 के अधीन पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : यह मामला शुक्रवार को भी उठाया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : शुक्रवार को मैंने इसे इस रूप में उठाने की अनुमति नहीं दी थी ।

भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश श्री अजितनाथ राय की हत्या के प्रयास के बारे में

DISCUSSION REGARDING ATTEMPT ON THE LIFE OF SHRI A. N. RAY CHIEF JUSTICE OF SUPREME COURT OF INDIA

अध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अधीन यह प्रस्ताव है । प्रत्येक वक्ता को 7 1/2 मिनट दिये जायेंगे ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सामान्यत: प्रस्तावक को 20 मिनट दिये जाते हैं ।

मुझे विश्वास है कि पूरा सदन मुख्य न्यायधीश के साथ हुई इस वारदात की एक मत से भतर्सना करेंगे और सदन न केवल दिल्ली में अपितु देश के अन्य भागों में इस किस्म की होने वाली हिंसात्मक गधिविधियों तथा आतंकवाद पर चिन्ता व्यक्त करेगा ।

जहां तक इस हमले का सम्भावित कारणों का संबन्ध है या तो न्यायधीश से कोई व्यक्तिगत बदला लेना चाहता था या नए न्यायधीशों के दमन की आलोचना का परिणाम है या वचनबद्ध न्याय-पालिका की आलोचना या हिंसा के वातावरण का नतीजा है।

(व्यवधान)

मैं मुख्य न्यायधीश के विरुद्ध व्यक्तिगत वैर-भाव के सिद्धान्त को मानने को तैयार नहीं हूं। मैं यह सिद्धान्त भी स्वीकार नहीं करता कि श्री राय न्यायधीशों के प्रतिस्थापन या वचनबद्ध न्याय-धीश की आलोचना का शिकार हैं क्योंकि न्यायधीशों का प्रतिस्थापन करने के लिये श्री ए० एन० राय उत्तरदायी नहीं हैं।

जहां देश में बढ़ रही हिंसा की प्रवृत्ति का सम्बन्ध है इस बारे में भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें बंगलादेश और पाकिस्तान की घटनाओं का पूरा ज्ञान है। इन देशों की तुलना में हमारे देश की स्थिति एकदम सामान्य है।

हिंसा की प्रवृत्ति सनक और नैराश्य के वातावरण से विकसित हुई है। कुछ महीने पहले ही श्री जय प्रकाश नारायण हमारे राष्ट्रीय लोक मंच पर आये हैं जो उनके लिए ईश्वर का वरदान हैं। इसने समूचे राष्ट्रीय मंच और सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलन को कोस दिशा दिखाई है। इससे नैराश्य की भावना समाप्त की गई है और भविष्य में नई आशा उद्भूत हुई है।

श्री जय प्रकाश नारायण ने देश में वर्तमान संकट के पीछे मुख्य मामले पर सफलतापूर्वक प्रकाश डाला है। अर्थात यह कहा है कि देश में मूल्य वृद्धि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अनैतिकता व्याप्त है और देश के विकास के लिये चुनाव सुधार तथा सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। श्री जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन को सांस्कृतिक क्रान्ति मानना चाहिए क्योंकि इसने भारत में राजनीतिक क्रांति को न केवल नई दिशा दिखाई है बल्कि बिस्फोटक स्थिति, राजनीतिक संकट तथा अराजकता से देश की रक्षा की है।

सरकार को जयप्रकाश के विरुद्ध प्रत्याक्रमण नहीं करना चाहिए। अपितु इसे तो राजनीतिक अनैतिकता, सामाजिक आर्थिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही उदासीनता तथा ज्यादती अत्यधिक मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्थिति, शिक्षक युवकों में व्याप्त गहन बेरोजगारी, भूमि हीन ग्रामीण लोगों कीचुनाव में भ्रष्ट प्रक्रियाएं अपनाना तथा संसदीय लोकतंत्र के प्रासाद को धासशायी करने हेतु कदाचार करना और सत्ताधारी दल में ही सम्पूर्ण शक्ति प्राप्त करने को विकृत मानोवृत्ति के विरुद्ध प्रत्याक्रमण करना चाहिए।

यदि सत्ताधारी दल ही इसके विरुद्ध प्रत्याक्रमण करना प्रारम्भ करें तभी वे देश में नया वाता-वरण पैदा कर सकते हैं। यदि हिंसा की प्रवृत्ति कहीं पर पनपी वह प्रातकालीन सूर्य को धूप से पूर्व ही कोहरे की तरह विच्छिन्न हो जायेगी।

श्री विनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : भारत के मुख्य न्यायधीश श्री राय की हत्या से प्रत्येक मननशील को चिन्तन मनन करने का अवसर मिलता है। यदि यह अकेली ही घटना होती जैसी कि 6 वर्ष पहले भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला की हत्या का प्रयास का मामला था तो हम यह

संतोष कर लेते कि किसी रुष्ट या क्षुब्ध व्यक्ति ने कार्यवाही की है। लेकिन जिस तरह से यह प्रयास किया गया है, इसके पीछे सुनियोजित योजना है। गहन तालाशी लेने के पश्चात् भी अपराधी पकड़े नहीं जा सके। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा समस्तीपुर की घटनाओं से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह अकेली घटना नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है कि इससे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसे प्राप्त करने में शताब्दियां लगी हैं, कि बुनियादों को नष्ट करने का जानबूझ कर प्रयत्न किया गया है।

इसलिए यह आवश्यक है कि हम मिलकर बैठें और सोचें कि देश कहां जा सकता है। राजनीतिक शक्तियां वातावरण को विषैला बना रही हैं। आज ऐसी स्थिति इस कारण आई है कि क्योंकि जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं वे स्वयं गैर-लोकतांत्रिक उपायों को प्रोत्साहन देते हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है किन्तु यह कानून की सीमाओं के अन्दर ही व्यक्त किया जाना चाहिये। आज यह आम प्रवृत्ति हो गई है कि यदि उचित ढंग से कोई कार्य नहीं होता तो गलत तरीके से वह कार्य करने में कोई बुराई नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि कारखाने, शिक्षा संस्थाओं, सभी जगह हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां तक कि सेना तथा नौसेना को भी कहा जा रहा है कि वे आदेशों का पालन न करें। देश का दुर्भाग्य है कि ये सभी बातें अहिंसा, गांधी जी के तरीकों के नाम पर की जा रहीं हैं। विपक्ष को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि क्या इस स्थिति को इसकी तरह चलने दिया जाये। क्या हम हिंसा को बढ़ावा देकर अपनी संस्कृति को सदैव के लिए समाप्त कर दें। क्या हम हिटलर के इस सिद्धान्त को अपनाएं कि सफलता के लिए निरंतर हिंसा की आवश्यकता है? अतः मेरा सभी सदस्यों तथा सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि वे एक होकर इन शक्तियों का दमन करें। हमें और भी निराशा होती है जब गैर-जिम्मेदारी की बात की जाये। उदाहरणार्थ 21 मार्च, 1975 को "मदरलैन्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है कि यह सब एक नाटक था। राजधानी में इस घटना पर लोगों को बहुत धक्का पहुंचा। घटना की परिस्थितियों पर आश्चर्य होता है। जब श्री रे की कार हरी रोशनी के लिए चौराहे पर प्रतीक्षा कर रही थी तो किसी ने उसके अन्दर दो हथगोले फेंक दिये। अब प्रश्न उठता है कि उस चौराहे पर तैनात पुलिस उस समय कहां थी। कार में चार आदमी थे। उन्होंने उस व्यक्ति का पीछा क्यों नहीं किया। आरोप यह लगाया गया है कि यह सब सुनियोजित ढंग से किया गया है। मुझे पता नहीं कि मदरलैन्ड किस दल का समाचार पत्र है किन्तु जो दल या व्यक्ति यह चाहता है कि देश में हिंसा को न पनपने दिया जाये, वह इस तरह के समाचार को प्रोत्साहन नहीं देगा। क्योंकि इस तरह के समाचार ऐसे लोगों को इस तरह के हिंसात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

मैं श्री समर गुह की इस बात से सहमत हूं कि काफी हद तक यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पता करे कि आज युवा वर्ग में असंतोष क्यों है और हम उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कर सकते हैं। उनके इस प्रकार के दृष्टिकोण में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। गृह मंत्री को पता करना चाहिए कि ये हथियार आते कहां से हैं। ये सेना के शस्त्र होते हैं। 22 मार्च को समाचार प्रकाशित हुआ है कि जिसमें कहा गया है कि रक्षा प्राधिकारियों को हथगोले जैसे हथियारों को सिविल लोगों के हाथों में जाने से रोकने के लिये कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए।

हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम हिंसा को बढ़ने से रोकें और देश में अनुशासन तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखें ।

श्री ज्योतिर्मय बसू (डायमंड हार्बर) : सौभाग्य की बात है कि मुख्य न्यायाधीश इस घटन में सकुशल बच गये । मुझे यही आशंका है कि यह एक सुनियोजित योजना थी और अनावश्यक थी, गरीब कांस्टेबिल को निलंबित किया गया । दिन दहाड़े हवाई चप्पल पहने कोई व्यक्ति दो हथगोल कार में डाल दे, यह सब रहस्यपूर्ण है । यह सब मुझे नितांत असम्भव लगता है । हमें बताया गया है कि उस व्यक्ति का पूरी तरह पीछा किया गया । परिणाम क्या निकला ? कुछ भी नहीं । हथगोला फेंकने वाला स्वयं ही नहीं बच सकता क्योंकि हथगोले से 25 गज तक मार होती है ।

ये सेना के हथगोले थे । हमारे आयुध कारखानों में आधुनिक मशीनें हैं । (व्यवधान) इसकी जांच के लिए कुत्तों की सहायता भी ली गई किन्तु वे भी मंडी हाउस तक गए और वापस आ गए ।

यह एकमात्र मामला नहीं है । इस तरह के कई मामले हुए हैं । इलाहाबाद में यह प्रचार किया गया कि प्रधान मंत्री के मारने के लिए एक नियोजित योजना बनाई गई थी । प्रधान मंत्री की सुरक्षा पर कितना व्यय होता है ? दिल्ली में उनकी सुरक्षा पर प्रति दिन 3,500 रुपये व्यय आता है । जब वह बाहर जाती हैं तो यह व्यय कई गुना बढ़ जाता है ।

मैं, श्री मधु दण्डवते तथा श्री पीलू मोदी वहां गए । जानते हैं आप हमारे साथ क्या हुआ ? पहले हमें--------(व्यवधान) । मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक पर्यवेक्षक के रूप में गया । पहले गेट पर ही मेरी तलाशी ली गई ।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य न्यायधीश से सम्बन्धित घटना के बारे में है । आप इस चर्चा में अन्य मामलों को मत उठाइये ।

श्री ज्योतिर्मय बसू : वहां से गुजरने के बाद मुझे धातु का पता लगाने वाले यंत्र से गुजरना पड़ा । तब जाकर मैं न्यायलय कक्ष में पहुंचा । अब आप मुझे बताइये कि श्री गोबिन्द मिश्र वहां कैसे पहुंच सकते थे ।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला जांच अधीन है । इसके बारे में विस्तृत चर्चा मत कीजिए । यहां चर्चा मुख्य न्यायधीश से सम्बन्धित घटना के बारे में हो रही है और आप श्री गोविन्द मिश्र की बात कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसू : समस्तीपुर के मामले का क्या हुआ ? मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता

अध्यक्ष महोदय : उस पर सभा में चर्चा हो चुकी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसू : 2 फरवरी और आज 24 मार्च के बीच क्या-क्या हो गया है ? 2 फरवरी को श्री ललित नारायण मिश्र को मृत्यु का शिकार बनाया गया और आज मुख्य न्यायधीश की हत्या का प्रयास किया गया । प्रत्येक सप्ताह हम गृह मंत्री से सुनते हैं कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जा रहा है । किन्तु होता भी कुछ भी नहीं है और न ही कुछ होगा ।

अब हेमन्त बसु की हत्या के प्रसिद्ध मामले की बात करें । 1971 में लोक सभा तथा पश्चिम बंगाल विधान सभा के चुनावों के दौरान दिन दहाड़े श्री हेमन्त बसु की हत्या की गई और श्री सिद्धार्थ शंकर रे ने कम्मयुनिस्ट (मार्क्सवादी) दल पर आरोप लगाया कि उनकी हत्या इस दल ने की है । यह इस दल को बदनाम करने की साजिश थी ताकि इसे चुनावों मे सफलता न मिले । उस घटना को पांच वर्ष हो गए किन्तु अभी तक कोई-निष्कर्ष नहीं निकला है । वास्तविक हत्यारे सत्तारूढ़ दल के हैं, जो कि इस समय विदेशों में हैं और सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती । इसी प्रकार की गई अन्य घटनाएं भी हुई हैं । ये सब घटनाएं चुनावों आरम्भ होने से पूर्व की जाती हैं ताकि चुनावों में अन्य दलों को बदनाम किया जा सके । अब चूंकि 1976 में चुनाव होने वाले हैं अतः इस तरह की घटनाएं पुनः आरम्भ हो गई हैं ।

भारत के अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध ने 1969 तक सी० आई० ए० से प्रशिक्षण प्राप्त किया है । इन लोगों ने अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए पुलिस संख्या में वृद्धि की है और बजट में धन में भी वृद्धि की है । विदेश मंत्रालय के अनुसंधान तथा विश्लेषण विभाग म 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि की गई है । इन लोगों को अपने अस्तित्व का औचित्य तो सिद्ध करना ही है ।

सरकार नागालैण्ड की यू० डी० एफ० सरकार से छुटकारा पाना चाहती है और इसलिए वहां प्रचार तेज करना पड़ा, क्योंकि वहां से लोग सैनिक प्रशिक्षण के लिए बे-रोक-टोक चीन जा रहे थे । वे परोक्ष रूप में यू० डी० एफ० सरकार पर आरोप भी लगाते हैं । सरकार सीमित शक्तियां प्राप्त करना चाहती है और आपात्तकालीन स्थिति तथा आंसुका को चालू रखना चाहती है । यह प्रवृत्ति नजरअन्दाज नहीं की जा सकती ।

श्री वयालार रवि (चिरींमकोल) : दो महीने पहले जब सी० बी० आई० के एक अधिकारी श्री रामनाथन की ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी तो श्री बसु ने कई बातें कहीं थीं जो बाद में झूठ सिद्ध हुईं ।

दुर्भाग्य की बात है कि देश में हिंसा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । हिंसा की राजनीति तेजी से बढ़ रही है । बड़े अधिकारी और महत्वपूर्ण व्यक्ति इसकी निन्दा तक करने को तैयार नहीं है अपितु इसका दार्शनिक और सैद्धांतिक स्पष्टीकरण देते हैं । यह सबसे बड़ा खतरा है । मेरा ख्याल है कि कोई भी अहिंसा को नहीं चाहता ।

दुर्भाग्य की बात है कि कुछ सदस्य इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं । उनका कहना है कि यह सब कुछ सरकार करवाती है । इसीलिए तो प्रधान मंत्री ने कहा कि यदि मैं मर जाऊं तो ये लोग कहेंगे कि उसीने यह षड़यन्त्र रचा था ।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा देना चाहता है ?

श्री बसु ने आरोप लगाया कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा पर प्रतिदिन 3,500 रुपये व्यय हो हैं। अब यदि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती तो भी आरोप लगाया जाता है और यदि सुरक्षा प्रदान की जाती है तो उसकी भी आलोचना की जाती है।

20 तारीख को मदरलैंड में कहा गया कि कई वर्षों से तिलक मार्ग पर उस समय यातायात रोक दिया जाता था जब मुख्य न्यायधीश उच्चतम न्यायालय से बाहर निकलते थे या उसमें प्रवेश करते थे। मुख्य न्यायधीश श्री सुब्बा राव ने यह प्रथा समाप्त कर दी थी।

फिर समाचार पत्र ने आरोप लगाया कि श्री रे ने वह प्रथा पुनः चालू कर दी।

घटना के दूसरे दिन उन्होंने यह समाचार प्रकाशित किया कि यह संभव है कि यह षड़यंत्र प्राधिकारियों ने नियोजित किया हो।

यह तो निर्विवाद है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। इस सदन में भी लोग दो तीन बार बम, पिस्तोलें, आदि लेकर दीर्घा के अन्दर आ गए थे। दुर्भाग्य की बात है कि हिंसा की राजनीति बढ़ती जा रही है। हम सबको मिलकर इस प्रवृत्ति की निन्दा करनी चाहिए। कहा गया है कि इस का कारण लोगों में निराशा और असंतोष है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

Mr. Deputy Speaker in the Chair

श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या के सम्बन्ध में मदरलैण्ड ने लिखा कि श्री मिश्र सरकार की पोल खोल सकते थे और इसलिए उसे समाप्त करना सरकार के लिए उचित था। मदरलैण्ड में इस तरह का समाचार छपा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप भी और हम भी इसकी आलोचना करते हैं किन्तु श्री हंस राज गुप्ता को पदमभूषण प्रधान मंत्री ने ही दिया।

श्री वयालार रवि : वह गलत निर्णय था (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मदरलैण्ड को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं।

श्री वयालार रवि : क्योंकि यह देश में हिन्दू साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देता है और हिंसा की निन्दा नहीं करता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप तो तिल का पहाड़ बना रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री वयालार रवि : मै किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मेरा कहना तो यह है कि हिंसा की निन्दा करने की बजाय ऊटपटांग तर्क दे कर उसका समर्थन किया जाता है। हिंसा को रोका जाना चाहिए। सभी सदस्यों को हिंसा की निन्दा करनी चाहिए और उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

श्री समर गुह द्वारा कही गई बातों में मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जयप्रकाश नारायण ने द्रुमुक जैसे राजनीतिक दल से साथ जोड़ा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है चाहे वह किसी भी दल से मिलें।

मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि इस घटना को राजनीतिक रूप देने की बजाये इसकी निन्दा करने का प्रयास किया जाना चाहिये जिससे कि हिंसा की राजनीति बन्द हो जाये और महात्मा गांधी का यह देश इस दिशा में न जाये।

श्री सेझियान कुम्बकोणम : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य महोदय को अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करन का पूरा अधिकार है परन्तु उन्हें तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध इस सदन में आरोप लगाने का अधिकार नहीं है क्योंकि तमिलनाडु सरकार यहां अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सकती। ऐसे मामले तमिलनाडु विधान सभा में उठाये जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यही कहूंगा कि माननीय सदस्य श्री वयालार रवि ने जो कुछ कहा है वह उपयुक्त नहीं है। उनका आरोप चर्चा के विषय से सम्बद्ध नहीं है। अतः उसके बारे में क्या व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है। हमें अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय सभी प्रकार के राजनीतिक मामले एक साथ नहीं जोड़ देने चाहिये। चर्चा के विषय से असम्बद्ध बातें हमें नहीं उठानी चाहिये।

श्री वयालार रवि : मैंने द्रविड़ मुनैत्र कड़गम नामक राजनीतिक दल के सम्बन्ध में कहा था। क्या आपके विनिर्णय से हम यह मान ले कि इस सदन में किसी राज्य सरकार से सम्बद्ध विषय नहीं उठाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने एसा नहीं कहा। मैंने तो यह कहा है कि चर्चा के विषय से असम्बद्ध विषय यहां मत उठाये जायें।

श्री वयालार रवि : मैं केवल विरोधी दलों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें मामले को केवल राजनोतिक रंग देने की अपेक्षा, देश की राजनीति में घुसती आ रही हिंसा को रोकना चाहिये।

श्री भोगेन्द्र झा (जामनगर) : आज सभी लोग इस बात से भली भांति अवगत है कि आज हमारी सरकार जिस पूंजीवादी मार्ग का अनुसरण कर रही है उससे बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, मूल्यों में वृद्धि हो रही है तथा इसके साथ-साथ युवकों में निराशा की भावना घर करती जा रही है। इन आधारभूत बातों के फलस्वरूप बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष फैलता जा रहा है लोगों में एक सनक सी उत्पन्न होती जा रही है। इस पूंजीवादी शोषण को रोकने, अर्धसामन्ती तत्वों की कार्य-वाहियों को रोकने आदि के लिए आज लोग कुछ करने को उत्सुक लग रहे हैं क्योंकि उन्हें यह मालूम हो गया है कि सरकार इससे उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ रही है।

हम किसी प्रकार की व्यक्तिगत या राजनीतिक हत्या का विरोध करते हैं। अगर हम पूंजीपतियों के विरुद्ध हुई क्रांतियों या उनके विरुद्ध की गई बड़ी बड़ी कार्यवाहियों को देखें तो हमें पता चलती है कि विश्व साम्यवादी आन्दोलन के लम्बे इतिहास में कोई इस प्रकार की हत्या नहीं हुई है। राजनीतिक हत्याएं करना साम्यवादी या समाजवादी आन्दोलन के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। विश्व में जब कभी भी इस प्रकार की राजनितिक हत्यायें हुई उनके पीछे ऐसी ही शक्तियों का हाथ रहा जो पूंजीवाद या साम्राज्यवाद का समर्थन करती रही ? आज हमारे देश में भी हत्याओं के जो प्रयास किये जा रहे हैं वह किसी सन्दर्भ विशेष में ही किये जा रहे हैं। आज हमारे यहां सत्ताधारी दल लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने में असफल रहा है, लोगों में असंतोष है परन्तु ऐसा होने पर भी हत्या का क्या औचित्य हो सकता है ? यदि हमारे देश में यह सब इसी प्रकार चलता रहा हो एक समय ऐसा आ जायेगा जब कोई यहां अपने आप को सुरक्षित नहीं कह पायेगा।

मेरे मित्र ने सी० आई० ए० की गतिविधियों का उल्लेख भी किया है। समस्तीपुर दुर्घटना में अन्तग्रस्त अपराधी का अभी कुछ पता नहीं चला है। इसी प्रकार प्रेसीडेंट कैनेडी के हत्यारों का पता नहीं चला है। हमारे देश में सी० आई० ए० के सक्रिय होने के फलस्वरूप ही यह सब कुछ चल रहा है चाहे यह इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली दुर्घटना हो या बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० श्रीमाली पर हुआ आक्रमण।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सम्पूर्ण देश की हिंसात्मक घटनाओं की बात करते जा रहे हो जबकि हमारा विषय काफी सीमित सा है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं इसी विषय पर आ रहा हूं। 19 मार्च, को इलाहाबाद में हुई दुर्घटना के पश्चात् दैनिक 'मदर लैण्ड" ने कहा है कि सम्भवत: प्रधान मंत्री मुकदमा हार जायें तो फिर वह उच्चतम न्यायालय की सहायता से प्रधान मंत्री बनी रहेंगी। यह बात सभी जानते हैं कि श्री राय को किस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था। हमारे देश में जिस प्रकार से हत्यायें हो रही हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि कुछ शक्तियां देश में राजनीतिक हिंसा का वाता वरण तैयार करने में लगी हुई हैं। इसी बात की पुष्टि 21 मार्च के "मदर लैंड" में छापे इस समाचार से भी होती है जिसमें कहा गया है कि राजधानी में ऐसी रहस्यमयी घटनाओं की आड़ में देश में तानाशाही स्थापित करने के प्रयास भी देखे गये हैं। अत: आज समय आ गया है जबकि हमें इन सभी बातों पर पूर्ण गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। हमें यह पता लगाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसा वातावरण तैयार करने के पीछे कौन सी शक्तियां सक्रिय हैं। आज हमारे देश की सम्पूर्ण व्यवस्था को अस्थिर करने में सी० आई० ए० तथा उसके एजेंट लगे हुये हैं। इस ओर हमें तुरन्त अपेक्षित ध्यान देना चाहिये। इसी प्रकार हमारे कुछ मित्र देश में फासिस्ट शासन लाने के लिए भी प्रयत्न शील लग रहे हैं परन्तु मैं इन लोगों को यह स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत के लोग तथा भारत की परम्परायें कभी इसके अनुरूप नहीं रही है तथा देश की जनता एसे प्रयास का डट कर मुकाबला करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे एक स्लिप भेजी है जिसमें कहा गया है कि सदन के स्थगित होने से पूर्व कुछ आवश्यक कार्य किया जाना है। नागालैंड का प्रश्न भी आ खड़ा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री कहां है ? केवल स्लिप भेजने से तो काम नहीं चलता। उन्हें मेरे साथ

विचार विमर्श में भागीदार होना चाहिये । सदस्य महोदय यदि सहयोग दें तो प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दिया जा सकता है यद्यपि मैं यह भली प्रकार समझता हूं कि यह समय काफी कम रहेगा ।

श्री के० रघुरामया : मेरा सुझाव है कि यह चर्चा हमें 3 बजे समाप्त करने की अपेक्षा चार बजे तक समाप्त कर लेनी चाहिये ऐसा करने से दोनों ओर के सदस्यों को अपेक्षित समल मिल जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय देने का प्रयास करना चाहिये यदि कांग्रेस दल के सदस्य सहयोग करेंगे तो मेरा काम काफी आसान हो जायेगा ।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : There is an atmosphere of violence in the country today. All the opposition parties in the country are joining hands to dislodge the present Government and they have resorted to the methods of violence. These parties want to come to the fore-front under the pretext of the movement initiated by Shri Jaya Prakash Narain who had no principles. If J.P. formed an party as such, we are ready to face him. But the fact of the situation is that he is simply creating conditions of lawlessness and anarchy in the country by making vicious propaganda against the ruling party, with the help of foreign money. Why Shri Jai Prakash Narayan and other leaders of such parties as encourage violence should not be arrested and put behind the bars? The Home Minister should not bear with such incidents of assault on the Chief Justice of India, and should take measures to crush down those forces which indulged in violence.

Shri R.R. Sharma (Banda): The lawlessness, hooliganism and violence s prevailing in the country for the last four years. The assault on Shri A .N. Ray on the 20th March, 1975 is an in ident in the series of political murders in the country. The comments made by the daily 'Motherland' on that incident are meaningless. A few days back, there were press of reports quoting an M.P. saying that country needs a limited dictatorship at this juncture. This clearly shows the direction to which our ruling party leaders are taking the country. There have been many political murders in the past but the culprits have not been traced. May I know if it was not the duty of the Government to create such an atmosphere in the country in which such culprits should fail to get any refuge in the country? Is it not correct that some of these murders took place at the instance of our rulers who gave them political asylum so that rulers could have their own way? I want to know that why the culprit who assaulted Shri A.N. Ray could not be apprehended even after four days? It is a very serious development. It appears that the entire conspiracy was a pre-planned one.

All these developments make it evident that everything is being done in order to perpetuate one party rule in the country to abolish democratic system and to bring in dictatorship in the country. It appears to be a most despicable

conspiracy being hatched by the Prime Minister with the collaboration of C.B.I. and the foreign agency like K.G.B. My submission is that what ever may be the political atmosphere in the country, the culprits in this case must be apprehended at the earliest so as to allay the feelings of fear and concern among our countrymen.

श्री पी० बेंकटासूब्बैया (नन्दयाल) : न्याय-पालिका के प्रमुख व्यक्ति पर हमला बड़ी ही गंभीर बात है। और प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी दल का हो, उन शक्तियों का पता लगाने में मदद करनी चाहिये जो हिंसात्मक तरीकों को बढ़ावा दे रहे हैं। लगता है कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार की घटनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और कीचड़ उछालने तथा चरित्र हनन करने में लगे हुए हैं। यदि हम चाहते हैं कि देश में संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ हो और देश में व्यवस्था और शान्ति हो तो हमें अपने राजनीतिक भेदभाव भूलकर व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के संबंध में सरकार को क्रियात्मक सुझाव देने चाहिये। यह कहना कि इस हिंसा और व्यक्तियों पर हमले के लिये सरकार जिम्मेदार है एक शरारतपूर्ण बात है और राजनीतिक प्रचार है। यह घटना और इलाहाबाद की घटना इस बात का द्योतक है कि इस देश में कुछ लोग अराजकता और आतंक फैलाना चाहते हैं और इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त करके अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार को ऐसे लोगों से सावधान रहकर ऐसे प्रयत्न करने चाहिये जिससे लोगों में देश के प्रबन्ध के सम्बन्ध में विश्वास जागृत हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि सी० आई० ए० ने यहां अपना जाल फैला रखा हो। वे श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतत्व में इसदेश में विश्व के सबसे बड़े लोक तंत्र को चलते हुए नहीं देखना चाहते। वे इसके आधार को ही नष्ट करना चाहते हैं। विपक्ष के नेताओं को यह चेतावनी है कि वे उनकी शरारतपूर्ण कार्यवाहियों का शिकार न बनें। ऐसे समय में जब संसदीय प्रणाली के सामने अनेकों चुनौतियां हैं हमारा कर्तव्य है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसदीय लोक तंत्र के स्थायित्व के लिए पूरा प्रयत्न करें। देश में वर्तमान आर्थिक ढांचे के कारण देश में आर्थिक अस्थिरता पैदा हो गई है। आज भी हम पूंजीपतियों के चुंगल में फंसे हैं जो देश का खून चूस रहे हैं। जब तक हम इन समस्याओं को हल नहीं करेंगे तब तक यही कठिनाईयां बनी रहेंगी।

मुख्य न्यायधीश पर हमला एक गंभीर बात है। यह हमले किसी व्यक्ति पर नहीं है वरन एक प्रणाली पर है। गृह मंत्री ऐसी व्यवस्था करें जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो।

श्री जै० माता गौडर* (नीलगिरि) : लोक तंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जिनका लोक तांत्रिक सरकार में विश्वास है वे हिंसा की निन्दा करेंगे। किसी दल को, भले ही वह विपक्ष हो अथवा सत्ताधारी दल, हिंसा से कोई लाभ होन वाला नहीं है। अपने अस्तित्व के लिए विपक्षी दल हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। सत्ताधारी दल का यह प्रचार बेकार कोशिश है कि विरोधी दल में देश में हिंसा फैला रहे हैं और उससे लाभ उठाना चाहते हैं। बढ़ती हुई हिंसा को रोकने में अपनी असफलता का दोष विरोधी दलों पर डालना ठीक नहीं है।

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

आश्चर्य की बात है कि हथगोला फैंकने वालाव यक्ति पकड़ा नहीं जा सका है । यह पुलिस की अकर्मण्यता ही है ।

सुरक्षा अधिकारियों की अकुशलता का यह पहला उदाहरण ही नहीं है । लाखों रुपए चुरान के दोषी नागरवाला की रहस्यमय मृत्यु का पता भी पुलिस अभी तक नहीं लगा सकी है । वे दमन के कलक्टर श्री चोपड़ा की हत्या करने वालों का भी पता नहीं लगा सकी है । सुरक्षा अधिकारी अभी तक मीजोराम में उच्च पुलिस अधिकारियों को मारने वालों का पता न पा सकी हैं ।

यह हमारे सुरक्षा अधिकारियों की अकुशलता का लेखाजोखा है । अपराधियों को पकड़ने में इस प्रकार की अप्रत्याशित देरी से क्या हिंसा को बढ़ावा नहीं मिलता ? देश में जागरूक और कुशल पुलिस दल की स्थापना में अभी सरकार को कितने वर्ष और लगेंगे ?

यदि सत्ताधारी दल इन हिंसात्मक कार्यवाहियों का दोष विपक्षी दलों पर मढ़ने का प्रयत्न करता है तो वह अपनी सरकार की अकुशलता को छिपाने की कोशिश करता है । अतः सत्ताधारी दल को देश में व्याप्त हिंसा को समाप्त करने में अपनी असफलता का दोष विपक्षी दलों पर नहीं डालना चाहिए ।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : आज की चर्चा का विषय मुख्य रूप से मुख्य न्यायधीश पर हुआ हमला ही नहीं है वरन हिंसा की बढ़ती हुई वह प्रवृत्ति है जिसका कि यह परिणाम है । दुर्भाग्यवश इसे तोड़ मरोड़ कर सुरक्षा प्रबन्धों की निन्दा करने का प्रयत्न करके स्थिति की गंभीरता को कम करने का प्रयत्न किया गया है ।

"मदर लैन्ड" के, जो एक प्रमुख राजनीतिक दल का मुख पत्र है, सम्पादकीय में छपा है. कि इस देश में विपक्षी दल चुनाव के द्वारा सत्ता में नहीं आ सकत । इसका अर्थ यही निकलता है कि यदि चुनाव से सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती तो गोली और हथगोल का प्रयोग किया जाय । यदि एक प्रमख राजनीतिक दल की यही विचारधारा है और उनके सामने यही एक रास्ता है तो देश की क्या दशा होगी ?

मुख्य न्यायाधीश के सम्बन्ध में "मदर लैन्ड" में कहा गया है "यदि वे श्री राय को मारना चाहते हैं तो वे अपने शस्त्र के सम्बन्ध में आश्वसत हो जाते । लगता है यह हथगोला देश में हिंसा का वातावरण बनाने और कानून का पालन करन वाल लोगों की सरकार का विरोध करन से आतंकित करने क लिए फैंका गया था" सदन को घटना की गंभीरता और देश क प्रमुख नेताओं के प्रति हिंसा की स्थिति को समझना चाहिये ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): All that the police could find out during the last three days is that the hand grenades thrown at the Chief Justice were wrapped in a Bangla newspaper. This is the wonderful performance of the police department under the Home Ministry on whom we are spending crores of rupees every year. Any one who knows about hand grenades can say that these grenades are bogus and this sort of thing can be engineered only by the Government. No one intending to commit the crime will do that i.e., take the grenade, remove its pin, wrap it in newspaper and then throw it.

To me, the reason appears to be different. We know that the question of MISA, whether it should continue or not, is being considered by the Supreme Court. The bomb was thrown at the Chief Justice's car so that the judges can feel and realise that conditions in the country are still far from normal and therefore MISA must continue. Cannot this be a conspiracy?

A climate is being created in the country so that the Government can justify the continuance of emergency. The ruling party does not want to hold elections as it knows the outcome of the elections. It is spreading violence all over the country and putting the blame on the opposition. It wants to justify the emergency and get away from the elections.

A parliamentary committee should be set up to go into these incidents so that the truth may come out.

Prof. Narain Chand Parashar (Hamirpur): This is yet another incident in the chain of violent incidents that the country has been witnessing from sometime past. In January, Shri Lalit Narain Mishra became a victim of a bomb blast, only a few days ago a man with a pistol was caught in the Allahabad court and now this dastardly attempt on the life of the Chief Justice. This is a very serious matter. Let all political persons and parties in India understand that the climate of violence which certain elements are creating is not going to lead them anywhere. The emergence of violence would destroy these elements themselves who are seeking to gain something out of it.

Speaking in a meeting to condole the death of Shri Mishra, the Prime Minister had stated that it is a big rehearsal of things to come. People are surprised at that statement but every word of what she said then is coming out to be true. This rehearsal is jeopardising the future of the nation.

It is high time all parties strongly condemn the violent incidents. They must fight against this mentality of violence, be it that of a person or of an organisation.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : मुख्य न्यायधीश की हत्या का प्रयास सब के लिए चिन्ता का विषय है । जब कभी भी देश में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सत्तारूढ़ दल कोई न कोई अनुमान अवश्य लगाता है । यह बहुत ही आपत्तिजनक है । समस्तीपुर दुर्घटना के बारे में जय प्रकाश नारायण के आन्दोलन को दोषी ठहराया गया । इलाहाबाद दुर्घटना के बारे में भी इनका यही विचार है । इस मामले में भी इसी प्रकार क विचार प्रकट किये गये हैं । यह आपत्तिजनक हैं क्योंकि उसका जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

अत: देश में हिंसा का वातावरण पैदा करने वाली इस प्रकार की घटनाओं के कारणों की जांच करने क लिए संसदीय समिति द्वारा जांच होनी चाहिये ।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): This incident appears to be a part of a conspiracy to create chaos in the country. It is learnt that the Government have information that some foreign forces are active in this country and are distributing money through educational institutions, political parties and others. This is a very dangerous thing for the country. If there are problems before the country, these are to be solved not through violent methods but through peaceful measures and in this the opposition should have lent their support.

It appears that the opposition and the rightist forces have now come to believe that violence is the only alternative before them. They are sadly mistaken. Violence will only ruin the country; it is not going to do any good to any body. If we have to function as a parliamentary democracy, we must create an atmosphere of peace and order in the country. Unfortunately the rightist forces are bent upon disrupting our democracy and parliamentary system. The progressive forces in the country will have to unite and face the challenge. If need be, even the constitution can be changed to fight the rightist forces.

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : इस देश में अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं और हम इन्हें अनावश्यक महत्व देते आ रहे हैं। यदि हमारे दिल में प्रजातंत्र के लिए प्रम है तो सभी राजनीतिक दलों को एक साथ हिंसा की निन्दा करनी चाहिये। गृह मंत्री को अपनी मशीनरी तथा मंत्रालय को कहना चाहिये तथा अपराधी का पता लगाना चाहियें और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं का निवारण करना चाहिये। सभी राजनीतिक दल यहां क्या कहते हैं और बाहर क्या कहते हैं ? इस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिये। इस मूल्यांकन को सभा में रखा जाये ताकि इसकी जांच की जा सके।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला): कुछ समय से हम आतंक वादियों की गतिविधियां देखते आरहे हैं। श्री ललित नारायण मिश्र की हत्या के समय कहा गया कि वे असली लक्ष्य नहीं थे। जिसका अर्थ यही हो सकता है कि हिंसा का वातावरण जारी रहेगा। इसके बाद क्या हुआ ? इलाहाबाद में एक व्यक्ति पिस्तोल के साथ अन्दर गया। इसके थोड़ समय ही बाद मुख्य-न्यायधीश की कार पर हथगोला फेंका गया। यह सब थोड़े अन्तराल के बाद होता रहा। इससे किस बात का पता लगता है। वे श्रीमती इन्दिरा गांधी को हटाना चाहते हैं क्योंकि वे चुनाव में नहीं जीत सकें।

इन सब घटनाओं के पीछे सी० आई० ए० नाम की एक संस्था है। सी० आई० ए० के द्वारा ये उपमहाद्वीप की सामान्य स्थिति को अस्थायी बनाना चाहते हैं।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : सरकार कहती है कि विरोधी दल हिंसा का वातावरण पैदा कर रह हैं और विरोधी दल कहते हैं कि सरकार ही इस प्रकार की कहानियां गढ़ रही है। यदि विरोधी दल देश में सुखद वातावरण पैदा करने के बजाये एक विषैला वातावरण तैयार कर रहे हैं तो प्रश्न यह है कि हम कहाँ जा रहें हैं ? यदि विरोधी दलों का रवैया ठीक है और इस वातावरण को तैयार करन के लिए सरकार को दोषी ठहराती हैं तो स्थिति और भी विकट है और फिर भी यही प्रश्न पैदा होता है कि हम कहां जा रह हैं।

सबसे पहले हमें इस बात का निर्णय करना चाहिए कि क्या हम संसदीय प्रजातंत्र चाहते हैं इन आरोपों और प्रत्यारोपों के वातावरण ने हमारी प्रणाली के लिए खतरा पैदा कर लिया है।

इस बात से कोई इन्कार नहीं करता कि देश में आज हिंसा का वातावरण है। संसद देश के विचारों और कार्यों की सूचकांक होनी चाहिये थी लकिन दुर्भाग्यवश यह ऐसी न सिद्ध हो सकी। वाणी, कर्म और विचार द्वारा संसद में हिंसा प्रकट करने से देश में हिंसा का वातावरण बनाने में सहायता मिलती है और हम संसद सदस्यों तथा सरकार से पूछते हैं कि एक दूसरे को दोषी ठहराने के बजाय उन्होंने इस दिशा में कितना योगदान दिया है। सुझाव दिया गया है कि संसद सदस्यों सहित विशिष्ट व्यक्तियों सम्बन्धी सुरक्षा प्रबन्ध गृह मंत्री द्वारा मजबूत किये जाने चाहिये। इस प्रणाली की रक्षा, पुलिस, सी० आर० पी० तथा सेना नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि क्या हम संसदीय प्रणाली की रक्षा कर सकत हैं अथवा नहीं ? मैं समझता हूं कि वतमान हिंसा के वातावर ा में हमारी प्रणाली के लिए खतरा पैदा हो गया है।

डा० श्यामसुन्दर महापात्र (जालासौर) : हमें इस बात को समझना चाहिये कि ये घटनायें क्यों हो रही हैं अथवा क्या भारत की नागरिक स्वतंत्रता तथा स्थिरता को छीनने सम्बन्धी कोई षड़यंत्र रचा जा रहा है। बंगलादेश तथा भारत में एक ही प्रकार की घटनाएं हुई हैं। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय तथा निहित स्वार्थ वाले तत्वों का षड़यंत्र है जो बंगलादेश की आजादी तथा भारत की स्थिरता समाप्त करना चाहते हैं।

इस स्थिति में सरकार को सख्ती से इस प्रकार की दुर्घटनाओं को कुचलना चाहिये। पुलिस, गुप्तचर विभाग, केन्द्रीय सूचना सेवा, कन्द्रीय जांच ब्युरो, आदि आदि सभी देश में हो रही इस प्रकार की घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं।

मुख्य न्यायधीश पर चार दिन पहले आक्रमण हुआ था और हमें अब भी पता नहीं कि अपराधी कौन है। सरकार को सावधान तथा सचेत रहना चाहिये। हिंसा का वातावरण समाप्त किया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : हमारे दल ने स्पष्ट रूप से इस प्रयास की निन्दा की है। यह प्रयास भारत के मुख्य न्यायधीश की हत्या के लिए किया गया था। यह कैसे हो सकता है, हमें इसका उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिय। क्या यह काम किसी पागल व्यक्ति अथवा असंतुष्ट मुकदमेबाजी का था अथवा निहित स्वार्थों वाले उन दलों का प्रयास जो देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे सत्तारूढ़ दल को जनजीवन को प्रभावित करने वाले कार्यों को करने में सहायता मिल सके। हमें सबसे पहल इस बात पर विचार करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ सरकार को उचित सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिये थी, के निकट इस प्रकार की घटना कैसे और क्यों हो सकती है। देशवासियों को गृह मंत्री से यह जानने का अधिकार है कि ये दुर्घटनायें कैसे हुई, सुरक्षा सम्बन्धी सावधानी क्यों नहीं बरती गई और सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति, हथगोले ले जाने वाले लोगों सहित हर किसी को क्यों दी गई ? हम नहीं जानते कि जांच कब पूरी होगी और क्या यह पूरी भी होगी क्योंकि सरकार के एसे असुविधाजनक मामलों में साधारणत: जांच कभी भी पूरी नहीं होती।

समस्तीपुर का मामला अभी पूरा नहीं हुआ है। नागरवाला का मामला भी पूरा नहीं हुआ है। और हम नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। हम नहीं जानते कि जांच क्यों पूरी नहीं हुई।

सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह कानून और व्यवस्था कायम रखे और सभी नागरिकों क जीवन की रक्षा करे। किन्तु सरकार ने यह बताने के बजाय कि इन मामलों में जांच महीनों और वर्षों तक क्यों स्थगित की जाती है, विरोधी दलों पर दोषारोपण करना आरम्भ कर दिया है कि ये हिंसा का वातावरण पैदा कर रहे ह।

यह कहना आसान है कि किसी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति हिंसा का वातावरण उत्पन्न कर रहा है। किन्तु पश्चिम बंगाल में जहां सत्तारूढ़ दल ही सत्ता में है क्या हो रहा है? वह हिंसा को रोकने के लिय क्या उपाय कर रहे हैं। उन्होंने तीन वर्षों में एक विशिष्ट राजनीतिक दल के 120 व्यक्तियों को मौत क घाट उतार दिया है।

सरकार विशिष्ट व्यक्तियों को भी सुरक्षित रखने में असफल रही है और वह यदि इसी प्रकार हर बात के लिए विरोधी पक्ष कोउत्तरादायी ठहराती रहेगी तो लोगों की उसमें आस्था नहीं रहेगी। इस बात का स्पष्टीकरण सत्तारूढ़ दल को और गृह मंत्री को देना है कि भारत के मुख्य न्यायधीश का जीवन इस सरकार के हाथों में सुरक्षित क्यों नहीं?

Shri Chandre Shailani (Hathars) : Mr. Deputy Speaker, the attempt on the life of the Chief Justice cannot be regarded as an ordinary incident. Of late, these incidents have been taking place which have compelled the people to think about the reasons for an atmosphere of voilence in the country. The people who are creating such an atmosphere want to impede the onward march of the country on the road to progress under the leadership of the Prime Minister. So long as people continue to have faith in the democracy, these people will not suceed in their nefarious designs.

We have to find out the forces behind such incidents. Are not the people who murdered Mahatma Gandhi behind these incidents? We should idetnify the reactionary forces which are against democracy. Are the forces behind such happenings receiving money from foreign countries? The time has come when activities of fascist forces like R.S.S. and Anand Margis should be banned.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य न्यायधीश की हत्या की कोशिश की भर्तसना की जानी चाहिये। जब हम हिंसा के वातावरण की चर्चा करते हैं तो हमें यह बात मानने की कोशिश भी करनी चाहिये कि देश में हिंसा का वातावरण क्यों फैल रहा है। क्या इसका कारण यह नहीं है कि हमारा आचरण लोकतंत्र के आदर्शों क अनुरूप नहीं है। हमारे संविधान में लोकतंत्र के आदर्श बड़े सुन्दर ढंग से दिये गये हैं। किन्तु हमारा आचरण उनके एकदम विपरीत है। इसी कारण जनता का राजनीतिक नेताओं में विश्वास नही रह गया है। यह किसी दल विशेष क प्रश्न नहीं है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि सम्पूर्ण शासन व्यवस्था को प्रभावित करता है।

एक प्रजातंत्रीय समाज में प्रजातंत्र सरकार को आगे चलना चाहिये और प्रजातंत्रीय समाज में यह प्रजातंत्र सरकार तभी सफल होगी जब न केवल संसद और विधान परिषदों में ही अपितु हमारे परिवारों, विश्वविद्यालयों, शक्षणिक संस्थाओं में, तथा विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक निकायों में एक दूसरे को परस्पर समझाने का वातावरण उत्पन्न हो। यह बहुत अफसोस की बात है कि लोगों में सहनशीलता का अभाव बढ़ता जा रहा है। हमें प्रसन्नता से रहना सीखना चाहिये क्योंकि यही प्रजातांत्रिक व्यवहार का आधार है।

कुछ लोगों को बुरा-भला कहा गया है और उन पर आक्षेप लगाये गये हैं। लेकिन बिना ठोस आधार के आक्षेप लगाना अधम राजनीति है, हमें इससे मुक्त होना चाहिये अन्यथा हम अपनी राजनीति में विस्फोटक हिंसा की ओर अग्रसर होते जायेंगे। यह एक खतरनाक स्थिति होगी जिसमें किसी का भी भला नहीं होगा : हिंसा विनाशकारी होती है और यह एक सभ्य समाज के अधोपतन का कारण होपी है।

आज राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों में लोगों का विश्वास बहुत कम हो गया है। लोग उन विशिष्ट व्यक्तियों को जो सत्ता में हैं, सन्देह की दृष्टि से देखने लग गये हैं।

अन्त में मैं गृह मंत्री को और उनके भारी बहुमत को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार और कुशासन समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक हिंसा का वातावरण बढ़ता ही जायेगा और यदि नागरवाला के मामले से लेकर मुख्य न्यायधीश पर किये गये हमले के मामले तक सम्बद्ध दोषी व्यक्तियों का पता लगाकर उन्हें दण्डित नहीं किया गया तो सरकार की प्रतिष्ठा हमारी आंखों के सामने ही समाप्त हो जायेगी और हम इस विशाल और प्राचीन देश को फासिस्ट तथा असभ्य शक्तियों को समर्पित कर देंगे।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में हिंसा का वातावरण मौजूद है और अतिरिक्त संवैधानिक माध्यमों से उसका विकास हो रहा है। प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले हम जैसे लोगों के लिए यह एक चुनौती है। संसद को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें यह पता लगाना है कि देश में हिंसा का वातावरण पैदा करने वाली कौन सी शक्तियां हैं।

दिनांक 2 मार्च, 1975 को मदरलैंड में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार देश में एसी स्थिति विद्यामान है जिसमें प्रधान मंत्री की हत्या को भी न्यायोचित ठहराया जा सकता है। देश में दूषित वातावरण उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर एक षड़यंत्र रचा जा रहा है जिसमें प्रधान मंत्री को समाप्त किया जा सके। यह केवल एक ही लेखक की बात नहीं है सैकड़ों लेखक प्रधान मंत्री के विरुद्ध हिंसा तथा घृणा का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि गृह मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं। मैं दोनों ही मंत्रालयों के मंत्रियों से इसका उत्तर चाहता हूं। **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत जैसे विकासशील लोकतांत्रिक देश का नेतृत्व केवल हमारी प्रधान मंत्री ही कर सकती हैं। राष्ट्र का नेतृत्व एक ऐसे नेता द्वारा किया जा सकता है, जिसे इस पद की प्राप्ति अकथनीय कष्टों को सहने के बाद हुई है। जो लोग इस तरह का वातावरण पैदा कर रहे हैं वे देश का अपकार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को चेतावनी दे दूं कि यदि प्रधान मंत्री को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई गई तो देश के करोड़ों देशवासी इसे सहन नहीं कर पायेंगे।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : So much flatering in the House is against the dignity of this august House.

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे क्यों नहीं बोलने देते ? (**व्यवधान**) आप सभा की कार्यवाही नियमित ढंग से क्यों नहीं करने देते ? हमने पहले ही निर्णय कर लिया था कि इस मामले पर चर्चा 4 बजे तक समाप्त कर ली जायेगी और अभी कांग्रेस के चार सदस्यों ने भाषण देना है। संसदीय कार्य मंत्री का क्या विचार है।

श्री के० रघुरामैया : श्री नायक दो उंगलियां उठा रहे हैं इसका अर्थ यह है कि वह दो मिनट का समय चाहते हैं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : श्री भगत ने उचित कहा है। यद्यपि उन्होंने भावावेश में आकर ये आशंकाएं व्यक्त की हैं फिर भी उन्होंने यर्थाथ् बातें कहीं हैं। समय आगया है जबकि विपक्षी दलों को आगे आकर कह देना चाहिए कि उनके ऐसे विचार नहीं है और न ही वे इस तरह का षड़यंत्र रच रहे हैं और ये आशकाए निराधार हैं। मुझे विश्वास है कि वे साहस पूर्वक ऐसा कह सकेंगे।

श्री रामरतन शर्मा : मदर लैंड में कुछ भी बुरी बात नहीं है।

श्री बी० वी० नायक : 1948 में गांधी जी की हत्या के पश्चात् इन लोगों ने हिंसा करने की जैसे कसम खा ली हो।

Shri R. R. Sharma : Enquiry was conducted in this matter and the Cour of Enquiry agreed that R.S.S. or Jansangh had no hand in Gandhiji's assassination. You are telling a lie.

Shri B.V. Naik : The entire nation knows who killed Gandhiji.

Shri R.R. Sharma : You are telling lie. You all are corrupt.

श्री बी० वी० नायक : माननीय सदस्य ने "झूठ" शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द को रिकार्ड में न रखा जाये क्योंकि यह गैर-संसदीय शब्द है '(**व्यवधान**) मैं श्री मावलेकर की इस बात से सहमत हूं कि देश में हिंसा को दूर किया जाना चाहिये क्योंकि यह एक आम बात हो गई है हमें हिंसा को त्याग कर संवैधानिक तरीकों का सहारा लेना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि संसद समुचित ढंग से कार्य करे। हमें यह चर्चा यहीं रोक देनी चाहिये और अगली मद लेनी चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैं प्राक्कलन पावतियों का विवरण पेश करना चाहता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आज सुबह हमने नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लगाने सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में संवैधानिक औचित्य का प्रश्न उठाया था। जब तक इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट नहीं करने दिए जायेंगे तब तक बजट पेश नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपना व्यवस्था का प्रश्न पेश कर लिया है । गृह मंत्री ने इस सम्बन्ध में संगत कागजात सभा पटल पर रख लिए हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : एक और अनियमितता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उद्घोषणा पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा और सभा इस सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचेगी । यदि कल सभा यह निर्णय लेती है कि यह असंवैधानिक रूप से किया गया है तो मैं यह नहीं कह सकता कि संवैधानिक रूप से किया गया है । कोई-कार्य उचित है अथवा अनुचित, इसका निर्णय सभा द्वारा किया जाता है । जब तक सभा निर्णय नहीं ले लेती कि यह गलत है तब तक हम इसमें बाधक नहीं बन सकते ।

नागालैण्ड बजट 1975-76

Nagaland Budget, 1975-76

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : श्रीमान् वर्ष 1975–76 के लिए नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में अनुमानित पावतियों और व्यय का विवरण पेश करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (नागालैण्ड), 1974–75

Supplementary Demand for Grants (Nagaland), 1974-75

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : श्रीमान् मैं वर्ष 1974–75 के लिए नागालैंड सरकार के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण पेश करता हूं ।

भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री अजित नाथ राय की हत्या के प्रयास के बारे में चर्चा

Discussion re : Attempt on the life of Shri A.N. Ray Chief Justice of Supreme Court of India

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मुझ इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें कहनी हैं । कहा गया है कि जिस कांस्टेबल को निलम्बित किया गया है वह अपनी ड्यूटी पर नहीं था । गलत आदमी को निलंबित किया गया है । दूसरे कहा गया है कि मुख्य न्यायधीश का दर्जा मंत्रि-मंडल स्तर के मंत्री के बराबर होता है फिर उन्हें बन्दूकधारी क्यों नहीं दिया जाता । उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था

क्यों नहीं की जाती ? प्रश्न यह है कि क्या उन्हें बन्दूक धारी रखने का अधिकार था, यदि हां तो क्या उनके साथ वह था जो कि उस व्यक्ति को गोली मार सकता। खेद की बात है कि पुलिस उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई। यह एक गंभीर मामला है, पुलिस को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि कार के शीशे खुले क्यों थे। उन्हें किसने खोला।

चौथी बात यह है कि आयुद्ध कारखानों को हिदायतें हैं कि इस तरह की वस्तुओं का नीलाम तभी किया जाना चाहिये जब उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायें। य कुछ प्रश्न हैं जिनका मंत्री महोदय को स्पष्ट उत्तर देना चाहिये।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : भारत के मुख्य न्यायधीश की हत्या की कोशिश एक ऐसी घटना है जिसकी भर्तसना सभी द्वारा की जानी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायधीश तथा उच्चतम न्यायालय के अन्य चार न्यायधीशों की सुरक्षा के लिए एक हेड कांस्टेबल और चार अन्य कांस्टेबल उनके निवास स्थानों पर तैनात हैं। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं ही यह सलाह दी थी कि मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा गार्डों की कोई जरूरत नहीं और इसलिए यह सुविधा हटा ली गई थी। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश क व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है।

इस तरह की बातें करनी वास्तव में खेदजनक हैं कि यह एक सुनियोजित षड़यंत्र था और जनता का ध्यान विद्यमान समस्याओं से हटाने के लिए ऐसा किया गया। माननीय सदस्यों द्वारा इस तरह की बातें करना एक प्रकार की निराधार कल्पना है।

विरोधी दलों द्वारा संसद तथा प्रेस में चरित्र हनन के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं और संसद् तथा इसके बाहर इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे जिससे लोगों का विश्वास संसदीय लोकतंत्र तथा जनता की स्थिति को सुधारने सम्बन्धी हमारी क्षमता से उठ जाये। इससे घृणा और नफ़रत का वातावरण पैदा होगा।

यह बात कुछ सीमा तक सही हो सकती है कि रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने के कारण शिक्षित युवक वर्ग निराश सा हो गया है। शिक्षित लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की बजाये उनमें सरकार तथा उसके कार्य क्रमों क प्रति विश्वास हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी घृणा का वातावरण बनाने का एक प्रयास है।

इस समय ऐसा कहना सम्भव नहीं है कि समस्तीपुर इलाहाबाद तथा यहा हुई घटना का आपस में कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं। यह भी कहना संभव नहीं है कि क्या यह देश के अन्दर अथवा बाहर की एजेन्सियों के प्रभाव से हुआ है अथवा यह कोई राजनीतिक षड़यंत्र रचा गया है। इन सब बातों का पता जांच परिणामों से ही लग सकता है।

यदि किसी प्रकार की घटना घट जाती हैं तो प्रायः विभिन्न प्रकार की कहानियां गढ़ ली जाती हैं और प्रायः उनके लिए सरकार को दोषी ठहराया जाता है।

ऐसी बात नहीं कि लोकतंत्र में जनता को सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों की आलोचना करने का अधिकार नहीं। किन्तु यदि समूची प्रणाली पर संदेह प्रकट किया जाता है तो यह केवल लोकतंत्र की जड़ों को नष्ट करने की बात होगी।

श्री रामनाथन के मामले में भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं। किन्तु अब इसकी जांच हो चुकी है और अपराधी तथा चालक को पकड़ लिया गया है। किसी घटना के घट जाने के तुरन्त पश्चात् लोग इस प्रकार की बेबुनियाद कहानियां गढ़ लेते हैं जिनका जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपराध के मामलों में हमें तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए जब तक की उसकी जांच न हो जाये।

हथगोले की चर्चा की गई है। भरा हुआ हथ गोला फेंका गया किन्तु सौभाग्यवश डेटोनेटर का फ्यूज नहीं चला। दो हथगोले फेंके गये और दोनों ही का विस्फोट नहीं हुआ। इससे भी लोगों ने कई अनुमान लगाये।

पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं जिन पर वह अग्रेतर कार्यवाही कर रही है। आशा है कि पुलिस शीघ्र ही अपराधी को पकड़ लेगी।

उस समय वहां जो कांस्टेबल ड्यूटी पर था उसे अपनी ड्यूटी की अवहेलना करने के कारण निलम्बित किया गया है।

समस्तीपुर दुर्घटना के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का कार्य अत्याधिक कठिन है। अब पुलिस जांच के अंतिम चरण में है और सम्भवत: वह मामले को न्यायालय में पेश करने के लिए भी अग्रेतर कार्यवाही करें।

यदि हम सब यह चाहते हैं कि देश में षड़यंत्र तथा हिंसा का वातावरण न फैले तो हमें अपनी लोकतंत्रीय प्रणाली के प्रति विश्वास पैदा करना होगा। वास्तविकता तो यह है कि जनता का हित इसी प्रणाली के माध्यम से होगा।

प्रैस परिषद् (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1974 और प्रैस परिषद् (संशोधन) विधेयक के निरनुमोदन सम्बन्धी संविधिक संकल्प पर—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF PRESS COUNCIL (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1974 AND PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL—contd.

Dr. Laxmi Narain Pandey (Mandsaur) : The Government have become habitual to issue Ordinances on trifle matters. In the matter of extension of term of Press Council, the Government have again resorted to this tendency.

(श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए)

(Shri Vasant Sathe in the Chair)

This is the third time, when Government has come forward seeking extension of the term of Press Council and the reasons advanced in this behalf are the same which were put on the earlier two occasions.

Although the Press Council was set up for the purpose of preserving the freedom of the Press and of maintaining and improving the standards of news papers in India, the Government do not appear to be in favour of the freedom of the Press. We have seen how the Governments of Bihar, Punjab and Haryana harassed the newspapers which are critical of their policies. They have been using advertisements as a tool to Control the newspapers. The Haryana Government says that they do not recognise the Press Council. If you want that the freedom of Press, working journalists have some importance then the Control of the Government over Press should go. The Government has been using the Advertisements as a tool to control the newspapers.

In the past the Press Council has done a good job. But it could have done even better if the Government had allowed it more freedom. Unfortunately the Government has been acting in the manner which abstracted the smooth functioning of the Council.

The non-representation of Nationalist Union of Journalists on the proposed Wage Boards has been critisized in both the houses. The recognisation of one Union and non-recognization of the other Union imposes restrictions on free expression of views.

The Government exercises indirect control over the Press. It is clear in letter of Shri Birla published in the Press that Ministers are involved in it. May I know the name of such Minister. The Government should take steps to make the Press Council more effective.

The Government give Advertisements to newspapers supporting the Government and stop giving Advertisements to those who indulge in criticism of Government policies.

So far as the distribution of news print is concerned there are 20 big groups of papers which take away about 60 percent of news print and the result is that the small papers have to obtain newsprint from here and there on the other hand the big paper magnates sell their newsprint in the black market.

It is necessary for freedom of the press that editors and journalists are allowed to express their views freely and they are not victimized for it. Unfortunately the Government is not doing its duty in this regard and due attention is not being paid in the matter.

This is for third time that the question of Composition of the Press Council has been brought up in this House. If there are any drawbacks in the functioning of the council they have got to be removed. A committee of Members of Parliament has been set up in this regard. If that committee of Members of Parliament has not been able to do anything there must be some definite reasons and they would have gone into that. As per my information the

Government is deliberately *deluding* Althouth two meetings of the Committee were held, called to finalize the report it could not be done. What are the difficulties in this regard ? The Minister should throw some light on this matter. The hon. Minister should see that the council is enabled to uphold the freedom of press and it do not become a tool of any body.

सुचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : माननीय सदस्य ने विद्वतापूर्ण भाषण दिया है । परन्तु उन्होंने यह समझने की चेष्टा नहीं की कि विधेयक के जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी । हम विधेयक पिछले सत्र में ही लाना चाहते थे ।

सभापति महोदय : आप विचार के लिए प्रस्ताव पहले रख सकते हैं ।

श्री आई० के० गुजराल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सिरममुर) : अच्छा होता यदि मंत्री महोदय प्रस्ताव के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देते । पर संशोधन काफी अवधि से खटाई में पड़ा हुआ है । इस बात को कोई नहीं जानता कि इस सत्र में भी यह लाया जा सकेगा या नहीं । इस बारे में शंका का कारण यह है कि सरकार इस बारे में बड़े विचित्र तरीके अपना रही है । सरकार ने यह संशोधन प्रस्तुत करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई है । यह नियमित और लोकतांत्रिक प्रेस परिषद जो प्रेस के सामान्तों और सरकारी तन्त्र के दबाव से स्वतंत्र रहे में बिल्कुल गम्भीरता नहीं बरत रही है ।

सरकार बहुत लम्बी अवधि से प्रेस को एकाधिकार गृहों के जाल से मुक्त करने की बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार स्वयं ऐसे एकाधिकार वादियों को बढ़ा रही है । अत: मुझे तो यह भी शंका है कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने में इमानदार है ।

प्रेस को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए । जनता ही यह निर्णय कर सकती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है । सरकार यह निर्णय नहीं कर सकती । लेकिन आजकल प्रेस को कोई स्वतंत्रता नहीं है सरकार का यह रवैया है कि जब तक प्रेस श्रीमती इन्दिरा गांधी और सरकार की प्रशंसा करता रहे तब तक तो ठीक है । जैसे ही कोई समाचार पत्र उनका विरोध करता है तथा जनतांत्रिक सिद्धान्तों का प्रचार करता है उनके प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं । सरकार समाचार पत्रों को अखबारी कागज का वितरण एवं उन्हें विज्ञापन देकर उन पर नियंत्रण करती है । जैसे ही समाचार पत्र सरकार की जनता विरोधी नीतियों का विरोध करता है उसे अखबारी कागज और विज्ञापन देने बन्द कर दिये जाते हैं । जो सम्पादक जनता की शिकायतों को प्रकाश में लाने एवं वास्तविक स्थिति समक्ष रखते हैं उन्हें अपने पदों को खोना पड़ता है । श्री विवेकानन्द मुख्योपाध्याय को कांग्रेसी पत्र बसुमती पत्रिका का, जोकि इस समय

पश्चिम बंगाल सरकार के स्वामीत्व में है पत्र छोड़ कर जाना पड़ा क्योंकि वह इसमें अपने विचार प्रकाशित नहीं कर सकता था। बंगाल का मामला तो सर्वविदित है ही। वर्तमान सरकार समाचार पत्रों का स्वतंत्रता के लिये नहीं है अपितु वह उस पर सब प्रकार के नियंत्रण लगाती है।

प्रेस परिषद का कार्य उच्च अधिकारियों की समिति से पूरा होने का नहीं है। मंत्री महोदय की अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आज वह मंत्री है कल को वह हटाया जा सकता है।

प्रेस परिषद एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से केवल वाणिज्य क्षेत्र के उद्योगपति ही अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं बल्कि प्रेस के सभी वर्ग, अर्थात श्रमजीवी पत्रकार तथा छोटे समाचार पत्रों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रेस परिषद में पत्रकारों, प्रेस श्रमिकों, छोटे समाचार पत्रों तथा जिला समाचार पत्रों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अखबारी कागज के वितरण विज्ञापन देने तथा बड़े प्रेस खरीदने में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना चाहिए। जब तक यह सब कुछ नहीं होगा इस परिषद की स्थापना का कोई अर्थ नहीं है।

Shri Anantrao Patil (Khed) : I oppose the motion moved by Dr. Laxmi Narayan Pandey and support the motion of the hon. Minister Shri I.K. Gujral.

इस विधेयक द्वारा प्रेस परिषद की समयावधि केवल इस वर्ष के अन्त तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। कुछ सदस्यों को यह भ्रम है कि सरकार प्रेस परिषद पर सीधा नियंत्रण या सीधा सम्पर्क है। लेकिन यह बात सच नहीं है। प्रेस परिषद स्वायत्त एवं स्वतन्त्र निकाय है। इसका सरकार से काई सम्बन्ध नहीं है।

इसके कार्यक्रम के गत 9 वर्षों में इस परिषद से भले ही कोई गलती का कार्य हो गया हो लेकिन इसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भरसक प्रयत्न किया है। निस्सन्देह इसमें कुछ गलतियां भी हुई हैं क्योंकि इस परिषद को पूरी शक्तियां प्रदत्त नहीं हैं।

प्रश्न किया गया है कि इसके चेयरमैन कौन नामजद करता है। विधेयक में यह उपबन्ध है कि परिषद किस तरह से गठित की जायेगी और नाम निर्देशन समिति में कौन कौन सदस्य होंगे। इसकी नाम निर्देशन समिति में लोक सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सदस्य हैं। विभिन्न निकायों, विभिन्न व्यवसायों, श्रमजीवी पत्रकारों प्रबन्धकों तथा अन्य स्रोतों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।

श्री मूल चन्द डागा : उक्त स्रोत कौन से हैं।

श्री अनन्त राव पाटिल : जन साधारण एवं उनके प्रतिनिधि।

जब इसके सदस्यों के नाम निर्देशन या चयन के बारे में समाचार पत्रों में आलोचना की गई तो नाम निर्देशन समिति के तीन उच्चाधिकारियों ने नाम निर्देशन निकाय के रूप में कार्य करने से इन्कार कर दिया और संकट उत्पन्न हो गया। इसलिये सरकार ने नये प्रेस परिषद के गठन के लिये संसद में आना उचित समझा है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय विधेयक को इसी सत्र में ला पायेंगे।

पिछले कुछ महीनों से बड़े एकाधिकार प्राप्त गृहों के बड़े बड़े समाचार पत्र राजनीति में पड़कर ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि कभी तो हम यह सोचने लगते हैं कि क्या लोकतन्त्र तो खतरे में नहीं पड़ गया है। इस समय इस देश के समाचारपत्रों का सर्व प्रथम कर्तव्य इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना ही नहीं है बल्कि इस देश की स्वतंत्रता और लोकतन्त्र को सशक्त बनाना एवं यह देखना है कि यह देश प्रगति करे।

हाल ही में तथ्यान्वेषी समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा गया है कि समाचार पत्र के व्यवसाय ने अन्य व्यवसायों की तुलना में अधिक धन बनाया है और बहुत मुनाफा कमाया है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने समाचार पत्रों ने अपनी पत्रिकाओं या पत्रकारों का स्तर ऊंचा करने हेतु अपना लाभ का धन लगाया है। पहला कार्य तो हमें यह करना है कि समाचार पत्रों को बड़े व्यापार गृहों से पृथक किया जाये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रेस आयोग दिवाकर समिति और इस तथ्यान्वेषी समिति के लिय कोई लाभ नहीं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति-चालू रही तो बड़े समाचार-पत्र अपनी एकाधिकार वादी प्रवृत्तियों और अवरोधक प्रथाओं से छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को कभी पनपने नहीं देंगे।

प्रेस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि समाचारपत्र हमें समाचार देने के लिये बनाये गये हैं। लेकिन आजकल यह विज्ञापनों के लिये हैं। कुछ समाचार पत्रों में 75 प्रतिशत स्थान विज्ञापनों से ही भरे रहते हैं। इसलिए तथ्यांन्वेषी समिति ने यह सिफारिश की है कि यदि 60–40 का अनुपात नहीं रखा जाये तो कम से कम 50–50 का अंनुपात तो रखा जाना चाहिए और यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने समाचार पत्रों सहित सभी प्रकाशनों पर एक प्रतिशत कर लगा दिया है। आज समाचारपत्रों की उत्पादन लागत को देखा जाये तो यह छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों के अस्तित्व का संघर्ष है। इसलिये मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों पर इसे नहीं लगाया जाना चाहिये।

प्रस्तावित विधेयक के पारित होने पर गठित की जाने वाली प्रेस परिषद को पर्याप्त शक्तियां दी जाये तथा इस मात्र नैतिक समर्थन पर निर्भर नहीं रहने देना चाहिये।

प्रेस परिषद के चेयरमैन एवं सदस्यों के कार्य की मैं सराहना करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह विशेष विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किया गया था। जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करतें हैं तब हमें स्वतंत्रता की परिभाषा करने का प्रयास करना चाहिये। यदि कुछ बड़े प्रेस जिन्हें एकाधिकारवादी कहा जाता है अपने निहित स्वार्थों के लिये प्रेस का उपयोग करते हैं तो हमें उस स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। जब प्रेस के स्वामीत्व के बारे में विधेयक लाने का निर्णय किया गया तब चेयरमैन जस्टिस राजगोपाल आएंगर ने हिन्दुस्तान टाइम्स तथा अन्य पत्रों को न्यास के रूप में बदलने का परामर्श श्री के० के० बिड़ला को दिया है। यदि यह सच है तो उन्होंने देश को क्षति पहुंचाई है। मैं समझता हूं कि प्रेस परिषद के चेयरमैन के रूप में नहीं रहना चाहिये।

मैं प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में तो हूं लेकिन जिस तरह से कछ समाचार तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किये जाते हैं, उस की ओर तो ध्यान दिया जाना चाहिये । कुछ समाचारपत्रों के श्रमजीवी और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों की दशा अत्यन्त शोचनीय है । जहां देश के प्रत्येक औद्योगिक कर्मचारी को कुछ अन्तरिम सहायता मिली है वहां पत्रकारों को इस अन्तरिम सहायता से भी इनकार कर दिया गया है । छोटे समाचार पत्र अपने पत्रकारों को भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि छोटे समाचार पत्रों के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर जो काफी समय पहले प्रकाशित हो चुकी है, इस सदन में वचन दिया गया था कि प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया को सरकारी निगम बनाया जायेगा । प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के कर्मचारी संघ के प्रेसीडैंट की हैसीयत से मैं यह कह सकता हूं कि जब तक यह सरकारी निगम नहीं बनाया जाता हम अपना आन्दोलन जारी रखेंगे ।

इस समय पी० टी० आई और यू० एन० आई के निदेशक व्यवसायी लोग हैं । आयोग की स्वामीत्व के बारे में रिपोर्ट कब आयेगी । क्या सरकार सचमच ही एकाधिकार समाप्त करना चाहती है ?

पता चला है कि प्रेस परिषद् ने तथाकथित पत्रकारों के कठपुतली संगठन को संरक्षण दिया है । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि श्रमजीव-पत्रकारों को सभी अवसर प्राप्त हों ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : In the course of my internationa tours I observed that in no part of the world the newspapers do not enjoy so much autonomy and freedom as they do in India.

The Government should take necessary measures to implement the recommendations of the fact finding Committee. The Committee observed in their report that the monopoly houses should not be allowed to grow in the field of newspaper industry. They have also suggested that there should be definite ratio between the space covered by advertisements and space covered by news. It is better if 60 per cent space is allotted for news and 40 percent for advertisements. The Government should also take into account the recommendations of the price control committee in regard to fixation of price of newspapers. The committee suggested to set up an organisation under the Ministry of Information & Broadcasting to advise the Government in regard to fixation of price of news papers and the rates of advertisements.

In this connection it is stated that when the Press council was there, there was no different propriety for having different Committees for different purposes. Then retired persons were not used to be appointed as chairman of the Press Council. More attention should be paid to language newspapers. Measures be taken to see that language newspapers also thrived along with the English newspapers. The Press council should not make a discriminatory treatment with the language newspapers or news agencies.

सभापति महोदय : हमारे पास 15 मिनट का समय बचा है अतएव माननीय सदस्य 5 मिनट ही लें

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : The Bill has a very limitted objective of extending the period of the Press Council. Keeping in view the climate prevailing in the country it appears that there is some danger to the freedom of newspapers in the country. There are several complaints of Government's partialty and arbitrariness in the allocation of Advertisements to the newspapers.

Dircrimination has been made against the newspapers which published views against the Government. Not only that even attempts have been made by Government spokesmen to alter or censore the news through the medium of news agencies, which are against the Government or are inconvenient to them.

Some Members have suggested for the abolishing monopoly in newspapers but it appears that they want it to be replaced by monopaly of the Government. If an attempt is made to undermine the freedom of the news papers in India it would weaken the strength and character of the nation.

सभापति महोदय : मैं संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह कितना समय दे सकते है ? यह निर्णय लिया गया था कि 6 बजे आधे घंटे की चर्चा ली जायेगी ।

श्री के० रघुरामैया : अध्यक्ष महोदय ने वचन दिया था कि जितना भी समय नियम 193 की चर्चा पर लगेगा उतना ही समय 6 बजे के बाद दे दिया जायेगा । मैंने विरोधी पक्ष के नेताओं से बात चीत की है और हमारा इस बारे में मतैक्य है कि आज इस चर्चा के पश्चात् आधे घंटे की चर्चा ली जायेगी ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं समझता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री तीसरी बार समावधि बढ़ाने के लिये प्रस्तुत हुए हैं । इसके लिये दो बार अध्यादेश जारी किया गया है । सूचना और प्रसारण मंत्री हमें बार बार यह बताते हैं कि देश को इसके विशेष रूप पर भी विचार करना है । मंत्री की हसीयत से यह स्पष्ट और निश्चिन्त रूप से बताएं कि प्रेस परिषद की विचारधारा क्या है । भारतीय पत्रकारों के जीवन स्तर को उंचा उठाने के लिये प्रेस परिषद् 1965 में गठित की गई थी । क्या परिषद् अपने सीमित उद्देश्य में सफल हुई है ।

समाचार पत्रों की कोई गुप्त सेवाएं नहीं हैं । सदन में प्रतिपक्ष के बारे में बहुत सा शोर किया गया था । परन्तु सरकार ने तथा प्रेस परिषद् ने उसके बारे में क्या कार्यवाही की है । इस वाद विवाद में भाग लेने वाले 80 प्रतिशत वक्ता प्रेस के लिये नहीं बोल रहे । यदि कोई पुलिस का सिपाही 2 रुपये ले लेता है तब उसे भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है । परन्तु देश में प्रेस के साथ खिलवाड़ करना कहां तक युक्त है ।

हम जानते हैं कि ब्रिटेन में प्रेस परिषद् एक ऐच्छिक संस्था है । भारत में 3,90,000 रुपए व्यय किया जाता है । लेकिन भारतीय परिस्थितियों और भारतीय आवश्यकताओं में हमें भारतीय हल निकालने का प्रयास करना चाहिये ।

देश में तीन चार व्यक्ति ही ऐसे है जिनके आचरण पर उंगली नहीं उठाई जा सकती । यह है; अध्यक्ष महोदय, भारत के उपराष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश । भारत के राष्ट्रपति तो है ही । मैं समझता हूं कि वह अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहेंगे और नामांकन समिति में बने रहें । मंत्री महोदय संशोधन को स्वीकार करें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र---जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—contd.

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 490 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 27 मार्च, 1975 को जारी किये गये आदेश की एक प्रति उक्त अधिनियम की धारा 490 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कारण बताने वाले वक्तव्य की एक प्रति के साथ सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 9278/75)

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय सभा पटल पर रखने की अनुमति दे चुके हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The Government first tried to reduce the majority of our party by purchasing certain members. Thereafter the duly elected co-operation has been superseded.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व-दिल्ली) : मैं निगम के तोड़े जाने पर खुश नहीं हूं । यह जनसंघ के भ्रष्टाचार कुशासन के कारण तोड़ दी गई है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Now that there is congress majority. You may now run it.

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon) It has been alleged that certain members of Jan Sangh were purchased. Can they be purchased ?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : अधिसूचना द्वारा दिल्ली नगर निगम को एक वर्ष के लिये अधिलंघित कर दिया गया है ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

54वां प्रतिवेदन

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 54 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : 31 निगमों में से 22 का अधिलंघन किया जा चुका है । क्या यही प्रजातंत्र है ।

श्री एच० के० एल० भगत : इसके लिये उनकी पार्टी ही उत्तरदायी है ।

प्रेस परिषद (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1974 और प्रैस परिषद (संशोधन), विधेयक के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प—जारी

STATUTORY RESOLUTION RE:—DISAPPROVAL OF THE PRESS COUNCIL (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1974 AND PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL—contd.

Shri S.M. Banerji (Kanpur) : Shri Naik has said about certain advertisement, certain girls ac as model. He has asked that these words be removed from the proceedings. But I think that there is nothing wrong in it.

Shri R.S. Pandey : Press council has a great responsibility.

Mr. Chairman : You will get an opportunity later.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह दुर्भाग्यपूर्ण बात ही है कि मंत्री महोदय को इस वर्ष मंत्री महोदय को प्रेस परिषद का तीन बार समय बढ़ाने का अनुरोध करना पड़ा । समिति में उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश तथा हमारे सदन के अध्यक्ष हैं । मंत्री महोदय ने बताया कि एक अनौपचारिक समिति गठित हुई है जो कार्य कर रही है । यह समिति वैकल्पिक प्रस्ताव देने और प्रेस परिषद की सदस्यता पूरी करने में इतना समय क्यों ले रही है ?

विकासशील तथा विकसित लोकतंत्र में भी प्रेस परिषद की भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण होती है । यद्यपि उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है परन्तु फिर भी वह प्रेस की आसामयिक बातों पर अंकुश रखती है । अतः प्रेस की स्वतंत्रता में उनकी भूमिका बड़ी महत्त्वपूर्ण है ।

'सर्च लाइट' और जार्ज वर्गीज बनाम 'हिन्दुस्तान टाइम्स' मामलों में देश के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के संबंध में बड़ी गम्भीर बातें प्रकाश में आई हैं । मैं यह नहीं मानता कि भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिक संतोषजनक है । बहुत से विकासशील देशों में समाचार पत्रों को स्वायत्तता प्राप्त नहीं है । परन्तु तथ्य यह है कि यहां उनकी स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है । पिछले दो वर्षों से उनकी यह स्वतंत्रता कुछ अंश में अखबारी कागज के नियंत्रण, हस्तक्षेप और कुछ सीमा तक पत्रकारों द्वारा इसका विरोध न किये जाने के कारण समाप्त होती जा रही है ।

समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता में तीन बातें आती हैं–सभी छोटे बड़े पत्रों का अपना आधारभूत ढांचा होना चाहिये। उन्हें सभी स्रोतों से सूचना पाने और उसे प्रकाशित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि जानकारी पाने के स्रोतों के संबंध में स्वतंत्रता हो तो सब कुछ ठीक चले। अब यह देखना सरकार का काम है कि अल्पकालीन लाभ के लिये वह इन स्रोतों की स्वतंत्रता पर रोक न लगाये।

श्री वाई० एस० हमहाजन (बुलडाना) : मैं प्रेस परिषद का समय बढ़ाये जाने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। इस प्रकार के संशोधनों के लिये अध्यादेश जारी करने से बचना चाहिए। परन्तु ऐसा करना पड़ा क्योंकि सरकार भारतीय प्रेस परिषद में जो परिवर्तन लाना चाहती और उसके संबंध में अभी बातचीत नहीं की जा सकी।

प्रेस परिषद एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। गत नौ वर्षों में इसने समाचार-पत्रों को अपने मामले सुलझाने का अवसर दिये हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इसने प्रेस की स्वतंत्रता बनाये रखने और भ्रष्ट पत्रकारों और संम्पादकों की निन्दा करने में इसने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रेस परिषद का एक कार्य है समाचार-पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के संबंध में एकाधिकार की प्रवृत्ति और उनकी वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना और यदि सम्भव हो तो उस संबंध में उपचार सुलझाना। परिषद ने इस संबंध में अधिक कुछ नहीं किया है। सरकार इस दिशा में कदम उठाने के लिये एम० आर० टी० पी० सी० को यह अधिकार दे कि वह इस संबंध में उपचारात्मक कार्यवाही कर सकें।

इस एकाधिकार की प्रवृत्ति का एक परिणाम यह है कि उन्होने पत्रों के मूल्य बढ़ा दिये हैं तथा अन्य पत्र भी उसका अनुसरण करेंगे। समाचार पत्र चलाना जन सेवा है। इसलिये इसके मूल्यों को विज्ञापन की दरों के अनुरूप नियंत्रित किया जाये।

सरकार समाचार-पत्रों का संबंध व्यापार गृहों से समाप्त करने की दिशा में विचार कर रही है पर अभी तक वह इस बारे में कोई प्रस्ताव लाने में सफल नहीं हुई है। समाचारपत्र उद्योग का तुरन्त पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। इससे समाचार पत्रों को लाभ के अन्य कार्यों में लगाने पर रोक लगेगी। इससे होने वाले लाभ का उपयोग समाचारपत्रों को सुधारने पर होना चाहिये।

हमें प्रेस आयोग की इस सिफारिश की प्रत्येक समाचार पत्र को एक इकाई बनाने पर विचार करना चाहिये। जिससे इसके लाभ और हानि का पक्का पक्का पता चल सके। समाचार पत्रों के लिये सबसे उपयुक्त है कि वह ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किए जाये जिससे कि उनकी नीति का विनियमन ठीक प्रकार से किया जा सके।

अधिनियम में परिषद द्वारा लोगों को पत्रकारिता में प्रशिक्षित दिये जाने का उपबन्ध भी है। वार्षिक अधिवेषण से पता चलता है कि परिषद् ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है।

भारत में ऐसे बहुत से पत्र हैं जो पत्रकारिता के स्तर पर खरे नहीं उतरते हैं तथा उन्होंने चरित्र हनन अथवा अश्लीला का प्रचार किया है। पिछले एक वर्ष में कुछ पत्र सत्ताधारी दल के लोगों के चरित्र हनन के विशेषज्ञ रहे हैं। प्रेस परिषद् ऐसे सभी मामलों में सख्त कदम उठाए। कुछ पत्रों द्वारा की गई अनियमितताओं की पूरी-पूरी जांच होनी चाहिए।

समाचार पत्रों के विकास के लिये छोटे और मध्यम पत्रों को संस्थागत सहायता दी जाये। मंत्री महोदय समाचार वित्त निगम की स्थापना पर विचार करें।

कहा गया है कि पिछले वर्ष में पत्रों की स्वतंत्रता पर रोक लगी है। इसका एक कारण अखबारी कागज पर लगाया गया नियंत्रण बताया गया है। अखबारी कागज का कोटा गत वर्ष की ग्राहक संख्या पर आधारित होता है। अतः समझ में नहीं आता कि अखबारी कागज पत्रों की स्वतंत्रता को किस प्रकार कम करता है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यद्यपि प्रेस परिषद की सिफारिश पर श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड का गठन श्रम मंत्रालय को करना है परन्तु यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मजूरी बोर्ड के गठन में श्रम मंत्री ने पक्षपात पूर्ण राजनीति अपनाई है।

श्रमजीवी पत्रकारों के दो संगठन है। एक का नाम है भारतीय श्रमजीवी पत्रकार फैडरेशन और दूसरा है राष्ट्रीय पत्रकार संघ। सरकार ने राष्ट्रीय पत्रकार संघ को मान्यता प्रदान की है। सरकार को सभी पत्रकारों के साथ न्याय करना चाहिए। एक संघ के प्रधान और सचिव को ही क्यों रखा गया है?

राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने पहले मजूरी बोर्ड की मांग की थी। यह भी सच है कि सरकार न पत्रकारों के दोनों संगठनों को मान्यता दी थी। (**व्यवधान**) मैं चाहता हूं कि इस मामले में न्याय किया जाये तथा पत्रकारों से पक्षपात न बरता जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने जनमत लिया है..... (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: प्रेस परिषद् ने दोनों संगठनों की सदस्यता की जांच की थी और दोनों को मान्यता दी (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : प्रश्न मजूरी बोर्ड के प्रतिनिधित्व के बारे में उठाया गया है। हम इस समय मजूरी बोर्ड पर चर्चा नहीं कर रहे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पत्रकारों के एक ही संगठन के प्रधान एवं सचिव को क्यों लिया गया। यदि एक संस्था के प्रधान तथा दूसरी के सचिव को ले लिया जाता तो कोई अनर्थ न होता।

सभापति महोदय : मजूरी बोर्ड पर विचार करते समय इस पर विचार किया जायगा।

श्री समर गुह : सूचना और प्रसारण मंत्री इस पर ध्यान दें कि प्रेस परिषद् की सिफारिशें क्रियान्वित की जाती है।

सभापति महोदय : आपने असंगत मामलों पर 15 मिनट लगा दिये हैं। कृपया प्रस्तुत विधेयक पर विचार व्यक्त करें।

श्री समर गुह : हमारे देश में मासिक, साप्ताहिक और अन्य पत्रिकाओं के रूप में अकेले दिल्ली से समाचार पत्रों की 80 लाख प्रतियां छपती हैं जिनमें अधिकतर बड़े देशों के दूतावासों द्वारा निकाले जाते हैं। इनकी छपाई राजनीतिक दलों द्वारा कराई जाती है। यह राजनीतिक दलों को विदेशी सहायता देने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। इससे हमारी राष्ट्रीयता और लोकतंत्र नष्ट हो रहा है। क्या इस विदेशी प्रचार को रोका नहीं जा सकता ?

विदेशी दूतावास इन पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन देते हैं। जिन देशों के साथ हमारे राजनीतिक सम्बन्ध हैं उन पर कीचड़ उछाला जाता है। यह राजनीतिक सम्बन्धों के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इस प्रकार राजनायिक सम्बन्धों के दुरुपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

Shri M. S. Daga (Pali): Mr. Chairman, The Press Council has only the power to censure. It does not have the power to award punishment. How can it function affectively without that power ?

The Government should make provision in the Act which will enable the Government to achieve the purposes for which the original Act was passed.

Shri Ram Sahay Pandey (Rajnandgaon) : There is enough freedom of press in our country. But that freedom should not be used by any body for indulging in character assassination. Character assassination vitiates the atmosphere in the country particularly at election time.

There has been a demand for delinking the news and views. This demand should be met. When will Government take action in this connection ?

Obscenity the certain newspapers is doing great harm. It should be curbed.

Small newspapers should be given encouragement. The Government should give advertisements to these papers.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Freedom of the press is being crushed between the millstones of the Government's power to punish and industrialists' power of money.

The correspondence between Shri K.K. Birla and Shri Verghese is before the Press Council. In one of the letters to Shri Birla, Shri Verghese has stated that Shri Birla has protested to him that many news items have appeared in the Hindustan Times about Maruti Ltd. In his reply Shri Verghese told Shri Birla that he has seen the issues of the newspaper for the last few days and has found in them only one news item which is a clarification given by Shri Sanjay Gandhi, Managing Director of Maruti Ltd. Shri Verghese also stated

that Wing Commander, Choudhury, General Manager of Maruti Ltd. has written a letter to the Editor which has not been published becaus the information contained in that letter has already been given in Sanjay Gandhi's clarification.

Shri Verghese has also revealed in his letter that a senior Information Officer of the Prime Minister's Secretariat has come to the Hindustan Times with a letter from Wing Commander, Chaudhary. Shri Verghese told Shri Birla that that fact confirmed allegation of favouritism levelled by the common people against the Prime Minister and Maruti Ltd.

Shri Verghese has also stated that a representative of Modi Group who owns a Flour Mill which is involved in some scandal came to him and told him that if the Hindustan Times did not give publicity to that matter, they would give lot of advertisements to the paper.

These two instances show how money power and Governments power to punish were abused to curb the freedom of the press. The Minister should get the entire correspondence between Shri Verghese and Shri K.K. Birla and lay it on the Table.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री इन्दर कुमार गुजराल) : श्रीमन्, हमारे लोकतन्त्रात्मक ढांचे के इस पावन अंग के प्रति माननीय सदस्यों ने जो अभिरुचि प्रदर्शित की है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

श्रीमन्, आप मानते हैं कि मुझे प्रैस परिषद् के विस्तारण के लिये तीन बार सदन के समक्ष आना पड़ा। इस अधिनियम में इस देश के तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों से गठित एक नाम-निदेशक समिति है। दुर्भाग्यवश अन्तिम प्रेस परिषद् के बनने के बाद नाम निर्देशन की यह प्रक्रिया प्राय: समाप्त हो गई। इसलिये हमें विभिन्न स्थानों से आये संसद् सदस्यों से कहना पड़ा कि वे इस सम्बन्ध में विचार करें और एक नया विधेयक तैयार करने में हमारी सहायता करें।

हम चाहते हैं कि प्रेस परिषद् के सम्बन्ध में कोई ऐसा विधेयक पेश किया जाये, जिसे संसद में सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो हम इस के लिये प्रयास करते रहे हैं। मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि संशोधित रूप में जो नया विधेयक पेश किया गया है उसमें सभी दलों की रायों को समाविष्ट किया गया है। यह एक प्रसन्नता का विषय है कि विभिन्न बातों में हमारे दृष्टिकोणों में विभिन्नता होते हुए भी इस विधेयक के बारे में एक समेकित राय कायम करना हमारे लिये संभव हो सका है।

हम देखते हैं कि हमारे समाचार पत्रों में एक विशेष प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनका मुख्य कार्य समाचारों का प्रकाशन न करके विचारों का प्रदर्शन मात्र रह गया है। यह प्रवृत्ति अवांछनीय है, क्योंकि कोई चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, यदि उसे लिखने के अबाध अधिकार दे दिये जायें कि वह

जो चाहे लिख सकता है, तो कभी न कभी यह पता चलेगा कि वह अनुत्तरदायित्वपूर्ण बातें लिखने लगा है। वह अपनी कलम को सब से शक्तिमान समझने लगेगा तथा हर व्यक्ति और हर संस्थान को अपने से कम समझदार समझेगा। मैं समझता हूं कि इसी लिये संस्थागत बन्धन जरूरी है। इसीलिये यह जरूरी है कि इस प्रकार की वैचारिक पत्रकारिता के विरुद्ध बचाव किया जाये। यह सही है कि विचार की विभिन्नता हो सकती है और होती है। लोकतंत्र का मूल मंत्र ही यह है कि हमारे विचार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार पत्रकारिता में भी विचारों की भिन्नता हो सकती है और होती है, परन्तु किसी समाचार पत्र को केवल वैचारिक पत्र मात्र नहीं होना चाहिये। यह अति घातक प्रवृत्ति है। यदि यह प्रवृत्ति चलती रहती है तो पत्रकारिता जीवित नहीं रह सकेगी। लोकतंत्र हमें यह सिखाता है कि जहां मतभेद हो, वह गरिमा के साथ हो। ऐसा ही पत्रकारिता में होना चाहिये। आशा है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति बंद होगी।

प्रैस आयोग ने अपने-प्रतिवेदन में प्रैस परिषद् से सिफारिश की है कि पत्रकारों के लिये एक आचार संहिता होनी चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रैस परिषद् अभी तक कोई आचार संहिता नहीं बना पाई है। उन का कहना है कि वे इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में और अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। हम सभी इस के महत्व को समझते हैं तथा इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व सर्वोपरि है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की देन है तथा इस के बिना हमारे लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रहता। परन्तु पत्रकार वर्ग को यह समझना होगा कि चारों वर्ग केवल सहयोग कर सकते हैं। यदि अन्य तीन वर्गों की अपेक्षा की गई तो कोई भी वर्ग जीवित नहीं रह सकता। यदि पत्रकार वर्ग के कुछ लोग यह समझ लें कि लोगों का मदतान से विश्वास उठा लेना उन का अधिकार है और निर्वाचित सदस्य को विधान सभाओं और संसद् में न बैठने दिया जाये, तो वे अपना हित साधन नहीं कर रहे हैं।

मेरा ध्यान सर्चलाईट जैसे कुछ पत्रों के विरुद्ध की गई हिन्सा की ओर दिलाया गया था। मैं इस की निन्दा करता हूं।

जार्ज वरगीज़ का मामला बार बार उठाया गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि मैं उन से सहमत हूं अथवा नहीं, अपितु मुख्य प्रश्न यह है कि सम्पादक को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। मै हमेशा यह कहता रहा हूं कि सम्पादक स्वतंत्रता धनवानों के सामने खतरे में है। जब हम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो केवल उन लोगों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो लिख सकते हैं तथा उन की नहीं जिन की योग्यता केवल चेक पर हस्ताक्षर करना है। इस लिये हम समाचार पत्रों को इन लोगों के पंजों से छुड़ाना चाहते हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि धन शक्ति अथवा डंडा शक्ति का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये। यदि श्री मधु लिमये ऐसे किसी एक भी मामले की ओर मेरा ध्यान दिलायें, जिसमें गत पांच अथवा छः वर्षों में अथवा उस से भी पहले कभी भी अखबारी कागज़ या विज्ञापनों को लेकर किसी पत्र के विरु

कार्यवाही की गई हो, तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन से सन्यास ले लूंगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सदा इस नीति का पालन किया है कि विज्ञापनों से नीति का प्रचार न किया जाये ।

अखबारी कागज का मामला बिल्कुल स्पष्ट है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि हमें नीति को प्रचार का साधन बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हमने ऐसा कभी किया भी नहीं है। हमने समाचार पत्रों के मालिकों के परामर्श से अखबारी कागज का निर्यात किया है प्रत्येक समाचार पत्र को घोषित सरकारी नीति के अनुसार कोटा दिया जाता है। यदि सदस्य कोई ऐसा मामले लायें कि अखबारी कागज का कोटा किसी नीति सम्बन्धी बात को ले कर घटाया अथवा बढ़ाया गया हो तो मैं सार्वजनिक जीवन से सन्यास लेने को तैयार हूं।

मैं प्रथक्करण की बात इस लिये सोचता हूं कि मेरा इस में दृढ़ विश्वास है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक पैसे द्वारा समाचार पत्रों को प्रभावित करने का भय सदा बना रहेगा।

मेरे माननीय मित्र श्री मावलंकर ने प्रैस की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रैस संस्थान की टिप्पणियां पढ़ने का प्रयास किया था। मैं सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिये हमें किसी बाहरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारतीय समाचार पत्र स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारतीय जनता चाहती है कि भारतीय समाचार पत्र स्वतंत्र हों। इसमें किसी विदेशी टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें किसी विदेशी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमारे समाचार पत्र स्वतंत्र हैं, रहे हैं तथा रहेंगे।

श्री समर गुह ने वेतन बोर्ड के गठन के बा में पूछा था। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि यदि वह यह प्रश्न श्रम मंत्री से पूछें तो बेहतर होगा, क्योंकि श्रम मंत्री ही इस से सम्बन्धित हैं।

भारत से प्रकाशित होने वाले विदेशी पत्रों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि गत कुछ वर्षों से समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के प्रतिवेदन में हम ने विदेशी दूतावासों द्वारा निकाले जाने वाले पत्रों के सम्बन्ध में अलग से एक अध्याय देना आरम्भ कर दिया है। इस में गहराई से देखना हमारे लिये अति महत्वपूर्ण है। इस लिये विदेशी मुद्रा आगमन सम्बन्धी विधेयक में हम ने एक उपबन्ध यह किया है कि हम सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से विदेशों से मिले लाभ की सार्वजनिक घोषणा करने को कहें ।

जहां तक "स्टैट्स मैन" का सम्बन्ध है, हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम उन पर विचार कर रहे हैं।

जहां तक समाचार एजेंसियों को परिवर्तित करने का प्रश्न है, मैं अपने माननीय मित्र श्री बनर्जी को बताना चाहता हूं कि समाचार एजेंसियों के सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाने सम्बन्धी समिति ने हमें बताया है कि कुछ पत्र एजेंसियों के रूप में काम कर रहे हैं और जब हम समिति के प्रतिवेदन के आधार पर अपना नीति सम्बन्धी संकल्प पेश करेंगे तो इस पर विचार किया जायेगा ।

Dr. Laxmi Narain Pandeya (Mandsaur) : Mr. Chairman, Sir, I am grateful to all members who have supported my resolution.

The hon. Minister made a reference about certain difficulties which necessitated the promulgation of the Ordinance but he had not been able to explain fully as to why such conditions arose which necessitated the promulgation of the ordinance and why there has been a delay in the formation of the Committee.

The hon. Minister had admitted that news-papers are becoming views papers. He has also admitted that the Press Council at present is not vested with as much power and authority as it should have been. It is necessary that the Press Council should have enough powers to ensure freedom of Press and to see that code of conduct is observed. It is hoped that the proposed bill will soon be brought before the House.

It was pointed out during the debate that small and regional news-papers generally do not get newsprint. The hon. Minister has given no assurance in this regard.

I wanted to know from the hon. Minister as to the steps proposed to be taken against Haryana Government, as they have violated the directions of the Press Council. The Press Council should be made more powerful so that its directions are not violated by the State Governments.

I hope that effective steps would be taken to end the hold of monopolist groups on news-papers and that our news-papers would truely represent the feelings and aspirations of the Common people of the Country.

सभापति महोदय : अब मैं सांविधिक संकल्प सभा के मतदान के लिये रखता हूं।
प्रश्न यह है :–

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 दिसम्बर, 1974 को प्रख्यापित प्रैस परिषद् (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 14) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि प्रैस परिषद् अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे । खण्ड 2 पर एक संशोधन की सूचना दी गई है । श्री बी० पी० नायक, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री बी० पी० नायक : मंत्री महोदय के वचन को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

आधे घंटे की चर्चा के बारे में

Re: Half an hour Discussion

सभापति महोदय : अब मैं आधे घण्टे की चर्चा के बारे में सभा की राय जानना चाहता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि यह सभा सरदार स्वर्ण सिंह सोखी से अनुरोध करती है कि वह आधे घण्टे की चर्चा को स्थगित करने के लिये सहमत हों ।"

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : यदि आप कहें कि इसे कल लिया जायेगा ।

सभापति महोदय : इस का निर्णय बाद में लिया जायेगा । अगली तिथि आप के परामर्श से निर्धारित की जायेगी । अतः इसे स्थगित करने के लिये आप सहमत हैं ।

सभा कल 11.00 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित की जाती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 25 मार्च, 1975/4 चैत्र, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 25, 1975/Chaitra 4, 1897 (Saka).

M/J(D)4LSS—200—28-8-75—GIPS